रजिस्ट्री सं. डी. एल.—33001/97 REGISTERED NO. D. L.—33001/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 5] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 31, 1998/माघ 11, 1919
No. 5] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 31, 1998/MAGHA 11, 1919

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 1998

का.आ. 224.—केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम सं. 2) की धारा 24 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित अधिवक्ताओं को राजस्थान राज्य में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (के.अ. ब्यूरो) द्वारा संस्थित मामलों के संबंध में विचारण न्यायालयों में निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा उन्हें सौंपे गए मामलों में अभियोजन तथा विधि द्वारा स्थापित पुनरीक्षण अपील अथवा न्यायालयों से इन मामलों से उदभूत अपीलों/पुनरीक्षणों अथवा अन्य विषयों के संचालन के लिए विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करती है।

सर्वश्री

1. कमल किशोर दवे	जोधपुर
2. जयराम वर्मा	जोधपुर
3. डी.एन. राव	जोधपुर
4. वी.सी. चटर्जी	जयपुर
5. शिव लाल माथुर	जयपुर
6. अनंगपाल सिंह	जयपुर
7. नसीब खान	जयपुर
8. वी.एन. मिश्रा	जयपुर

[सं. 225/6797/ए.वी.डी.-II]

हरि सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSION

(Department of Personnel and Training)

New Delhi, the 13th January, 1998

S.O. 224.—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the Central Government hereby appoints the following Advocates as Special Public Prosecutors for conducting the prosecution of cases instituted by Delhi Special Police Establishment (CBI) in the State of

Rajasthan as entrusted to them by the Director, Central Bureau of Investigation, in the trial courts and appeals/ revisions or other matters arising out of these cases in revisional or appellate courts established by law.

S/Shri

1. Kamal Kishore Dave	Jodhpur
2. Jai Ram Verma	Jodhpur
3. B. L. Rao	Jodhpur
4. G. C. Chatterjee	Jaipur
5. Mitha Lal Mathur	Jaipur
6. Anang Pal Singh	Jaipur
7. Nasib Khan	Jaipur
8. B. N. Mishra	Jaipur

[No. L-225/67/97-AVD.II]
HARI SINGH, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 1997

(आयकर)

का० आ० 225.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23—ग) के उपखंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा "दि जेसुट मदुरै प्रोविन्स, डिन्डीगुल" को कर निर्धारण वर्ष 1991-92 से 1993-94 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

(1) कर निर्धारिती इसकी आय का इस्तेमाल अथवा इसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए इसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है।

(2) कर निर्धारिती ऊपर उल्लिखित कर निर्धारण वर्षों के संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि (जेवर-जवाहिरात, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा रख-रखाव में स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा।

(3) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा पुस्तकायें नहीं रखी जाती हों।

[अधिसूचना सं० 10450/ फा०सं० 197/86/92—आयकरनि.I]

एच० के० चौधरी, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 4th November, 1997

(INCOME-TAX)

S.O. 225.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (v) of clause (23-C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "The Jesuit Madurai Province, Dindigul" for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 1991-92 to 1993-94 subject to the following conditions, namely :—

(i) the assessee will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established ;

(ii) the assessee will not invest or deposit its funds (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of Section 11 ;

(iii) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business.

[Notification No. 10450/F No. 197/86/92-ITA-I]
H K. CHOUDHARY, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 1998

का.आ. 226.—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम 1974 (1974 का 52) की धारा की उपधारा (1) के अधीन आदेश मिसिल सं. 673/48/97—कस्टम 8 दिनांक 4-6-1997 को यह निर्देश जारी किया था कि श्री शहाजहान अम्बालाथ अली कुंजी उर्फ शहाजी सपुत्र श्री अली कुंजी, 187/1823, सैक्टर 6, सी जी एस कालोनी, अंटोप हिल, मुम्बई-37. (2) मैसर्स सहा ट्रेडिंग कम्पनी/अम्बालानाथ एक्सपोर्ट, 8 पुरानी महावीर बिल्डिंग, मातुंगा (सी आर) मुम्बई. (3) अम्बालाथ वेलिल हाउस, कुत्ता मंगलम, इथाथीरुथी, पोस्ट आफिस काझोर त्रिसूर, केरला-680703 को निरुद्ध कर लिया जाए और केन्द्रीय कारागार, मुम्बई में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि भविष्य में विदेशी मुद्रा के संवर्द्धन के प्रतिकूल किसी रीति से कार्य करने से रोका जा सके।

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके।

3. अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन होने के 7 दिन के भीतर अपने आपको पुलिस कमिश्नर/महानिदेशक, पुलिस मुम्बई के सम्मुख उपस्थित करे।

[मिसिल सं. 673/48/97-कस्टम-8]

प्रकाश चन्द्रा, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 16th January, 1998

S.O. 226.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Conservation of Foreign Exchange & Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued order F. No. 673/48/97-Cus. VIII dated 4-6-1997 under the said sub-section directing that Shri (1) Shajahan Ambalath Ali Kunji @ Shaji S/o. Shri Ali Kunji (1) 187/1823, Sector 6, CGS Colony, Antop Hill, Mumbai-37. (2) M/s. Sha Trading Co./Ambalath Exports, 8, Old Mahavir Building, Matunga (CR), Mumbai (3) Ambalath Veetil House, Kuttamangalam, Edathiruthy P.O. Kattor, Thrissur, Kerala-680703 be detained and kept in custody in the Central Prison, Mumbai with a view to preventing him in future from acting in any manner prejudicial to the augmentation of foreign exchange.

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or has been concealing himself so that the order cannot be executed.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Clause (b) of sub-section (1) of Section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner/Director General of Police, Mumbai within 7 days of the publication of this order in the official Gazette.

[F. No. 673/48/97-Cus. VIII]

PRAKASH CHANDRA, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 1998

का.आ. 227.—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा की उपधारा (1) के अधीन आदेश मिसिल सं. 673/49/97–सी.शु.-8 दिनांक 4-6-1997 को यह निर्देश जारी किया था कि श्री अब्दुल नासिर काराप्पम वेतिल सुपुत्र श्री अब्दुल कादिर कमरा नं. 837 बिल्डिंग नं. 88 सैक्टर-1 अनतोपहिल मुम्बई-37, (2) मैसर्स सहा ट्रेडिंग कम्पनी/अम्बालानाथ एक्सपोर्ट, 8 पुरानी महावीर बिल्डिंग, मातुंगा (सी आर) मुम्बई (3) काराप्पामवेतिल हाउस, कुत्तामंगलम, इदाथीरुथी, पोस्ट आफिस त्रिचूर, केरला-680703 को निरुद्ध कर लिया जाए और केन्द्रीय कारागार मुम्बई में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि भविष्य में विदेशी मुद्रा के संवर्धन के प्रतिकूल किसी रीति से कार्य करने से रोका जा सके।

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके।

3. अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन होने के 7 दिन के भीतर अपने आपको पुलिस कमिश्नर/महा निदेशक पुलिस मुम्बई के सम्मुख उपस्थित करे।

[मिसिल सं. 673/49/97–कस्टम-8)]

प्रकाश चन्द्रा, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 16th January, 1998

S.O. 227.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Conservation of Foreign Exchange & Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued order F. No. 673/49/97-Cus VIII dated 4-6-1997 under the said sub-section directing that Shri (1) Abdul Naseer Karappamveetil S/o Shri Abdul Kader, Room No. 837, Building No. 88, Sector-1, Antop Hill, Mumbai-37, (2) M/s. Sha Trading Co./Ambalath Exports, 8, Old Mahavir Building, Matunga (CR), Mumbai, (3) Karappamveetil House, Kuttamangalam, Edathiruthy, P.O. Trichur, Kerala-680703 be detained and kept in custody in the Central Prison, Mumbai with a view to preventing him in future from acting in any manner prejudicial to the augmentation of foreign exchange.

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or has been concealing himself so that the order cannot be executed.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Clause (b) of sub-section (1) of Section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner/Director General of Police, Mumbai within 7 days of the publication of this order in the official Gazette.

[F. No. 673/49/97-Cus. VIII]

PRAKASH CHANDRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 1998

(आयकर)

का० आ० 228.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80-छ की उपधारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा तमिलनाडु के हिन्दू धार्मिक और धर्मार्थ स्थायी निधि विभाग द्वारा अधिशासित, "एरूलमिगु तिरुवालीस्वरार मन्दिर, मद्रास" को समूचे तमिलनाडु राज्य में ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व के स्थल और प्रसिद्ध पूजा स्थल के रूप में उक्त धारा के प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट करती है।

यह अधिसूचना एरूलमिगु तिरुवालीस्वरार मन्दिर के 3,25,000/- (केवल तीन लाख, पच्चीस हजार रुपये) तक मरम्मत/पुनरुद्धार कार्य के लिए वैध होगी।

[अधिसूचना सं० 10514/फा० सं० 176/27/96-आयकर नि०I]

एच० के० चौधरी, अवर सचिव

New Delhi, the 20th January, 1998

(INCOME TAX)

S.O. 228.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of Section 80-G of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby specifies "Arulmigu Thiruvaleeswarar Temple, Madras", Governed by Hindu Religious and Charitable Endowment Department of Tamil Nadu, as a place of historical and archaeological importance and a place of worship of renown throughout the State of Tamil Nadu for the purpose of the said Section.

This notification will be valid only for the repaid/renovation work of Arulmigu Thiruvaleeswarar Temple to the extent of Rs. 3,25,000 (Rupees three lakhs twenty five thousand only).

[Notification No. 10514/F. No. 176/27/96-ITA-I]

H. K. CHOUDHARY, Under Secy.

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 1998

का.आ. 229—भारतीय रिजर्व बैंक की संस्तुति पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 56 के साथ पठित धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार घोषणा करती है कि यदि शिवसागर जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., जोरहाट (असम राज्य) पर, उक्त अधिनियम की धारा 11 की उपधारा 1 के उपबंध इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 31 मार्च, 2000 तक लागू नहीं होंगे।

[फा.स. 1(29)/97-ए.सी.]

एस.के. ठाकुर, अवर सचिव

(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

(Banking Division)

New Delhi, the 12th January, 1998

S.O. 229.—In exercise of the powers conferred by Section 53 read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) the Central Government on the recommendations of the Reserve Bank of India declares that the provisions of sub-section 1 of Section 11 of the said Act shall not apply to The Sibsagar District Central Cooperative Bank Ltd., Jorhat (Assam State), from the date of publication of this notification in the official Gazette to 31 March, 2000.

[F. No. 1(29)/97-AC]

S. K. THAKUR, Under Secy.

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 1998

का.आ. 230—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर, एतद्द्वारा घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (2) के उपबंध पंजाब एण्ड सिंध बैंक, नई दिल्ली पर 21 जनवरी, 1999 तक की अवधि के लिए उस सीमा तक लागू नहीं होंगे जहां तक उनका संबंध गिरवीदार के रूप में मैसर्स डायनामैटिक फार्जिंग्स इंडिया लि. के शेयरों की धारिता से है।

[सं. 15/1/98-बी.ओ.ए.]

श्रीमती पी. मोहन, निदेशक (बी.ओ.)

New Delhi, the 19th January, 1998

S.O. 230.—In exercise of the powers conferred by Section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) the Central Government on the recommendation of the Reserve Bank of India hereby declares that the provisions of sub-section (2) of Section 19 of the said Act shall not apply to Punjab and Sind Bank, New Delhi, for a period upto 21st January, 1999 in so far as they relate to its holding of the shares of M|s. Dynamatic Forgings India Ltd., as a pledges.

[F. No. 15|1|98-BOA]

MRS. P. MOHAN, Director(BO)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(संस्कृति विभाग)

(भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण)

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 1998

का. आ. 231—केन्द्रीय सरकार, सरकारी स्थान (अनधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के तत्कालीन शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 4411, तारीख 20 सितम्बर, 1975 को अधिक्रांत करते हुए, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ सं. (1) में उल्लेखित राजपत्रित अधिकारियों को संपदा अधिकारी नियुक्त करती है, जो प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे और उक्त अधिनियम द्वारा अथवा उसके अधीन उक्त सारणी के स्तम्भ सं. (2) में विनिर्दिष्ट सरकारी स्थान के संबंध में अपनी-अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर संपदा अधिकारियों पर अधिरोपित कर्तव्यों का अनुपालन करेंगे।

सारणी

अधिकारी का पदनाम	सरकारी स्थानों के प्रवर्ग और स्थानीय अधिकारिता की सीमाएं
(1)	(2)
अधीक्षण पुरातत्वविद, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आगरा मंडल, आगरा, औरंगाबाद मंडल, औरंगाबाद, भोपाल मंडल, भोपाल, भुवनेश्वर मंडल, भुवनेश्वर, बंगलोर मंडल, बंगलोर, कलकत्ता मंडल, कलकत्ता, चंडीगढ़ मंडल, चंडीगढ़, धारवाड़ मंडल, धारवाड़, दिल्ली मंडल, नई दिल्ली, गुवाहाटी मंडल, गुवाहाटी हैदराबाद मंडल, हैदराबाद, जयपुर मंडल, जयपुर, लखनऊ मंडल, लखनऊ, मुंबई मंडल, बंबई, पटना मंडल, पटना, श्रीनगर/जम्मू मंडल, श्रीनगर/जम्मू, त्रिचूर मंडल, त्रिचूर, बड़ोदरा मंडल, बड़ोदरा, उप अधीक्षण पुरातत्वविद, गोवा मंडल, गोवा और उप पुरातत्वविद लेह मंडल, शिमला।	भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन स्थान जो उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं में स्थित है।

[सं. 25/11/92-स्मारक]

अजय शंकर, महानिदेशक

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of Culture)

(Archaeological Survey of India)

New Delhi, the 16th January, 1998

S.O. 231.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (49 of 1971) and in supersession of the notification of the Government of India in the late Ministry of Education, Social Welfare and Culture No. S.O. 4411 dated the 20th September, 1975, the Central Government hereby appoints the officers mentioned in column (1) of the Table below being Gazetted Officers of Government to be Estate Officers for the purposes of the said Act who shall exercise the powers conferred and perform duties imposes on the Estate Officers by or under the said Act within the local limits of their respective jurisdiction in respect of the Public Permises specified in column (2) of the said Table.

TABLE

Designation of Officer	Categories of public premises and local limits of jurisdiction.
(1)	(2)
Superintending Archaeologist, Archaeological Survey of India, Agra Circle, Agra, Aurangabad Circle, Aurangabad, Bhopal Circle, Bhopal, Bhubaneshwar Circle, Bhubaneshwar, Bangalore Circle, Bangalore, Calcutta Circle, Calcutta, Chandigarh Circle, Chandigarh, Dharwar Circle, Dharwal, Delhi Circle, New Delhi, Guwahati Circle, Guwahati, Hyderabad Circle, Hyderabad, Jaipur Circle, Jaipur, Lucknow Circle, Lucknow, Chennai Circle, Chennai, Patna, Circle, Patna, Srinagar/Jammu Circle, Srinagar/Jammu, Thrissur Circle, Thrissur, Vadodara Circle, Vadodara, Dy. Superintending Archaeologist, Mini-Circle, Goa and Deputy Superintending Archaeologist, Mini-Circle, Shimla,	Premises under the Administrative control of the Archaeological Survey of India, situated with in the local limits of their respective jurisdiction.

[No. 25/11/92-M

AJAI SHANKAR, Director Gen.

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 1993

का० आ० 232.—सी० डब्ल्यू पी० संख्या 139/96 दिनांक 19-5-1997 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में, पशुओं का विच्छेदन उच्चतर माध्यमिक अवस्था के छात्रों के लिए वैकल्पिक कर दिया गया है और कक्षा 11 वीं तथा 12 वीं के लिए जीवविज्ञान की वर्तमान पाठ्यचर्या को वैकल्पिक कार्यकलापों/प्रयोगों को शामिल करने के लिए संशोधित किया जाना है ।

2. माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के उपर्युक्त निर्देश की सूचना और आगे आवश्यक कार्रवाई के लिए सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाता है ।

[फा० सं० 6-10(ए), 94-डेस्क (ई एन ई)]

पी० एच० एस० राव, संयुक्त शिक्षा सलाहकार

(Department of Education)

New Delhi, the 20th January, 1998

S.O. 232.—In pursuance of the judgement of the Hon'ble High Court of Delhi in CWP No. 139/96 dated 19-5-97, dissection of animals has been made optional to the students of Senior Secondary stage and the existing syllabus of biology for classes XI and XII is to be modified to include alternate activities/experiments.

2. The above direction of the Hon'ble High Court of Delhi are brought to the notice of all concerned for information and further necessary action.

[F. No. 6-10(A)/94-Desk (ENE)]

P. H. S. RAO, Jt. Eductional Adviser

कोयला मंत्रालय

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 1997

का०आ० 233 :—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में उल्लिखित भूमि में कोयला अभिप्राप्त किए जाने की संभावना है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस क्षेत्र में कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना देती है ;

इस अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाले रेखांक सं० एल०ए०/60 तारीख 10 मई, 1996 का निरीक्षण उपायुक्त जिला गोड्डा (बिहार) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता 700001 के कार्यालय या निदेशक तकनीकी (पश्चिमी प्रभाग) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० सेक्टोरिया, डाकघर-दिशेरगढ़ जिला-बर्दवान (पश्चिमी बंगाल) के कार्यालय में किया जा सकता है ।

इस अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाली भूमि में, हितबद्ध सभी व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (7) में निर्दिष्ट सभी नक्शों, चार्टों और अन्य दस्तावेजों को इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नब्बे दिन के भीतर निदेशक तकनीकी (पश्चिमी प्रभाग) ईस्टर्न कोलफील्डस लि० सेक्टोरिया डाकघर-दिशेरगढ़ जिला-बर्दवान (पश्चिमी बंगाल) को भेजेंगे ।

अनुसूची

राजमहल परियोजना क और ख

राजमहल कोयला क्षेत्र रेखांक सं० एल०ए०/60

तारीख 10 मई, 1996

(पूर्वेक्षण के लिए अधिसूचित भूमि दर्शाते हुए)

क्रम सं०	मौजा (ग्राम)	थाना सं०	पुलिस थाना	जिला	एकड़ में क्षेत्र	टिप्पण
1.	पहारपुर	32	बी०डब्लू सिमरा-1	गोड्डा	41.00	भाग
2.	बारा सिमरा	33	बी०डब्लू सिमरा-1	गोड्डा	157.58	भाग
3.	लोहानडिया	45	बी०डब्लू सिमरा-1	गोड्डा	45.00	भाग
4.	बसदिहा	47	बी०डब्लू सिमरा-1	गोड्डा	361.11	भाग
5.	हरखा	50	बी०डब्लू सिमरा-1	गोड्डा	26.43	भाग
6.	छोटा भोराई	17	बी०डब्लू सिमरा-2	गोड्डा	37.24	भाग
7.	बड़ा भोराई	18	बी०डब्लू सिमरा-2	गोड्डा	782.95	भाग
				कुल योग	1451.31 एकड़ (लगभग) या 587.57 हेक्टर (लगभग)	

सीमा वर्णन

क 1–क 2 रेखा मौजा लोहादिया सं० 45, प्लाट सं० 416 के दक्षिण, प्लाट सं० 417 के पूर्वी, प्लाट सं० 432 की दक्षिण और पूर्वी रेखा, प्लाट सं० 435 की पूर्वी और दक्षिण रेखा, प्लाट सं० 436, 442, 440, 463, 468, 466, 469, के दक्षिण प्लाट सं० 470 की दक्षिण और पूर्वी रेखा प्लाट सं० 799 की दक्षिण रेखा से होकर जाती है, प्लाट सं० 799, प्लाट सं० 653, 654, के दक्षिण से होकर जाती है, प्लाट सं० 669, 668' 667 से होकर जाती है और प्लाट सं० 666 के दक्षिण और पूर्वी रेखा के साथ-साथ जाती है और "क" बिन्दु पर मिलती है ।

क 2–क 3 रेखा मौजा लोहदिया सं० 45 के प्लाट सं० 679 की दक्षिणी रेखा से होकर जाती है, प्लाट सं० 680 की दक्षिणी और पूर्वी रेखा, प्लाट सं० 674, 687 की पूर्वी रेखा, प्लाट सं० 685 की दक्षिणी और पूर्वी रेखा प्लाट सं० 702 की पूर्वी रेखा के साथ जाती है । प्लाट सं० 753, 752 की दक्षिणी

और पूर्वी रेखा से होकर जाती है, प्लाट सं० 751, प्लाट सं० 731 की दक्षिणी पूर्वी रेखा, प्लाट सं० 730 की पूर्वी रेखा, प्लाट सं० 729 की दक्षिणी रेखा प्लाट स० 716 की दक्षिणी और पूर्वी रेखा की सीमा रेखा के साथ-साथ जाती है, मौजा होहादिया सं० 450 और बसदिहा सं० 47 की संयुक्त सीमा रेखा के साथ-साथ जाती है और "क" बिन्दु पर मिलती है ।

क 3–क 4 रेखा, मौजा बसदिहा स० 47 के प्लाट सं० 1 की दक्षिणी सीमा रेखा के साथ-साथ जाती है, मौजा बसदिहा सं० 47 और हरखा सं० 50 की संयुक्त सीमा रेखा के सथ-साथ जाती है, प्लाट सं० 880, 1005 की दक्षिणी और पूर्वी रेखा के साथ-साथ जाती है, प्लाट सं० 1001 की पूर्वी रेखा, प्लाट सं० 968 की दक्षिणी और पूर्वी रेखा के साथ जाती है, प्लाट सं० 957, 958, 959, 960 की दक्षिणी सीमा रेखा के साथ जाती है, प्लाट सं० 1024, 1026 की दक्षिणी रेखा के साथ, प्लाट सं० 1017 से होते हुए जाती है, प्लाट सं० 1034, 1035, 1036, 1037 से होते हुए जाती है और प्लाट सं० 1040 की पश्चिमी दक्षिणी रेखा से होकर जाती है और "क 4" बिन्दु पर मिलती है ।

क 4–क 5 रेखा मौजा हरखा सं० 50 और बसदिहा सं० 47 की संयुक्त सीमा रेखा के साथ जाती है और हरखा सं० 50 बसदिहा सं० 47 बेरादा सं० 49 की तिराहा सीमा रेखा पर बिन्दु "क 5" पर मिलती है ।

क 5–क 6 रेखा मौजा बरादाह 49 और बसडिहा सं० 47 की संयुक्त सीमा रेखा से होकर जाती है और मौजा बरादाहा सं० 49, बसडिहा सं० 47 और पहारपुर सं० 48 की तिराहा सीमा रेखा पर बिन्दु "क 6" पर मिलती है ।

क 6–क 7 रेखा, मौजा बसदिहा सं० 47 पहारपुर सं० 48 की संयुक्त सीमा रेखा से होकर जाती है और मौजा पहारपुर सं० 48, बसडिहा सं० 47 और तलझड़ी सं० 19 को तिराहा सीमा रेखा पर बिन्दु "क 7" पर मिलती है ।

क 7–क 8 रेखा, मौजा तलझड़ी सं० 19 और बसडिहा सं० 47 की संयुक्त सीमा रेखा के साथ-साथ जाती है और मौजा तलझड़ी सं० 19, बसडिहा सं० 47, बड़ा मोराई सं० 18 की तिराहा सीमा रेखा पर बिन्दु "क 8" पर मिलती है ।

क 8–क 9 रेखा, मौजा तलझड़ी सं० 19 और बड़ा मोराई सं० 18 की संयुक्त सीमा रेखा के साथ-साथ जाती है और मौजा तलझड़ी सं० 19, बड़ा मोराई सं० 18, के केशगरिया सं० 20 को तिराहा सीमा रेखा के "क 9" बिन्दु पर मिलती है ।

क 9—क 10 रेखा, मौजा केशगरिया सं० 20 और बड़ा मोराई सं० 18 की संयुक्त सीमा रेखा के साथ-साथ जाती है और मौजा केशगरिया सं० 20, बड़ा मोराई सं० 18, छोटा मोराई सं० 17 की तिराहा सीम रेखा पर बिन्दू "क 10" पर मिलती है ।

क 10–क 11 रेखा, छोटा मोराई सं० 17 और बड़ा मोराई स० 18 की सयुक्त सीमा रेखा से होकर जाती है और "क 11" बिन्दु पर मिलती है ।

क 11–क 12 रेखा, मौजा छोटा मोराई सं० 17 के प्लाट स० 160 की उत्तरी सीमा रेखा के साथ-साथ प्लाट सं० 156 की उत्तरी और पश्चिमी रेखा के साथ प्लाट स० 155 की पूर्वी और पश्चिमी रेखा के साथ-साथ प्लाट सं० 178 की उत्तरी रेखा के साथ-साथ प्लाट सं० 109, 108 को उत्तरी और पश्चिमी रेखा के साथ साथ प्लाट सं० 107 की पश्चिमी रेखा के साथ-साथ जाती है, प्लाट सं० 161 से होकर जाती है, प्लाट सं० 35 की उत्तरी रेखा के साथ-साथ प्लाट सं० 33 की उत्तरी और पूर्वी रेखा के साथ साथ प्लाट सं० 79, 183, 41, 42, 44, 24, 20, 15, 16 की उत्तरी पूर्वी रेखा के साथ-साथ जाती है प्लाट सं० 14 की उत्तरी और पूर्वी रेखा के साथ साथ-जाती है और "क 12" बिन्दु पर मिलती है ।

क 12–क 13 रेखा, छोटा मोराई सं० 17 और बड़ा मोराई सं० 18 की संयुक्त सीमा रेखा के साथ-साथ जाती है और मौजा छोटा मोराई सं० 17, बड़ा मोराई सं० 18 और पहाड़पुर सं० 32 की तिराहा सीमा रेखा पर बिन्दु "क 13" पर मिलती है ।

क 13–क 14 रेखा, मौजा पहाड़पुर सं० 32, बड़ा मोराई सं० 18 की संयुक्त सीमा रेखा के साथ-साथ जाती है और मौजा पहाड़पुर सं० 32, बड़ा मोराई सं० 18, बड़ा सिमरा सं० 34 का तिराहा सीमा रेखा पर बिन्दु "क 14" पर मिलती है ।

क 14–क 15	रेखा, मौजा पहाड़पुर सं० 32 बड़ा सिमरा सं० 33 की संयुक्त सीमा रेखा के साथ साथ-जाती है और मौजा पहाड़पुर सं० 32 के प्लाट सं० 14 से होते हुए जाती है और मौजा पहाड़पुर सं० 32 बड़ा सिमरा सं० 33, छोटा सिमरा सं० 34 की तिराहा सीमा रेखा पर बिन्दु "क 15" पर मिलती है ।
क 15–क 16	रेखा, छोटा सिमरा सं० 34, बड़ा सिमरा सं० 33 की संयुक्त सीमा रेखा के साथ-साथ जाती है औ "क 16" बिन्दु पर मिलती है ।
क 16–क 17–क 18	रेखा, मौजा बड़ा सिमरा सं० 33 के प्लाट सं० 1034, 1033 की पश्चिमी और दक्षिणी रेखा के साथ-साथ प्लाट सं० 1035 की दक्षिणी रेखा के साथ-साथ, प्लाट सं० 1029 की दक्षिणी और पूर्वी रेखा के साथ जाती है, प्लाट सं० 1028 की पूर्वी रेखा के साथ-साथ जाती है और "क 18" बिन्दु पर मिलती है ।
क 18–क 19–क 20	रेखा, प्लाट सं० 976, 972, 975 की दक्षिणी रेखा के साथ-साथ प्लाट सं० 979 की पूर्वी रेखा, प्लाट सं० 978 की दक्षिणी और पूर्वी रेखा, प्लाट सं० 1025 की पश्चिमी और दक्षिणी रेखा के साथ-साथ मौजा बड़ा सिमरा के प्लाट सं० 1027, 1024 की पश्चिमी रेखा के साथ जाती है, प्लाट सं० 954, 955, 956 की पश्चिमी रेखा के साथ जाती है और "क 20" बिन्दु पर मिलती है ।
क 20–क 21	रेखा, प्लाट सं० 949, 948, 947 की दक्षिणी और पूर्वी रेखा के साथ-साथ मौजा बड़ा सिमरा के प्लाट सं० 956 की दक्षिणी रेखा के साथ-साथ जाती है प्लाट सं० 848, 847, 845 की पूर्वी रेखा के साथ-साथ जाती है और 'क 21" बिन्दु पर मिलती है ।
क 21–क 22,	रेखा, मौजा बड़ा सिमरा सं० 33 के प्लाट सं० 686, 663, 662, 661, 653, 652, 651 की दक्षिणी रेखा के साथ जाती है, प्लाट सं० 723 की दक्षिणी रेखा, प्लाट सं० 793, 794 की पूर्वी रेखा के साथ-साथ प्लाट सं० 787, 786, 785 की दक्षिणी रेखा के साथ प्लाट सं० 789 की पश्चिमी और दक्षिणी रेखा के साथ, प्लाट सं० 769 की दक्षिणी और पूर्वी रेखा के साथ 687 से होकर जाती है और "क 22" बिन्दु पर मिलती है ।
क 22–क 23	रेखा, प्लाट सं० 1140, 1227, 1228, 1229, 1485, 1482 की दक्षिणी रेखा के साथ साथ प्लाट सं० 1144 की पश्चिमी और दक्षिणी रेखा के साथ-साथ प्लाट सं० 1143 की पश्चिमी रेखा के साथ प्लाट सं० 1110, 1114, 1115, 1117, 1121, 1149, 1151, 1153, 1156 की दक्षिणी रेखा के साथ-साथ मौजा बड़ा मोराई सं० 18 के प्लाट सं० 1099, 1100 की दक्षिणी और पूर्वी रेखा के साथ-साथ मौजा बड़ा सिमरा सं० 33, बड़ा मोराई सं० 18 की संयुक्त सीमा रेखा से होते हुए जाती है, प्लाट सं० 1485 से होते हुए जाती है और "क 23" बिन्दु पर मिलती है ।
क 23–क 24	रेखा, प्लाट सं० 1486 की पूर्वी रेखा के साथ-साथ मौजा बड़ा मोराई सं० 18 के प्लाट सं० 1485 की दक्षिणी और पूर्वी रेखा के साथ-साथ जाती है, रेखा प्लाट सं० 1615, 1604 की पूर्वी रेखा के साथ साथ प्लाट सं० 1614 की पूर्वी और उत्तरी रेखा के साथ साथ प्लाट सं० 1612, 1613 की दक्षिणी और पूर्वी रेखा के साथ साथ प्लाट सं० 1622, 1621 की पूर्वी रेखा के साथ-साथ प्लाट सं० 1625 की दक्षिणी पूर्वी और उत्तरी रेखा के साथ-साथ प्लाट सं० 1628 की दक्षिणी और पूर्वी रेखा के साथ-साथ प्लाट सं० 1627 की दक्षिणी रेखा, प्लाट सं० 1633 की पूर्वी रेखा के साथ-साथ प्लाट सं० 1634 की दक्षिणी और पूर्वी रेखा के साथ-साथ प्लाट सं० 1538, 1539 की पूर्वी रेखा के साथ प्लाट सं० 1499, 1492, 1543, 1536, 1537 की दक्षिणी और पूर्वी रेखा के साथ-साथ जाती है, प्लाट सं० 994 से होते हुए जाती है, प्लाट सं० 834 की पूर्वी रेखा के साथ-साथ प्लाट सं० 830 की दक्षिणी पूर्वी रेखा के साथ-साथ प्लाट सं० 825, 826, 829 की पूर्वी रेखा के साथ साथ जाती है प्लाट सं० 837 से होते हुए जाती है और 'क 24" बिन्दु पर मिलती है ।
क 24–क 25	रेखा मौजा बड़ा मोराई के प्लाट सं० 764, 761, 753 की पूर्वी रेखा के साथ जाती है । प्लाट सं० 716 के पूर्वी और उत्तरी के साथ साथ प्लाट सं० 717 की दक्षिणी रेखा के साथ-साथ प्लाट सं० 755 की पूर्वी रेखा के साथ-साथ प्लाट सं० 758, 757 की पूर्वी रेखा के साथ प्लाट सं० 759 से होते हुए जाती है । प्लाट सं० 163, 164 की पूर्वी और उत्तरी रेखा के साथ-साथ, सिमरा, बोआरीजोर पी० डब्लू० डी सड़क के साथ-साथ होते हुए जाती है । प्लाट सं० 126, 125 की पूर्वी और उत्तरी रेखा के साथ साथ प्लाट सं० 161, 130, 127 की पूर्वी रेखा के साथ रेखा जाती है प्लाट सं० 117 की पूर्वी और उत्तरी रेखा के साथ प्लाट सं० 124, 116 की पूर्वी रेखा के साथ

जाती है रेखा प्लाट सं० 113, 112 से होते हुए जाता है, प्लाट सं० 109 की उत्तरी रेखा के साथ जाती है । प्लाट सं० 111 की पूर्वी रेखा के साथ-साथ जाती है और "क25" बिन्दु पर मिलती है ।

क 25—क 1 रेखा मौजा बड़ा मोराई सं० 18 और लोहंडिया सं० 45 की संयुक्त सीमा रेखा से होकर जाता है । प्लाट सं० 403 की पूर्वी रेखा के साथ-साथ जाती है, प्लाट सं० 402 की पूर्वी और उत्तरी रेखा के साथ जाती है । प्लाट सं० 307 की पूर्वी रेखा के साथ-साथ जाती है और आधिक बिन्दु "क" पर मिलती है ।

[सं० 43015/595—एल० डब्ल्यू]

श्रीमती पी०एल० जैनी, अवर सचिव

MINISTRY OF COAL

New Delhi, the 17th December, 1997

S.O. 233.—Whereas it appears to the Central Government that coal is likely to be obtained from the lands mentioned in the Schedule hereto annexed ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby gives notice of its intention to prospect for coal therein.

The plan bearing number LA/60 dated 10th May, 1996 of the area covered by this notification can be inspected in the office of the Deputy Commissioner, District Godda (Bihar) or in the office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Calcutta-700001 or in the office of the Director Technical (West Division) Eastern Coalfields Limited, Sanctoria, Post Office-Dishergarh, District-Burdwan (West Bengal)

All persons interested in the lands covered by this notification shall deliver all maps, charts and other documents referred to in sub-section (7) of Section 13 of the said Act to the Director Technical (West Division), Eastern Coalfields Limited, Sanctoria, Post Office-Dishergarh, District Burdwan (West Bengal) within ninety days from the date of the publication of this notification in the Official Gazette.

SCHEDULE

RAJMAHAL PROJECT A & B
RAJMAHAL COALFIELDS

Plan No. L.A./60

Dated : 10th May, 1996

(Showing land notified for prospecting)

Serial number	Mouza (Village)	Thana number	Police Station	District	Area in acres	Remarks
1.	Paharpur	32	BW Simra–I	Godda	41.00	Part
2.	Bara Simra	33	BW Simra–I	Godda	157.58	Part
3.	Lohandia	45	BW Simra–I	Godda	45.00	Part
4.	Basdiha	47	BW Simra–I	Godda	361.11	Part
5.	Harakha	50	BW Simra–I	Godda	26.43	Part
6.	Chota Bhorai	17	BW Simra–II	Godda	37.24	Part
7.	Bara Bhorai	18	BW Simra–II	Godda	782.95	Part
				Grand Total :	1451.31 acres (approximately) or 587.57 hectares (approximately)	

Boundary description

A1—A2—Line passes through mouza Lohandia No. 45, South of Plot No. 416, East of Plot No. 417, South and East line of plot No. 432, East and South line of plot No 435, South of Plot No. 436, 442, 440, 463, 462, 466, 469, South and Eastern line of plot No. 470, South line of plot No. 799, passes through plot No 799, South of plot No. 653, 654, passes through plot No. 669, 668, 667 and passes alongwith Southern and Eastern line of plot No. 666 and meet at point 'A2'.

A2—A3—Line passes through Southern line of plot No. 679 of mouza Lohandia No. 45, passes Southern and Eastern line of plot No. 680, Eastern line of plot No. 674, 687, Southern and Eastern line of plot No. 685, Eastern line of plot No. 702, passes through plot No. 753. Southern and Eastern line of 752, passes through plot No. 751, Southern and Eastern line of plot No. 731, Eastern line of plot No. 730. Southern line of plot No. 729, psases alongwith boundary line of Southern and Eastern line of plot No. 716, passes alongwith joint boundary line of mouza Lohandia No. 45 and Basdiha No. 47 and meet at point 'A3'.

A3—A4—Line passes alongwith Southern boundary line or plot No. 1 of mouza Basdiha No. 47, passes alongwith joint boundary line of mouza Basdiha No. 47 and Harakha No. 50, passes alongwith Southern and Eastern line of plot No. 880, 1005, passes alongwith Eastern line of plot No. 1001, Southern and Eastern line of plot No. 968, passes alongwith Southern boundary line of plot No. 957, 958, 959, 960, passes through plot No. 1017, alongwith Southern line of plot No. 1024, 1026, passes through plot No. 1034, 1035, 1036, 1037 and passes through Western Southern line of plot No. 1040 and meets at point 'A4'.

A4—A5—Line passes through joint boundary line of mouza Harakha No. 50 and Basdiha No. 47 and at trio boundary line of Harakha No. 50, Basdiha No. 47, Verandah No. 49 at point 'A5'.

A5—A6—Line passes through joint boundary line of Verandah No. 49 and Basdiha No. 47 and meets at Trio boundary line of mouza Verandah No. 49, Basdiha No. 47 and Paharpur No. 48 at point 'A6'.

A6—A7—Line passes through joint boundary line of mouza Basdiha No. 47, Paharpur No. 48 and meet at trio boundary line of mouza Paharpur No. 48, Basdiha No. 47 and Taljhari No. 19 at point 'A7'.

A7—A8—Line passes alongwith joint boundary line of mouza Taljhari No. 19 and Basdiha No. 47 and at trio boundary line of mouza Taljhari No. 19, Basdiha No. 47, Bara Bhorai No. 18 at point 'A8'.

A8—A9—Line passes alongwith joint boundary line of mouza Taljhari No. 19 and Bara Bhorai No. 18 and meets at trio boundary line of mouza Taljhari No. 19, Bara Bhorai No. 18, Keshgaria No. 20 at point 'A9'.

A9—A10—Line passes alongwith joint boundary line of mouza Keshgaria No. 20 and Bara Bhorai No. 18 and meets at trio boundary line of mouza Keshgaria No. 20, Bara Bhorai No. 18, Chota Bhorai No. 17 at point 'A10'.

A10—A11—Line passes through joint boundary line of Chota Bhorai No. 17 and Bara Bhorai No. 18 and meets at point 'A11'

A11—A12—Line passes alongwith northern boundary line of plot No. 160 of mouza Chota Bhorai No. 17, alongwith northern and western line of plot No. 156 alongwith eastern and western line of plot No. 155 alongwith northern line of plot No. 178, alongwith northern and western line of plot No. 109, 108, alongwith western line of plot No. 107, passes through plot No. 161, passes alongwith northern line of plot No. 95, alongwith eastern and northern line of plot No. 33, alongwith northern western line of plot No. 79, 183, 41, 42, 44, 24, 20, 15, 16, passes alongwith northern and eastern line of plot No. 14 and meets at point 'A12'.

A12—A13—Line passes alongwith joint boundary line of Chhota Bhorai No. 17 and Bara Bhorai No. 18 and meets at trio boundary line of mouza Chota Bhorai No. 17, Bara Bhorai No. 18 and Paharpur No. 32 meets at point 'A13'.

A13—A14—Line passes alongwith joint boundary line of mouza Paharpur No. 32, Bara Bhorai No. 18 and meets at trio boundary line of mouza Paharpur No. 32, Bara Bhorai No. 18, Bara Simra No. 33, meets at point 'A14'

A14—A15—Line passes alongwith joint boundary line of mouza Paharpur No. 32, Bara Simra No. 33 and passes through plot No. 14 of mouza Paharpur No. 32 and meets at trio boundary line of mouza Paharpur No. 32, Bara Simra No. 33, Chhota Simra No. 34 at point 'A15'.

A15—A16—Line passes alongwith joint boundary line of Chhota Simra No. 34, Bara Simra No. 33 meets at point 'A16'.

A16—A17—A18—Line passes alongwith western and southern line of plot No. 1034, 1033 of mouza Bara Simra No. 33 alongwith southern line of plot No. 1035, southern and eastern line of plot No. 1029, passes alongwith eastern line of plot No. 1028 meets at point 'A18'.

A18—A19—A20—Line passes alongwith western line of plot No. 1027, 1024 of mouza Bara Simra alongwith western and southern line of plot No. 1025, southern and eastern line of plot No. 978, eastern line of plot No. 979 alongwith southern line of plot No. 976, 972, 975, passes alongwith western line of plot No. 954, 953, 956 meets at point 'A20'.

A20—A21—Line passes alongwith southern line of plot No. 956 of mouza Bara Simra alongwith southern and eastern line of Plot Nos. 949, 948, 947 passes alongwith eastern line of plot No. 848, 847, 845 meets at point 'A21'.

A21—A22—Line passes alongwith southern line of plot No. 686, 663, 662, 661, 653, 652, 651 of mouza Bara Simra No. 33, passes through 687 alongwith southern and eastern line of plot No. 769 alongwith western and southern line of plot No. 789 alongwith southern line of plot No. 787, 786, 785 alongwith eastern line of plot No. 793, 794 southern line of plot No. 723 and meets at point 'A22'.

A22—A23—Line passes through joint boundary line of mouza Bara Simra No. 33, Bara Bhorai No. 18 alongwith southern and eastern line of plot No. 1099, 1100 of mouza Bara Bhorai No. 18, alongwith southern line of plot No. 1110, 1114, 1115, 1117, 1121, 1149, 1151, 1153, 1156 alongwith western line of plot No. 1143 alongwith western and southern line of plot No. 1144 alongwith southern line of plot No. 1140, 1227, 1228, 1229, 1483, 1482 passes through plot No. 1485 and meets at point 'A23'.

A23—A24—Line passes alongwith southern and eastern line of plot No. 1485 of mouza Bara Bhorai No. 18 alongwith eastern line of plot No. 1486, line passes alongwith southern and eastern line of plot No. 1499, 1492, 1543, 1536, 1537 alongwith eastern line of plot No. 1538, 1539 alongwith southern and eastern line of plot No. 1634 alongwith eastern line of plot No. 1633, southern line of plot No. 1627, alongwith southern and eastern line of plot No. 1628, alongwith southern, eastern and northern line of plot No. 1625, alongwith eastern line of plot No. 1622, 1621, alongwith southern and eastern line of plot No. 1612, 1613 alongwith eastern and northern line of plot No. 1614, alongwith eastern line of plot No. 1615, 1604, passes through plot No. 994, passes alongwith eastern line of plot No. 825, 826, 829 alongwith southern, eastern line of plot No. 830, alongwith eastern line of plot No. 834, passes through plot No. 837 and meets at point 'A24'.

A24-A25—Line passes alongwith eastern line of plot No. 764, 761, 753 of Mouza Bara Bhorai, passes through plot No. 759 alongwith eastern line of plot Nos. 758, 757 alongwith eastern line of plot No. 755, alongwith southern line of plot No. 717, alongwith eastern and northern of plot No. 716, passes through side by side Simra, Boarijore P.W.D. Road alongwith eastern and northern line of plot Nos. 163, 164, line passes alongwith eastern line of plot Nos. 161, 130, 127 alongwith eastern and northern line of plot Nos. 126, 125 passes alongwith eastern line of plot Nos. 124, 116, alongwith eastern and northern line of plot No. 117, line passes through plot Nos. 113, 112, passes alongwith northern line of plot No. 109, passes alongwith eastern line of plot No. 111 and meets at point 'A25'.

A25-A1—Line passes through joint boundary line of Mouza Bara Bhorai No. 18 and Lohandia No. 45 passes alongwith eastern line of plot No. 403, passes alongwith eastern and northern line of plot No. 402, passes alongwith eastern line of plot No. 307 and meets at starting point 'A1'.

[No. 43015/5/97-LW]

MRS. P. L. SAINI, Under Secy.

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 1997

का० आ० 234 :—केन्द्रीय सरकार ने कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 11 मई, 1996 में प्रकाशित भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना सं० का०आ० 1405 तारीख 24 अप्रैल, 1996 द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र की भूमि में, जिसका माप 251.120 हेक्टर (लगभग) या 620.52 एकड़ (लगभग) है, कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना दी थी,

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इससे संलग्न अनुसूची में यथा वर्णित 193.451 हैक्टर (लगभग) या 478.02 एकड़ (लगभग) माप की भूमि सभी के अधिकारों का अर्जन करने अपने आशय की सूचना देती है ।

टिप्पण 1 : इस अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के रेखांक सं० एस०ई०सी० एल०/बी०एस०पी०/जी०एम० (पी०एल०जी०)/भूमि/, 192 तारीख 2 सितम्बर, 1997 का निरीक्षण कलक्टर, सरगुजा (मध्य प्रदेश) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता के कार्यालय में या साउथ इस्टर्न कोलफील्डस लि० (राजस्व अनुभाग) सीपत रोड, बिलासपुर-495006 (मध्य प्रदेश) के कार्यालय में किया जा सकता है ।

टिप्पण 2 : उपरोक्त अधिनियम की धारा 8 के उपबंधों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसमें निम्नलिखित उपबंध हैं ।

8 अर्जन के प्रति आक्षेप :—

(1) कोई व्यक्ति जो किसी भूमि में जिसकी बाबत धारा 7 के अधीन अधिसूचना निकाली गई है, हितबद्ध है, अधिसूचना के निकाले जाने से तीस दिन के भीतर सम्पूर्ण भूमि या उसके किसी भाग या ऐसी भूमि में या उस पर के किन्हीं अधिकारों का अर्जन किए जाने के बारे में आपत्ति कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण :—इस धारा के अर्थान्तर्गत यह आपत्ति नहीं मानी जाएगी कि कोई व्यक्ति किसी भूमि में कोयला उत्पादन के लिए स्वयं खनन संक्रियाएं करना चाहता है और ऐसी संक्रियाएं केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए ।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी को लिखित रूप में की जाएगी और सक्षम प्राधिकारी आपत्तिकर्ता को स्वयं सुने जाने का या विधि व्यवसायी द्वारा सुनवाई का अवसर देगा और ऐसी सभी आपत्तियों को सुनने के पश्चात् और ऐसी अतिरिक्त जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझता है वह या तो धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित भूमि के या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट या ऐसी भूमि के विभिन्न टुकड़ों या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के सम्बन्ध में आपत्तियों पर अपनी सिफारिशों और उसके द्वारा की गई कार्यवाही के अभिलेख सहित विभिन्न रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को उसके विनिश्चय के लिए देगा ।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए वह व्यक्ति किसी भूमि में हितबद्ध समझा जाएगा जो प्रतिकर में हित का दावा करने का हकदार होता यदि भूमि या किसी ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकार इस अधिनियम के अधीन अर्जित कर लिए जाते हैं।

टिप्पण 3 : केन्द्रीय सरकार ने भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 4 अप्रैल, 1987 के पृष्ठ 1397 से 1400 पर प्रकाशित अधिसूचना सं० का०आ० 905, तारीख 20 मार्च, 1997 द्वारा कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता- 700001 को उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया है ।

अनुसूची

महान विद्युत परियोजना

भटगांव क्षेत्र

जिला सरगुजा (मध्य प्रदेश)

रेखांक सं० एस० ई० सी. एल०/बी०एम०पी०/जी०एम०/पी०ए०ल०जी०/भूमि/192

तारीख 2 सितम्बर, 1997

सभी अधिकार

क्रम सं०	ग्राम का नाम	ग्राम सं०	तहसील	जिला	क्षेत्र हैक्टर में	टिप्पणियां
1.	बिसाही	12	सूरजपुर	सरगुजा	18.028	भाग
2.	पोडी	09	सूरजपुर	सरगुजा	49.454	भाग
3.	कपसरा	15	सूरजपुर	सरगुजा	122.283	भाग
4.	दुर्ती	22	सूरजपुर	सरगुजा	2.016	भाग
5.	सेंधोपारा	21	सूरजपुर	सरगुजा	1.670	भाग

कुल : 193.451 हैक्टर (लगभग)

या

478.02 एकड़ (लगभग)

1. ग्राम बिसाटी (भाग) में अंजित किए जाने वाले प्लाट सं० :

245 (भाग), 255 (भाग), 259 (भाग), 260 (भाग), 358 (भाग), 359 (भाग), 360 (भाग), 361 (भाग), 362 (भाग), 363 (भाग), 364 (भाग), 365, 366 (भाग), 368 (भाग), 369 से 386 387 (भाग) 388, 389 (भाग), 390 (भाग), 391 (भाग), 408 (भाग), 409 (भाग), 410 से 413, 414 (भाग), 415 (भाग), 416 (भाग) ।

2. ग्राम पोडी (भाग) में अंजित किए जाने वाले प्लाट सं० :

1428 (भाग), 1433 (भाग), 1434 से 1439, 1440 (भाग), 1441 से 1454, 1455 (भाग), 1456 (भाग), 1466 (भाग), 1471 (भाग), 1472 (भाग), 1473 से 1476, 1477 (भाग), 1478 (भाग), 1479 (भाग), 1480, 1481 (भाग), 1482 (भाग), 1485 (भाग), 1486, 1487, 1488 (भाग), 1489 (भाग), 1490, 1491 (भाग), 1492 (भाग), 1493 (भाग), 1494, 1495, 1496 (भाग), 1497 (भाग), 1498 (भाग), 1499 (भाग) ।

3. ग्राम कपसरा (भाग) में अंजित किए जाने वाले प्लाट सं० :

1 से 11, 12 (भाग), 16 (भाग), 17 (भाग), 18 से 109, 110 (भाग), 11 से 124, 125 (भाग), 126, 127 (भाग), 128 (भाग), 129 (भाग), 131 (भाग), 132 (भाग), 133 (भाग), 134 (भाग), 135, 136 137 (भाग), 140 (भाग), 141, 142, 143 (भाग), 241 (भाग), 242 (भाग), 259 (भाग), 302 (भाग), 304, (भाग), 311 (भाग), 312 से 406, 407 (भाग), 408 (भाग), 409 (भाग), 411 (भाग), 412 से 417, 418 (भाग), 421 (भाग), 422 (भाग), 423, 424, 425 (भाग), 426 (भाग), 498 (भाग), 499 (भाग), 523 (भाग), 524 (भाग), 525 (भाग), 526 से 577, 578 (भाग), 579 से 592, 593 (भाग), 594 (भाग), 595 (भाग), 599 (भाग), 600 (भाग), 601 (भाग), 717, 718, 722, 723, 725, 727, 728 (भाग), 729, 730 ।

4. ग्राम दुर्ती (भाग) में अंजित किए जाने वाले प्लाट सं० :

576 (भाग)

5. ग्राम सेंधोपारा (भाग) में अंजित किए जाने वाले प्लाट सं० :

1 (भाग), 2 (भाग), 82 (भाग)

सीमा वर्णन

क — ख — ग — घ	रेखा कपसरा ग्राम में बिन्दु "क" से आरम्भ होती है और प्लाट सं० 242, 241, 259, 137, 134, 140, 143, 17, 16, 17, 12 से गुजरती है, तत्पश्चात् प्लाट सं० 414 415, 416, 409, 403, 389, 390, 387, 391, 363, 358, 359, 255, 260 से होकर ग्राम बिसाही में प्रवेश करती है और बिन्दु "घ" पर मिलती है ।
घ — ङ — च	रेखा ग्राम बिसाही से होकर जाती है और प्लाट सं० 260, 259, 255, 360, 361, 362, 245, 366, 368 से होकर ग्राम पोंडी में पहुंचती है और प्लाट सं० 1440, 1433, 1428, 1456, 1455 से गुजरती है और बिन्दु "च" पर मिलती है ।
च — छ	रेखा प्लाट सं० 1455, 1466, 1472, 1471, 1477, 1478, 1479, 1481, 1479, 1482, 1485, 1488, 1489, 1491, 1492, 1493, 1496, 1498, 1499, 1497 से होकर ग्राम पोंडी से गुजरती है, तत्पश्चात् ग्राम कपसारा में प्रवेश करती है और प्लाट सं० 578 से होकर जाती है इसके बाद ग्राम पोंडी और ग्राम कपसारा की संयुक्त सीमा के साथ भागतः आगे बढ़ती है और बिन्दु "छ" पर मिलती है ।
छ — ज	रेखा ग्राम कपसारा और दुर्ती की संयुक्त सीमा के साथ भागतः होकर जाती है, तत्पश्चात् ग्राम दुर्ती में प्रवेश करती है, और प्लाट सं० 576 से होकर गुजरती है और ग्राम दुर्ती और ग्राम सेंधोपारा की संयुक्त सीमा पर बिन्दु "ज" पर मिलती है ।
ज — क	रेखा प्लाट सं० 82, 1, 2 से होकर ग्राम सेंधोपारा में गुजरती है इसके पश्चात् प्लाट सं० 595, 494, 599, 593, 600, 601, 523, 525, 499, 498, 409, 408, 407 411, 418, 421, 422, 525, 426, 311, 304, 302, 125, 127, 129, 127, 128, 110, 131, 132, 133, 128, 137, 259, 242 से होकर ग्राम सेंधोपारा की ओर बढ़ती है और आरम्भिक बिन्दु "क" पर मिलती है ।

[सं० 43015/6/96-एल०एस०डब्ल्यू०]

जे० एल० मीना, निदेशक

New Delhi, the 18th December, 1997

S.O. 234.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Coal number S.O. 1405 dated the 24th April, 1996 issued under sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act) and published in the Gazette of India in Part II Section 3, sub-section (ii) dated the 11th May, 1996, the Central Government gave notice of the its intention to prospect for coal in 251.120 hectares (approximately) or 620.52 acres (approximately) of the lands in the locality specified in the Schedule annexed to that notification;

And whereas the Central Government is satisfied that coal is obtainable in a part of said land;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby gives notice of its intention to acquire the land measuring 193.451 hectares (approximately) or 478.02 acres (approximately) in all rights as described in the schedule appended hereto.

NOTE : 1. The plans bearing No. SECL/BSP/G (PLGM/Land/192 dated 2nd September, 1997 of the area covered by this notification may be inspected in the Office of the Collector, Surguja (Madhya Pradesh or in the Office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Calcutta or in the Office of the South Eastern Coalfields Limited, (Revenue Section; Seepat Road, Bilaspur-495 006 (Madhya Pradesh).

NOTE : 2. Attention is hereby invited to the provision of section 8 of the aforesaid Act, which provide as follows —

OBJECTION TO ACQUISITION :

8(1) Any person interested in any land in respect of which a notification under section 7 has been issued may within thirty days of the issue of the notification, object to the acquisition of the whole or any part of the land or of any rights in or over such land.

Explanation : It shall not be an objection within the meaning of this section for any person to say that he himself desires to undertake mining operations in the land for the production of coal and that such operations should not be undertaken by the Central Government or by any other person.

(2) Every objection under sub-section (1) shall be made to the competent authority in writing, and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by a legal practitioner and shall, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as he thinks necessary, either make a report in respect of the land which has been notified under sub-section (1) of section 7 or of rights in or over such land, or make different reports in respect of different parcels of such land or of rights in or over such land, to the Central Government, containing his recommendations on the objections, together with record of the proceedings held by him, for the decision of the Government.

(3) For the purpose of this section, a person shall be deemed to be interested in land who would be entitled to claim an interest in compensation, if the land or any rights in or over such land were acquired under this Act".

NOTE :. 3 The Coal Controller, 1, Council House Street, Calcutta, 700 001, has been appointed by the Central Government as the competent authority under Section 3, of the said Act, vide notification under S.O 905, dated the 20th March, 1987, published in Part II, Section 3, sub-section (ii) of the Gazette of India, dated the 4th April, 1987, at pages 1397 to 1400.

SCHEDULE

MAHAN OPEN CAST PROJECT

BHATGAON AREA

DISTRICT : SURGUJA (MADHYA PRADESH)

Plan No : SECL/BSP/GM(PLG)/LAND/192

dated 2nd September, 1997

ALL RIGHTS

Serial Number	Name of Village	Village	Tahsil	District	Area in hectare	Remarks
1.	Bisahi	12	Surajpur	Surguja	18.028	Part
2.	Podi	09	Surajpur	Surguja	49.454	Part
3.	Kapsara	15	Surajpur	Surguja	122.283	Part
4.	Durti	22	Pratappur	Surguja	2.016	Part
5.	Sendhopara	21	Pratappur	Surguja	1.670	Part

TOTAL : 193.451 Hectares (approximately) OR
478.02 Acres (Approximately)

1. Plot numbers to be acquired in village Bisahi (Part) :

245 (Part), 255 (Part), 259 (Part), 260 (Part), 358 (Part), 359 (Part), 360 (Part), 361 (Part), 362 (Part), 363 (Part), 364, 365, 366 (Part), 368 (Part), 369 to 386, 387 (Part), 388, 389 (Part), 390 (Part), 391 (Part), 408 (Part), 409 (Part), 410 to 413, 414 (Part), 415 (Part), 416 (Part).

2. Plot numbers to be acquired in Village Podi (Part) :

1428 (Part), 1433 (Part), 1434 to 1439, 1440 (Part), 1441 to 1454, 1455 (Part), 1456 (Part), 1466 (Part), 1471 (Part), 1472 (Part), 1473 to 1476, 1477 (Part), 1478 (Part), 1479 (Part), 1480, 1481 (Part), 1482 (Part) 1485 (Part), 1486, 1487, 1488 (Part), 1489 (Part), 1490, 1491 (Part), 1492 (Part), 1493 (Part), 1494, 1495 1496 (Part), 1497 (Part), 1498 (Part), 1499 (Part).

3. Plot numbers to be acquired in village Kapsara (Part) :

1 to 11, 12 (Part), 16 (Part), 17 (Part), 18 to 109, 110 (Part), 111 to 124, 125 (Part), 126, 127 (Part), 128 (Part), 129 (Part), 131 (Part), 132 (Part), 133 (Part), 134 (Part), 135, 136, 137 (Part), 140 (Part), 141' 142, 143 (Part), 241 (Part), 242 (Part), 259 (Part), 302 (Part), 304 (Part), 311 (Part), 312 to 406, 407 (Part), 408 (Part), 409 (Part), 411 (Part), 412 to 417, 418 (Part), 421 (Part), 422 (Part), 423, 424, 425 (Part), 426 (Part) 498 (Part) 499 (Part), 523 (Part), 524 (Part), 525 (Part), 526 to 577, 578 (Part), 579 to 592, 593 (Part), 594 (Part), 595, (Part), 599 (Part), 600 (Part), 601 (Part), 717, 718, 722, 723, 725, 727, 728 (Part), 729, 730.

4. Plot numbers to be acquired in village Durti (Part) :

576 (Part).

5. Plot numbers to be acquired in village Sendhopara (Part) :

1 (Part), 2 (Part) 82 (Part).

BOUNDARY DESCRIPTION :

A — B — C — D	Line starts from point 'A' in village Kapsara and passes through plot numbers 242, 241, 259, 137, 134, 140, 143, 17, 16, 17, 12, then enter in village Bisahi and passes through plot numbers 414, 415, 416, 409, 408, 339, 390, 387, 391, 363, 358, 359, 255, 259, 260 and meets at point 'D'.
D — E — F	Line passes in village Bisahi and passes through plot numbers 261, 259, 255, 360, 361, 362, 245, 366, 368, then proceeds in village Podi and passes through plot numbers 1440, 1433, 1428, 1456, 1455 and meets at point 'F'.
F — G	Line passes in village Podi through plot numbers 1455, 1466, 1472, 1471, 1477, 1478, 1479, 1481, 1479, 1482, 1485, 1488, 1489, 1491, 1492, 1493, 1496, 1493, 1499, 1497, then enter in village Kapsara and passes through plot number 578, then proceeds partly along the common boundary of villages Podi and Kapsara and meets at point 'G'.
G — H	Line passes partly along the common boundary of Kapsara and Durti, then enter in village Durti and passes through plot number 576 and meets on the common boundary of villages Durti and Sendhopara at point 'H'.
H — A	Line passes in village Sendhopara through plot numbers 82, 1, 2, then proceeds in village Kapsara through plot numbers 595, 594, 599, 593, 600, 601, 523, 524, 525, 499, 498, 409, 408, 407, 411, 418, 421, 422, 425, 426, 311, 304, 302, 125, 127, 129, 127, 128, 110, 131, 132, 133, 128, 137, 259, 242 and meets at starting point 'A'.

[No. 43015/6/96-LSW]

J. L. MEENA, Director

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय

(शहरी विकास विभाग)

(दिल्ली प्रभाग)

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 1998

का.आ. 235:— यतः निम्नांकित क्षेत्रों के बारे में कुछ संशोधन, जिन्हें केन्द्रीय सरकार अधोचिह्नित क्षेत्रों के बारे में दिल्ली बृहद योजना/क्षेत्रीय विकास योजना में प्रस्तावित करती है तथा जो दिल्ली विकास अधिनियम, 1956 (1957 का 61) की धारा 44 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 25-1-97 के नोटिस संख्या एफ. 20 (11) 95—एम पी द्वारा प्रकाशित किये गये थे जिसमें उक्त अधिनियम की धारा 11 ए की उपधारा (3) में अपेक्षित आपत्तियां/सुझाव, उक्त नोटिस की तारीख से 30 दिन की अवधि में आमंत्रित किये गये थे।

और यतः प्रस्तावित संशोधनों के बारे में जनता से कुछ आपत्तियां और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं और यतः केन्द्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद दिल्ली बृहद योजना में संशोधन करने का निर्णय लिया है।

अतः अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 11 ए की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दिल्ली की उक्त वृहत योजना में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :—

संशोधन :—

"दिनांक 1-8-90 के भारत के राजपत्र के भाग-II खण्ड-3 उप खण्ड (ii) के पृष्ठ 163 (आर एवं एस) पर "प्राइमरी विद्यालय" (081) शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित मानदंडों को बदलकर इस प्रकार किया जाए :—

विकलांगों के लिए विद्यालय (081ए)	
अधिकतम आच्छादित क्षेत्र	50%
अधिकतम पार्श्व क्षेत्र अनुपात	100
अधिकतम ऊंचाई	10 मीटर

[सं. के. 13011/14/96/डी डी I बी]

के. के. गुप्ता, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN AFFAIRS & EMPLOYMENT

(Department of Urban Development)

(DELHI DIVISION)

New Delhi, the 17th January, 1998

S.O. 235.—Whereas certain modifiations which the Central Govt. proposed to make in the Master Plan for Delhi/Zonal Development Plan regarding the area mentioned hereunder were published with Notice No. F. 20(11)95-MP date 25-1-97 in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1956 (61 of 1957), inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas no objections/suggestions were received with regard to the proposed modification and whereas the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi with effect from the date of Publication of this Notification in the Gazette of India.

MODIFICATION

"On page 163 (RHC) of the Gazette of India, Part-II section 3 sub-section (ii) date 1-8-90 substituting the note under the heading "Primary School" (081) by the following norms :

"School for handicapped (081A)	
Maximum Ground Coverage	50%
Maximum FAR	100
Maximum height	10MT

[No. K-13011/14/96-DDIB]
K. K. GUPTA, Under Secy.

जल भूतल परिवहन मंत्रालय

(नौवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 1998

का.आ. 236.—केन्द्र सरकार, दीपघर संबंधी केन्द्रीय सलाहकार समिति (प्रक्रिया) नियमावली, 1976 के नियम 3, 2 और 11 के साथ पठित दीपघर अधिनियम, 1927 (1927 की संख्या 17) की धारा 4 की उप-धारा (i) के अनुसरण में एतदद्वारा भारत सरकार, जल भूतल परिवहन मंत्रालय (नौवहन पक्ष) की दिनांक 14 मार्च, 1997 की अधिसूचना सं. एल एच-11016/2/96-एस एल में निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उक्त अधिसूचना में क्रम सं. 14 के बाद निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाए अर्थात् :—

"15. निदेशक (प्रचालन), —तट रक्षक के प्रतिनिधि
तट रक्षक

16. दीपघर एवं दीपपोत महानिदेशक
सदस्य-सचिव (पदेन)"

[फा.सं. एल एच-11016/2/96-एस एल]
आर.के. शर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Shipping Wing)

New Delhi, the 16th January, 1998

S.O. 236.—In pursuance of sub-section (i) of Section 4 of the Lighthouse Act, 1927 (No. 17 of 1927) read with rules 3, 4 and 11 of the Central Advisory Committee for Lighthouses (Procedural) Rules, 1976, the Central Government hereby makes the following amendments in the Government of India, Ministry of Surface Transport (Shipping Wing)'s notification No. LH-11016/2/96-SL dated 14th March, 1997 :—

In the said notification, after serial No. 14, the following entries shall be substituted, namely :—

"15. Director (Operation), Coast Guard.	—Representative of Coast Guard.
16. Director General of Lighthouses and Lightships, Member-Secretary (Ex-officio)."	

[F. No. LH-11016/2/96-SL]
R. K. SHARMA, Under Secy.

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 1997

का.आ. 237—सार्वजनिक परिसर (अनाधिकृत कब्जों की बेदखली) नियम, 1971 (1971 के 40) के अनुच्छेद 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार पारादीप फास्फेटस लिमिटेड, पारादीप, उड़ीसा के उप प्रबन्धक (प्रशासन) श्री पी.के. साहु को उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा एस्टेट अधिकारी नियुक्त करती है और इस उद्देश्य के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय (उर्वरक विभाग) के 18-6-91 की एस ओ 1876 को अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :

उक्त अधिसूचना की सारणी के कालम (1) में विद्यमान प्रविष्टियों में निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएं, अर्थात् :—

"श्री पी.के. साहु
उप प्रबन्धक (प्रशासन)
पारादीप फास्फेटस लिमिटेड,
पारादीप, उड़ीसा।"

(फा.सं. 124/4/97—एच आर I)
एस. के. दास, निदेशक (प्रशासन)

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Fertilizers)

New Delhi, the 22nd December, 1997

S.O. 237.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby appoints Shri P. K. Sahoo, Deputy Manager (Administration) Paradeep Phosphates Limited, Paradeep, Orissa to be an estate officer for the purposes of the said Act, and for that purpose makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture (Department of Fertilizers) number S.O. 1876, dated 18-6-1991, namely :—

In the said notification, in the TABLE, in column (1), for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely :—

"Sh. P. K. Sahoo,
Deputy Manager (Administration),
Paradeep Phosphates Limited,
Paradeep, Orissa."

[F. No. 124/4/97-HR-I]
S. K. DASH, Director (A)

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 1998

का.आ. 238.— चूंकि केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि जनहित में यह आवश्यक है कि कांडला गुजरात से लोनी उ.प्र. तक पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के लिए परिवहन के पाइप लाइन गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और चूंकि यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइन को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः, अब पैट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतदद्वारा घोषित करती है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड दर्पण बिल्डिंग, बरोदा को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड

बड़ोदा

अनुसूची

कांडला से लोनी तक एल.पी.जी. गैस पाइप लाइन

(कांदला से लखपत अनुभाग)

राज्य : गुजरात तालुका : रापर जिला : कच्छ

गांव	क्रमसं. ब्लाक सं.	एरिया		
		हैक्टेयर	आरे	सेन्टीआरे
चाराडो	549	0	06	56
	बैरन लैंड	0	42	95
	541	0	23	73
	542	0	27	43
	बैरन लैंड	0	17	09
	546/1	0	32	66
	बैरन लैंड	0	10	91
	547/1	0	12	26
	547/2	0	13	48
	बैरन लैंड	1	10	78
	596	0	06	77
	590	0	19	62
	591	0	27	09
	595	0	08	88
	594	0	22	35
	600/1	0	15	82
	600/2	0	07	91
	601	0	26	85
	602	0	33	08
	603/1	0	01	97

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	603/2	0	00	19
	503/3	0	10	53
	बैरन लैंड	0	10	31
	622	0	05	42
	623	0	35	95
	बैरन लैंड	1	62	98
	कुल	6	93	58
देवरखा	बैरन लेंड	0	23	08
	159/2	0	32	33
	बैरन लेंड	0	95	00
	153/1	0	22	33
	कार्ट ट्रैक	0	23	71
	152/1	0	21	10
	152/3	0	02	10
	151	0	18	52
	150	0	15	16
	146/1	0	01	66
	147	0	36	22
	बैरन लैंड	1	13	58
	एस.एच.-51	0	02	03
	बैरन लैंड	0	41	39
	122/5	0	18	51
	122/3	0	21	07
	122/2	0	10	67
	122/1	0	39	73
	121	0	21	99
	बैरन लैंड	0	24	50
	118	0	69	33
	119/1	0	02	42
	बैरन लैंड/स्ट्रीम	1	10	13
	101	0	42	48
	100/2	0	38	95
	स्ट्रीम	0	11	96
	99	0	35	96
	बैरन लैंड	1	26	18
	83/1	0	03	87
	81	0	61	99
	80	0	29	10
	79	0	19	49
	77/1	0	01	86
	76	0	16	69
	75	0	15	98
	73	0	10	37
	74/1	0	34	50
	74/2	0	20	20
	कुल	12	36	11

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सांई	418/3	0	19	68
	419	0	58	33
	436	0	26	22
	435	0	38	32
	433	0	18	75
	430	0	40	49
	429/3	0	04	40
	स्ट्रीम	0	25	06
	354	0	19	83
	358/1	0	24	74
	358/2	0	05	23
	360/1	0	11	99
	360/2	0	09	60
	361	0	03	02
	363/1	0	34	93
	364/1	0	09	87
	कार्ट ट्रैक	0	02	88
	345/1	0	14	57
	344	0	41	94
	341	0	41	54
	187	0	17	58
	185	0	17	61
	184	0	34	54
	183	0	11	59
	160/1	0	41	41
	161	0	18	36
	162	0	09	29
	178	0	08	21
	164	0	93	98
	125	0	48	35
	122	0	15	87
	119/1	0	16	91
	118	0	32	45
	112	0	08	79
	115/1	0	05	08
	115/2	0	21	47
	113	0	22	18
	बैरन. लैंड	0	05	55
	कुल	8	80	80
आम्रेशर	बैरन लैंड	0	97	35
	597/1	0	36	40
	बैरन लैंड/रोड	0	20	47
	596/1	0	05	28
	बैरन लैंड	0	60	27
	553/1	0	46	84
	592	0	11	15

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ग्रादेशर	593/1	0	70	65
	560	0	16	14
	561	0	39	08
	581	0	06	29
	569	0	43	36
	568	0	18	89
	563/2	0	23	63
	567	0	05	29
	566	0	01	52
	565	0	35	52
	बैरन/रोड	1	06	84
	496	0	12	07
	493	0	41	06
	492	0	29	43
	491	0	13	64
	482/2	0	02	08
	490	0	26	71
	489	0	12	11
	488	0	30	63
	स्ट्रीम	0	43	06
	462	0	38	63
	स्ट्रीम	0	00	12
	458	0	78	47
	461	0	28	65
	बैरेन लैंड	0	18	46
	459/2	0	18	46
	बैरन लैंड	1	20	25
	कुल	11	63	80
लखपत	कार्ट ट्रैक	0	07	88
	96	0	24	50
	92	0	06	90
	96	0	43	21
	स्ट्रीम	0	03	14
	96	0	11	92
	87	0	20	35
	कुल	1	17	90
कंडीला नगर	1099	0	35	77
	1100	0	03	98
	1101/2	0	04	18
	1101/1	0	34	36
	बैरन लैंड	0	34	75
	1103/2	0	11	05
	बैरन लैंड	0	00	73

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
कडीया नगर	1103/1	0	20	91
	1105	0	31	23
	1107/1	0	30	73
	1101/1	0	00	43
	1114	0	12	80
	1113	0	28	21
	1115/3	0	01	25
	1112/2	0	39	90
	गोयली नाला	0	25	18
	1059	0	17	84
	1060/1	0	32	57
	1060/2	0	20	28
	1027	0	03	95
	1028/1	0	35	39
	कार्ट ट्रैक	0	03	21
	1024	0	15	81
	1023/4	0	02	96
	कार्ट ट्रैक	0	07	74
	1006/2	0	53	39
	1008	0	30	51
	1010/2	0	11	69
	1010/1	0	19	73
	स्ट्रीम	0	21	77
	979/1	0	10	35
	981	0	00	64
	984/2	0	19	19
	982	0	15	30
	972	0	01	16
	983	0	19	09
	स्ट्रीम	0	06	24
	970/1	0	02	32
	970/2	0	19	02
	स्ट्रीम	0	09	14
	969	0	29	16
	967/1	0	32	73
	967/2	0	28	50
	बैरन लैंड	0	11	26
	768	0	20	62
	771	0	24	20
	बैरन लैंड	0	21	80
	775/2	0	11	70
	775/1	0	14	79
	स्ट्रीम	0	06	95
	774/3	0	16	31
	बैरन लैंड	0	77	37
	785	0	76	45
	बैरन लैंड	0	27	91
	728/3	0	17	60
	728/1	0	00	37

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
कडीया नगर	बैरन लैंड	0	18	83
	729/1	0	02	81
	729/2	0	05	61
	मेटलड रोड	0	02	31
	395/2	0	32	66
	394/1	0	00	32
	395/1	0	26	90
	396	0	23	14
	स्ट्रीम	0	08	19
	398	0	16	59
	403	0	11	63
	401/1	0	21	74
	401/2	0	19	71
	437/3	0	10	53
	बैरन लैंड	0	53	90
	कुल	13	67	34
वेकरा	बैरन लैंड	0	02	13
	63	0	44	27
	बैरन लैंड	0	31	56
	64	0	00	06
	स्ट्रीम	0	04	39
	बैरम लैंड	0	61	33
	106/1	0	42	01
	105	0	28	67
	104	0	11	02
	98/2	0	23	22
	95/1	0	39	33
	94	0	53	05
	बैरम लैंड	0	24	31
	85	0	43	11
	बैरन लैंड	0	19	62
	89	0	13	51
	बैरन लैंड	0	77	50
	कुल	5	19	09
भीमासार	960/1	0	39	02
	959	0	01	94
	956/1	0	18	41
	956/2	0	07	98
	956/3	0	11	31
	954/2	0	24	87
	955	0	10	73
	919/1	0	49	86
	919/2	0	03	33
	894/1	0	27	38
	894/2	0	07	30

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
भीमसमुद्र	898/2	0	25	10
	896/1	0	23	19
	892/1	0	30	53
	सरकारी लैंड	0	12	19
	कार्ट ट्रैक	0	17	38
	890/2	0	00	13
	889	0	17	81
	888/1	0	20	66
	888/2	0	12	89
	बैरन लैंड	0	27	26
	बैरन लैंड	0	00	91
	स्ट्रीम	0	08	64
	बैरन लैंड	0	00	23
	886	0	13	40
	बैरन लैंड रोड	0	53	07
	884/2	0	03	66
	883/1	0	08	13
	883/2	0	13	20
	882/1	0	06	07
	882/2	0	18	31
	880	0	62	89
	881/2	0	00	01
	878/1	0	53	37
	बैरन लैंड	0	01	18
	878/2	0	50	83
	बैरन लैंड	1	58	96
	875	0	00	23
	872/1	0	23	79
	872/2	0	19	06
	872/3	0	45	89
	872/4	0	19	00
	871/1	0	18	66
	871/2	0	09	69
	871/3	0	11	07
	871/4	0	08	95
	870	0	30	43
	बैरन लैंड	0	00	35
	869	0	48	64
	बैरन लैंड	0	09	06
	866/1	0	02	41
	866/3	0	19	27
	866/2	0	08	45
	865	0	16	53
	864/1	0	00	43
	864/2	0	00	37
	863/3	0	36	42
	863/1	0	11	52

1	2	3	4	5
भीमासार—जारी	863/2	0	01	26
	862/4	0	12	98
	862/1	0	17	09
	862/3	0	08	52
	859	0	03	34
	861/3	0	00	19
	कार्ट ट्रेक	0	22	00
	2186/2	0	12	79
	21861/1	0	09	23
	कार्ट ट्रैक बैरन	0	12	55
	2189	0	04	03
	बैरन लैंड	0	48	02
	2184/2	0	01	44
	2188/1	0	11	90
	स्ट्रीम	0	06	42
	2185/2	0	39	34
	2185/1	0	07	21
	2183/1	0	13	39
	2182	0	17	40
	कार्ट ट्रैक	0	04	89
	2179/4	0	13	47
	2179/3	0	09	56
	2179/2	0	07	22
	2174/3	0	11	39
	2174/1	0	11	39
	कौर्ट ट्रैक	0	03	19
	2173/1	0	12	82
	2173/2	0	02	49
	2172/4	0	08	97
	2170	0	04	76
	2169	0	05	11
	2170/1	0	09	93
	2160/2	0	08	52
	2161/1	0	00	26
	कार्ट ट्रैक	0	04	64
	2158/3	0	00	09
	2154/1	0	09	01
	2155/2	0	10	94
	2155/1	0	00	03
	2156/2	0	03	74
	2156/1	0	06	48
	2140/1	0	18	28
	2142/1	0	00	32
	2142/3	0	10	93
	2142/2	0	06	90
	2142/3	0	03	90
	स्ट्रीम	0	03	59

1	2	3	4	5
भीमासार---जारी	2133/2	0	04	22
	2133/1	0	10	42
	2131/2	0	08	63
	2131/3	0	15	81
	बैरम लैंड	0	12	73
	2125/2	0	00	48
	2124	0	26	11
	2123/1	0	09	37
	स्ट्रीम	0	09	52
	2093/1	0	10	02
	2094	0	13	91
	2095/1	0	04	30
	2095/2	0	05	43
	2097/2	0	10	23
	2097/1	0	07	05
	2098/2	0	04	64
	कार्ट ट्रेक	0	12	96
	2085/3	0	05	05
	2084	0	23	11
	2083/2	0	23	15
	2083/1	0	29	41
	स्ट्रीम	0	04	96
	2081/7	0	18	78
	2081/6	0	07	79
	2081/5	0	17	86
	2080/6	0	18	40
	2078/1	0	12	26
	2078/2	0	06	88
	2076/1	0	17	32
	2074/5	0	18	92
	2073/5	0	16	39
	2070/6	0	10	42
	2070/7	0	12	34
	2070/1	0	38	80
	2067/2	0	13	77
	2067/1	0	20	37
	2066	0	19	77
	कुल	21	28	06

1	2	3	4	5
लाखागढ़	147	0	48	18
	135	0	00	15
	149/1	0	03	77
	134	0	36	49
	133/1	0	22	63
	मेटलड रोड : एस एच :	0	06	80
	154/2	0	02	21
	154/4	0	00	07
	154/3	0	14	93
	163/3	0	20	29
	162	0	31	12
	161/2	0	15	35
	स्ट्रीम	0	09	30
	165/3	0	14	28
	164/3	0	00	32
	171	0	48	67
	165/1	0	26	67
	172/1	0	01	65
	कार्ट ट्रेक	0	04	39
	432	0	53	72
	180/1	0	84	91
	180/2	0	05	98
	432	0	30	61
	66/2	0	11	96
	432	0	99	63
	73	0	64	63
	75	0	00	69
	72	0	32	23
	कार्ट ट्रेक	0	02	03
	76/1	0	03	00
	76/2	0	22	90
	432	0	44	90
	51	0	13	92
	432	0	22	26
	53	0	21	23
	स्ट्रीम	0	03	73
	48	0	23	53
	47/2	0	12	44
	47/1	0	15	36
	432	0	84	98
	कुल	9	61	81

[सं. एल—14016/04/97—जी पी.]

आई. एस. एन. प्रसाद, उप सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS

New Delhi, the 19th January, 1998.

S.O. 238.—whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum and Natural Gas from Kandla Gujarat to Loni in U.P. State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

AND WHEREAS it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the ritght of user in the land described to the schedule annexed hereto :

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

PROVIDED THAT any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification , object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority Gas Authority of Inida Ltd. Darpan Building, Vadodara.

AND every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

GAS AUTHORITY OF INDIA LTD. BARODA
LPG GAS PIPELINE FROM KANDLA TO LONI
(KANDLA TO LAKHPAT SECTION)

State : Gujarat Taluka : Rapar District : Kutch

Village	Sr. No. Block No.	Area		
		Hectare	Are.	Centiare
1	2	3	4	5
Chitrod	Barren Land	0	42	95
	541	0	23	73
	549	0	06	56
	542	0	27	43
	Barren Land	0	17	09
	546/1	0	32	66
	Barren Land	0	10	91
	547/1	0	12	26
	547/2	0	13	48
	Barren Land	1	10	78
	596	0	06	77
	590	0	19	62
	591	0	27	09
	595	0	08	88
	594	0	22	35
	600/1	0	15	82
	600/2	0	07	91
	601	0	26	85
	602	0	33	08
	603/1	0	01	97
	603/2	0	00	19
	603/3	0	10	53
	Barren Land	0	10	31
	622	0	05	42
	623	0	35	96
	Barren Land	1	62	98
	Total	6	93	58

1	2	3	4	5
Dedarwa	Barren Land	0	23	08
	159/2	0	32	33
	Barren Land	0	95	00
	153/1	0	22	33
	Cart Track	0	23	71
	152/1	0	21	10
	152/3	0	02	10
	151	0	18	52
	150	0	15	16
	146/1	0	01	66
	147	0	36	22
	Barren Land	1	13	55
	SH-51	0	02	03
	Barren Land	0	41	39
	122/5	0	18	51
	122/3	0	21	07
	122/2	0	10	67
	122/1	0	39	73
	121	0	21	99
	Barren Land	0	24	50
	118	0	69	33
	119/1	0	02	42
	Barren Land/Stream	1	10	13
	101	0	42	48
	100/2	0	38	95
	Stream	0	11	96
	99	0	35	96
	Barren Land	0	26	18
	83/1	0	03	87
	81	0	61	99
	80	0	29	10
	79	0	19	49
	77/1	0	01	86
	76	0	16	69
	75	0	15	98
	73	0	10	37
	74/1	0	34	50
	74/2	0	20	20
	Total	12	36	11
SAI	418/3	0	19	68
	419	0	58	33
	436	0	26	22
	435	0	38	32
	433	0	18	75
	430	0	40	49
	429/3	0	04	40
	Stream	0	25	06
	354	0	19	83
	358/1	0	24	74
	358/2	0	05	23
	360/1	0	11	99
	360/2	0	09	60

1	2	3	4	5
Sai—Contd.	361	0	03	02
	363/1	0	34	93
	364/1	0	09	87
	Cart Track	0	02	88
	345/1	0	14	57
	344	0	41	94
	341	0	41	54
	187	0	17	58
	185	0	17	61
	184	0	34	54
	183	0	11	59
	160/1	0	41	41
	161	0	18	36
	162	0	09	29
	178	0	08	21
	164	0	93	98
	125	0	48	35
	122	0	15	87
	119/1	0	16	91
	118	0	32	45
	112	0	08	79
	115/1	0	05	08
	115/2	0	21	47
	113	0	22	18
	Barren Land	0	05	55
	Total	8	80	80
Adesar	Barren Land	0	97	35
	597/1	0	36	40
	Barren Land/Road	0	25	47
	596/1	0	05	28
	Barren Land	0	60	27
	553/1	0	46	84
	592	0	11	15
	593/1	0	70	65
	560	0	16	14
	561	0	39	08
	581	0	06	29
	569	0	48	36
	568	0	18	89
	563/2	0	23	63
	567	0	05	29
	566	0	01	52
	565	0	35	52
	Barren/Road	1	06	84
	496	0	12	07
	493	0	41	06
	492	0	29	43
	491	0	13	64
	482/2	0	02	08
	490	0	26	71
	489	0	12	11

1	2	3	4	5
Adesar—Contd.	488	0	30	63
	Stream	0	43	06
	462	0	38	63
	Stream	0	00	12
	458	0	78	47
	461	0	28	65
	Barren Land	0	18	46
	459/2	0	18	46
	Barren Land	1	20	25
	Total	11	63	80
Lakhpat	Cart Track	0	07	88
	96	0	24	50
	92	0	06	90
	96	0	43	21
	Stream	0	03	14
	96	0	11	92
	87	0	20	35
	Total	1	17	90
Kadiyanagar	1099	0	35	77
	1100	0	03	98
	1101/2	0	04	18
	1101/1	0	34	36
	Barrren Land	0	34	75
	1103/2	0	11	05
	Barren Land	0	00	73
	1103/1	0	20	91
	1105	0	31	23
	1107/1	0	30	73
	1110/1	0	00	43
	1114	0	12	80
	1113	0	28	21
	1115/3	0	01	25
	1112/2	0	39	90
	Goyli Nala	0	25	18
	1059	0	17	84
	1060/1	0	32	57
	1060/2	0	20	28
	1027	0	03	95
	1028/1	0	35	39
	Cart Track	0	03	21
	1024	0	15	81
	1023/4	0	02	96
	Cart Track	0	07	74
	1006/2	0	53	39
	1008	0	30	51
	1010/2	0	11	69
	1010/1	0	19	73
	Stream	0	21	77
	979/1	0	10	35
	981	0	00	64

1	2	3	4	5
Kadiyanagar—Contd.	984/2	0	19	19
	982	0	15	30
	972	0	01	16
	983	0	19	09
	Stream	0	06	24
	970/1	0	02	32
	970/2	0	19	02
	Stream	0	09	14
	969	0	29	16
	967/1	0	32	73
	967/2	0	28	50
	Barren Land	0	11	26
	768	0	20	62
	771	0	24	20
	Barren Land	0	21	80
	775/2	0	11	70
	775/1	0	14	79
	Stream	0	06	95
	774/3	0	16	31
	Barren Land	0	77	37
	785	0	76	45
	Barren Land	0	27	91
	728/3	0	17	60
	728/1	0	00	37
	Barren Land	0	18	83
	729/1	0	02	81
	729/2	0	05	61
	Matalled Road	0	02	31
	395/2	0	32	66
	394/1	0	00	32
	395/1	0	26	90
	396	0	23	14
	Stream	0	08	19
	398	0	16	59
	403	0	11	63
	401/1	0	21	74
	401/2	0	19	71
	437/3	0	10	53
	Barren Land	0	53	90
	Total	13	67	34
Vekara	Barren Land	0	02	13
	63	0	44	27
	Barren Land	0	31	56
	64	0	00	06
	Stream	0	04	39
	Barren Land	0	61	33
	106/1	0	42	01
	105	0	28	67
	104	0	11	02
	98/2	0	23	22
	95/1	0	39	33
	94	0	53	05
	Barren Land	0	24	31

1	2	3	4	5
Vakara—Contd.	85	0	43	11
	Barren Land	0	19	62
	89	0	13	51
	Barren Land	0	77	50
	TOTAL	5	19	09
Bhimasar	960/1	0	39	02
	959	0	01	94
	956/1	0	18	41
	956/2	0	07	98
	956/3	0	11	31
	954/2	0	24	87
	955	0	10	73
	919/1	0	49	86
	919/2	0	03	33
	894/1	0	27	38
	894/2	0	07	30
	893/2	0	25	10
	896/1	0	23	19
	892/1	0	30	53
	Govt. Land	0	12	19
	Cart Track	0	17	38
	890/2	0	00	13
	889	0	17	81
	888/1	0	20	66
	888/2	0	12	89
	Barren Land	0	27	26
	Barren Land	0	00	91
	Stream	0	08	64
	Barren Land	0	00	23
	886	0	13	40
	Barren Land/Rd.	0	53	07
	884/2	0	03	66
	883/1	0	08	13
	883/2	0	13	20
	882/1	0	06	07
	882/2	0	18	13
	880	0	62	89
	881/2	0	00	01
	878/1	0	53	37
	Barren Land	0	01	18
	878/2	0	50	83
	Barren Land	1	58	96
	875	0	00	23
	872/1	0	23	79
	872/2	0	19	06
	872/3	0	45	89
	872/4	0	19	00
	871/1	0	18	66
	871/2	0	09	69
	871/3	0	11	07
	971/4	0	08	95
	870	0	30	43

1	2	3	4	5
	Barren Land	0	00	35
	869	0	48	64
	Barren Land	0	09	06
	866/1	0	02	41
	866/3	0	19	27
	866/2	0	08	45
	865	0	16	53
	864/1	0	00	43
	864/2	0	00	37
	863/3	0	36	42
	863/1	0	11	52
	863/2	0	01	26
	862/4	0	12	98
	862/1	0	17	09
	862/3	0	08	52
	859	0	03	34
	861/3	0	00	19
	Cart Track	0	22	00
	2186/2	0	12	79
	2186/1	0	09	23
	Cart Track, Barren	0	12	55
	2189	0	04	03
	Barren Land	0	48	02
	2188/2	0	01	44
	2188/1	0	11	90
	Stream	0	06	42
	2185/2	0	39	34
	2185/1	0	07	21
	2183/1	0	13	39
	2182	0	17	40
	Cart Track	0	04	89
	2179/4	0	13	47
	2179/3	0	09	56
	2179/2	0	07	22
	2174/3	0	11	39
	2174/1	0	11	39
	Cart Track	0	03	19
	2173/1	0	12	82
	2173/2	0	02	49
	2172/4	0	08	97
	2170/3	0	04	76
	2169	0	05	11
	2170/1	0	09	93
	2160/2	0	08	52
	2161/1	0	00	26
	Cart Track	0	04	64
	2158/3	0	00	09
	2154/1	0	09	01
	2155/2	0	10	94
	2155/1	0	00	03
	2156/2	0	03	74
	2156/1	0	06	48
	2140/1	0	18	28
	2142/1	0	00	32
	2142/3	0	10	93
	2142/2	0	06	90
	2142/3	0	03	90

1	2	3	4	5
	Stream	0	03	59
	2133/2	0	04	22
	2133/1	0	10	42
	2131/2	0	08	63
	2131/3	0	15	81
	Barren Land	0	12	73
	2125/2	0	00	48
	2124	0	26	11
	2123/1	0	09	37
	Stream	0	09	52
	2093/1	0	10	02
	2094	0	13	91
	2095/1	0	04	30
	2095/2	0	05	43
	2097/2	0	10	23
	2097/1	0	07	05
	2098/2	0	04	64
	Cart Track	0	12	96
	2085/3	0	05	05
	2084	0	23	11
	2083/2	0	23	15
	2083/1	0	29	41
	Stream	0	04	96
	2081/7	0	18	78
	2081/6	0	07	79
	2081/5	0	17	86
	2080/6	0	18	40
	2078/1	0	12	26
	2078/2	0	06	88
	2076/1	0	17	32
	2074/5	0	18	92
	2073/5	0	16	39
	2070/6	0	10	42
	2070/7	0	12	34
	2070/1	0	38	80
	2067/2	0	13	77
	2067/1	0	20	37
	2066	0	19	77
	Total	21	28	06
	147	0	48	18
Lakhagadh	135	0	00	15
	149/1	0	03	77
	134	0	36	49
	133/1	0	22	63
	Metalled Road (S.H.)	0	06	80
	154/2	0	02	21
	154/4	0	00	07
	154/3	0	14	93
	163/3	0	20	29
	162	0	31	12
	161/2	0	15	35
	Stream	0	09	30
	165/3	0	14	28
	164/3	0	00	32
	171	0	48	67

1	2	3	4	5
Lakhagadh (Contd.)	165/1	0	26	67
	172/1	0	01	65
	Cart Track	0	04	39
	432	0	53	72
	180/1	0	84	91
	180/2	0	05	98
	432	0	30	61
	66/2	0	11	96
	432	0	99	63
	73	0	64	63
	75	0	00	69
	72	0	32	23
	Cart Track	0	02	03
	76/1	0	03	00
	76/2	0	22	90
	432	0	44	90
	51	0	13	92
	432	0	22	26
	53	0	21	23
	Stream	0	03	73
	48	0	23	53
	47/2	0	12	44
	47/1	0	15	36
	432	0	84	98
	Total	0	61	81

[No. L-14016/04/97-GP]

I.S.N. PRASAD, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 1998

का. आ. 239 :—चूंकि केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि जनहित में यह आवश्यक है कि कांडला गुजरात से लोनी उ. प्र. तक पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाइपलाइन गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा बिछाई जानी चाहिए ;

और चूंकि यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइन को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ;

अतः, अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित करती है ;

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, दर्पण बिल्डिंग, वडोदरा को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ;

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड

बड़ौदा

अनुसूची

कांदला से लोनी तक एल. पी. जी. गैस पाइप लाइन

(कांदला से लखपत अनुभाग)

राज्य : गुजरात तालुका : भचाउ जिला : कच्छ

गांव	फक सं. ब्लॉक सं.	एरिया		
		हेक्टेयर	आरे	सेंटीआरे
01	02	03	04	05
शीवलखा	718/2	0	06	09
	स्ट्रीम	0	17	54
	717	0	29	93
	716	0	18	23
	705/2	0	02	61
	स्ट्रीम	0	03	05
	बैरन लैंड	0	10	97
	712	0	16	02
	707/2	0	00	65
	707/3	0	09	12
	707/4	0	15	32
	711/1	0	01	58
	708	0	24	63
	699/2	0	10	76
	699 1	0	16	34
	695/2	0	19	35
	695/1	0	24	93
	बैरन लैंड	0	19	09
	बैरन लैंड	0	03	33
	692/2	0	41	88
	691	0	00	66
	बैरन लेंड	0	00	18
	खारी नदी	0	11	18
	सरकारी लैंड	0	18	02
	597	0	18	97
	389/1	0	01	84
	सरकारी लैंड	0	10	44
	388	0	69	66
	सरकारी लेंड	0	09	84
	375	0	24	73
	377/2	0	06	87
	376	0	02	65
	377/1	0	43	49
	379	0	27	01
	380	0	46	95
	382	0	00	75
	381	0	20	30
	362	0	29	07
	363	0	50	02
	359	0	18	22
	358	0	10	80
	359	0	29	59
	358	0	11	43
	स्ट्रीम	0	09	28

1	2	3	4	5
पीपलखा—जारी	603	0	12	75
	सरकारी लैंड	0	83	84
	353/1	0	22	04
	352	0	27	80
	स्ट्रीम	0	24	22
	320	0	25	11
	321/1	0	04	85
	321/2	0	25	27
	322	0	08	35
	323	0	39	23
	324	0	25	91
	अनमेग्रल्ड रोड	0	11	56
	346/2	0	22	96
	346/3	0	09	47
	346/1	0	3	46
	344/2	0	48	48
	344/4	0	01	54
	344/2	0	09	04
	344/1	0	33	05
	343	0	09	69
	342/2	0	29	73
	342/4	0	27	99
	सरकारी लैंड	0	25	83
	340/2	0	20	83
	340/1	0	28	26
	सरकारी लैंड	0	19	07
सीअनआ	280	0	06	57
	279/2	0	30	97
	278	0	39	78
	277	0	00	22
	सरकारी लैंड	0	08	32
	कुल	14	84	56
भखाउ	1202	0	27	61
	1203/1	0	41	61
	1199	0	50	66
	1197/2	0	10	57
	बैरन लैंड/स्ट्रीम	0	21	05
	1219	0	45	41
	1248	0	12	79
	1257	0	18	05
	1256	0	42	88
	बैरन लैंड	0	27	20
	1262	0	22	38
	बैरन लैंड	0	38	66
	1253	0	09	05
	बैरन लैंड	0	15	80
	1265	0	62	95
	1268	0	19	03
	1267	0	15	57
	बैरन लैंड/स्ट्रीम	0	77	29
	1364	0	53	30
	1374	0	35	40
	1372	0	31	96

1	2	3	4	5
भखाउ-जारी	1371	0	35	34
	बैरन लैंड	0	26	56
	1483/2	0	06	84
	1483/1	0	32	91
	1482	0	47	37
	1480	0	35	29
	1606	0	11	06
	1607	0	13	55
	1607/1	0	22	77
	बैरन लैंड	0	00	01
	गोचर लैंड	0	35	60
	नदी	0	05	08
	बैरन लैंड	0	07	07
	1649	0	44	21
	कार्ट ट्रैक	0	02	05
	1647	0	42	00
	1652	0	20	03
	1646	0	47	83
	बैरन लैंड	0	20	72
	1799/2	0	20	84
	गोचर लैंड	0	28	48
	1798/2	0	16	69
	बैरन लैंड	0	07	98
	कार्ट ट्रैक	0	03	90
	1795	0	27	29
	1790	0	33	33
	1781	0	07	33
	रीझर्व्ड जंगल	0	60	19
	1767	0	19	36
	कार्ट ट्रैक	0	01	76
	1868	0	25	26
	1865	0	21	28
	1864	0	31	55
	ओपन लैंड (गोचर)	0	42	10
	1831	0	29	98
	1832/1	0	13	32
	1833	0	32	41
	1835/2	0	28	44
	1835/1	0	18	76
	बैरन लैंड	0	07	59
	कुल	16	91	04
बोन्ध	स्ट्रीम	0	04	15
	1421	0	11	64
	860	0	36	15
	1421	0	40	90
	806	0	09	07
	810	0	16	97
	1421	0	72	30
	815/2	0	01	14
	816/2	0	08	23
	816/3	0	12	09

1	2	3	4	5
बान्ध—जारी	816/5	0	17	53
	817	0	29	60
	1421	0	11	45
	818/2	0	11	86
	1421	0	14	48
	1393	0	42	65
	1395	0	09	29
	1421	1	47	63
	1416	0	27	88
	कार्ट ट्रैक	0	06	06
	1405	0	00	14
	1404	0	21	52
	1403/1	0	53	43
	1403/2	0	16	53
	1410	0	07	06
	कारा-वोश्का नदी	0	30	29
	1410	0	06	99
	कुल	10	67	03
छदवाला	बैरन लैंड	0	38	55
	कारा-वोश्का नदी	0	17	67
	798	0	46	95
	797	0	42	55
	800	0	10	65
	स्ट्रीम	0	20	71
	799	0	08	70
	स्ट्रीम	0	04	03
	810	0	21	92
	809	0	12	01
	811	0	04	66
	812	0	46	33
	837	0	05	59
	836	0	36	17
	835/1	0	13	76
	832/2	0	11	84
	832/1	0	07	84
	819	0	06	88
	831	0	09	45
	823	0	24	79
	827	0	33	77
	824	0	26	02
	मीटाल्ड रोड	0	02	01
	825	0	32	99
	कार्ट ट्रैक	0	03	35
	567	0	19	45
	566	0	43	67

1	2	3	4	5
छदवाला-जारी	505	0	26	58
	500	0	36	96
	506	0	55	98
	507/1	0	18	61
	499	0	28	09
	497	0	22	82
	498	0	00	73
	कार्ट ट्रेक	0	06	33
	496	0	00	55
	495	0	28	06
	487	0	59	94
	476	0	20	37
	477	0	21	31
	484	0	32	14
	483	0	23	21
	482	0	15	24
	480	0	24	05
	481	0	33	80
	बैरन हैड	0	12	59
	अनएच-8अ	0	02	64
	सरकारी लैंड	0	25	64
	वैस्टर्न रेलवे	0	02	03
	593	0	15	30
	कार्ट ट्रेक	0	04	19
	594	0	39	89
	596	0	31	48
	595	0	01	16
	597	0	31	81
	कुल	11	74	11
समखी अली	245/1	0	33	85
	245/2	0	21	90
	244	0	00	13
	259	0	75	49
	250	0	00	25
	कार्ट ट्रेक	0	03	72
	216	0	17	05
	199	0	03	40
	201	0	30	89
	202	0	33	57
	195	0	22	94
	194	0	28	62
	कार्ट ट्रेक	0	02	63
	137	0	22	44
	135	0	35	46
	134	0	31	88
	133	0	01	76

1	2		3	4	5
समखी अली—जारी	132		0	30	03
	131		0	18	19
	130		0	63	71
		कुल	04	77	91
धरना	195		0	19	02
	158		0	28	66
	194		0	02	25
	159/1		0	26	47
	157		0	25	11
	160		0	50	58
	152		0	24	18
	153		0	24	99
	151/1		0	09	49
	131		0	11	35
	151/2		0	13	79
	132		0	16	90
	148/2		0	15	13
	145		0	72	32
	139		0	04	13
	138		0	51	16
	119		0	17	59
	121/1		0	05	41
	120		0	32	80
	66		0	23	14
	67		0	17	75
	ग्रनमेटल्ड रोड		0	02	60
	64		0	47	27
	63		0	17	85
	स्ट्रीम		0	05	99
	54/1		0	17	72
	55/2		0	21	43
	55/1		0	19	85
	असफाल्टेड रोड		0	04	27
	20		0	44	70
	21		0	23	00
	15		0	13	87
	स्ट्रीम		0	03	12
		कुल	07	13	89
लधडिया	715		0	25	28
	713		0	13	14
	714		0	31	08
	718		0	46	69

1	2	3	4	5
लकड़िया—जारी	कार्ट ट्रेक	0	02	92
	720	0	07	99
	पोन्ड	0	01	76
	719	0	26	18
	कार्ट ट्रेक	0	03	05
	735	0	36	63
	736	0	44	55
	743/2	0	11	68
	738	0	16	73
	740	0	23	43
	741	0	14	04
	750	0	19	91
	751	0	13	87
	752	0	59	22
	759/1	0	00	05
	757	0	06	90
	758	0	11	72
	771	0	28	65
	770	0	00	55
	769	0	58	11
	770	0	01	04
	775	0	05	09
	776/1	0	19	93
	776/2	0	12	76
	777/2	0	02	80
	784	0	18	74
	785/1	0	17	69
	786	0	40	79
	787	0	22	19
	788/1	0	27	59
	788/2	0	19	73
	799/2	0	06	34
	कार्ट ट्रेक	0	09	64
	828	0	24	42
	बैरन लैंड	0	01	25
	827	0	06	75
	826/3	0	24	15
	826/2	0	08	29
	825/2	0	16	09
	825/1	0	21	25
	823	0	20	21
	कार्ट ट्रेक	0	03	04
	1082	0	03	30
	1083	0	36	49
	1084/1	0	17	14
	1093	0	01	45
	1092/2	0	12	34

1	2	3	4	5
लकडिया–जार्री	1092/1	0	14	29
	1091/1	0	12	42
	1091/2	0	11	38
	1091/3	0	06	83
	1091/4	0	07	30
	कार्ट ट्रेक	0	02	43
	1149	0	26	43
	1050/1	0	27	51
	1150/2	0	03	23
	1151/2	0	00	01
	1152	0	26	07
	1153	0	00	35
	1159	0	37	30
	कार्ट ट्रक	0	09	68
	1167	0	14	14
	1168	0	28	57
	कुल	11	67	48
चांपडया	स्ट्रीम	0	03	54
	326	0	26	37
	325	0	05	41
	327/1	0	21	79
	291	0	49	73
	290	0	25	47
	कार्ट ट्रेक	0	00	50
	कुल	1	32	81
मोटीचीराइ	बैरन लैंड	0	08	65
	546	0	07	50
	547	0	41	55
	549	0	32	09
	550	0	01	47
	551/1	0	00	26
	551	0	40	83
	449	0	19	93
	450	0	22	92
	447	0	19	67
	453	0	34	07
	454	0	37	27
	445	0	02	12
	कार्ट ट्रेक	0	02	92
	464/1	0	04	28
	कार्ट ट्रेक	0	04	65
	418	0	[illegible]	50
	415	0	17	91
	414/1	0	36	82

1	2	3	4	5
मोटीचीराइ—जारी	414/2	0	15	79
	नैरत लैंड/रोड	0	33	01
	359	0	22	95
	360	0	23	24
	361	0	23	76
	365/1	0	26	58
	365/2	0	12	70
	367	0	16	92
	368	0	07	49
	370	0	25	05
	371	0	18	39
	378	0	21	38
	369	0	04	66
	379	0	29	67
	380/1	0	15	52
	कार्ट ट्रैक	0	06	07
	317	0	23	64
	318/1	0	07	44
	316/3	0	05	66
	316/2	0	06	86
	316/1	0	10	00
	315	0	22	04
	स्ट्रीम	0	13	73
	238/1	0	28	14
	सरकारी लैंड	1	30	87
	240	0	25	40
	250	0	44	01
	251	0	00	08
	कार्ट ट्रैक	0	08	57
	219	0	34	83
	218	0	01	67
	212	0	35	57
	210	0	21	58
	208	0	29	01
	205	0	27	99
	204	0	00	91
	203	0	35	72
	199	0	31	57
	198	0	42	63
	कुल	12	66	02
नानीचीराई	353	0	28	32
	स्ट्रीम	0	15	19
	390	0	16	02
	394	0	31	94
	393/2	0	11	82

1	2	3	4	5
नानीचीराई—जारी	391	0	22	60
	392/1	0	39	07
	404/2	0	08	71
	406/1	0	10	91
	403/1	0	41	29
	सरकारी लैंड	0	16	43
	408	0	06	20
	409	0	04	88
	410	0	19	96
	411	0	18	27
	412	0	02	90
	सरकारी लैंड	0	16	99
	413	0	30	78
	414/2	0	00	85
	414/1	0	29	90
	415	0	18	78
	कार्ट ट्रैक	0	32	64
	स्ट्रीम	0	08	52
	सरकारी लैंड	0	47	30
	6	0	22	70
	सरकारी लैंड	0	02	14
	5	0	05	17
	सरकारी लैंड	0	44	91
	2	0	04	97
	1	0	21	21
	सरकारी लैंड	0	50	96
	55	0	23	85
	56	0	03	83
	कुल	6	59	98

[सं० एल-14016/4/97-जी०पी.]

आई०एस०एन० प्रसाद, उप सचिव

New Delhi the 19th January, 1998

S.O. 239.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum and Natural Gas from Kandla Gujarat to Loni. in U.P. State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authoity, Gas Authority of India Ltd, Darpan Building, Vadodara.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

LPG GAS PIPELINE FROM KANDLA TO LONI

(KANDLA TO LAKHPAT SECTION)

State : Gujarat Taluka : Bhachau District : Kutch

Village	Sr. No. Block No.	Area		
		Hectare	Are	Centiare
Shivlakha	718/2	0	06	09
	Stream	0	17	54
	717	0	29	93
	716	0	18	23
	705/2	0	02	61
	Stream	0	03	05
	Barren Land	0	10	97
	712	0	16	02
	707/2	0	00	65
	707/3	0	09	12
	707/4	0	15	32
	711/1	0	01	58
	708	0	24	63
	699/2	0	10	76
	699/1	0	16	34
	695/2	0	19	35
	695/1	0	24	93
	Barren Land	0	19	09
	Barren Land	0	03	33
	692/2	0	41	88
	691	0	00	66
	Barren Land	0	00	18
	Khari River	0	11	18
	Govt. Land	0	18	02
	597	0	18	97
	389/1	0	07	84
	Govt. Land	0	10	44
	388	0	69	66
	Govt. Land	0	09	84
	375	0	24	73
	377/2	0	06	87
	376	0	02	65
	377/1	0	43	49
	379	0	27	01
	380	0	46	95
	382	0	00	75
	381	0	20	30
	362	0	29	07
	363	0	50	02
	359	0	18	22
	358	0	10	80
	359	0	29	95

1	2	3	4	5
Shivlakhe—Contd.	358	0	11	43
	Stream	0	09	28
	603	0	12	75
	Govt. Land	0	83	
	353/1	0	22	04
	352	0	27	80
	Stream	0	24	72
	320	0	25	61
	321/1	0	04	85
	321/2	0	25	27
	322	0	08	35
	323	0	39	23
	324	0	25	91
	Unmetalled Road	0	11	56
	346/2	0	22	96
	346/3	0	09	47
	346/1	0	31	46
	344/2	0	48	48
	344/4	0	01	54
	344/2	0	09	04
	344/1	0	33	05
	343	0	09	69
	342/2	0	29	73
	342/4	0	27	99
	Govt. Land	0	25	83
	340/2	0	20	83
	340/1	0	28	26
	Govt. Land	0	19	07
	280	0	06	57
	279/2	0	30	97
	278	0	39	78
	277	0	00	22
	Govt. Land	0	08	32
	TOTAL	14	84	5
Bhachau	1202	0	27	61
	1203/1	0	41	61
	1199	0	50	66
	1197/2	0	10	57
	Barren Land/Stream	0	21	05
	1219	0	45	41
	1248	0	12	79
	1257	0	18	05
	1256	0	42	88
	Barren Land	0	27	20
	1262	0	22	38
	Barren Land	0	38	66
	1253	0	09	05
	Barren Land	0	15	80
	1265	0	62	95
	1268	0	19	03
	1267	0	15	57
	Barren Land/Stream	0	77	29

1	2	3	4	5
Bhachau—Contd.	1364	0	53	30
	1374	0	35	04
	1372	0	31	96
	1371	0	35	34
	Barren Land	0	26	56
	1483/2	0	06	84
	1483/1	0	32	91
	1482	0	47	37
	1480	0	35	29
	1605	0	11	06
	1606	0	13	55
	1607/1	0	22	77
	Barren Land	0	00	01
	Gochar Land	0	35	60
	River	0	05	08
	Barren Land	0	07	07
	1649	0	44	21
	Cart Track	0	02	05
	1647	0	42	00
	1652	0	20	03
	1646	0	47	83
	Barren Land	0	20	72
	1799/2	0	20	84
	Gochar Land	0	28	48
	1798/2	0	16	69
	Barren Land	0	07	98
	Cart Track	0	03	90
	1795	0	27	29
	1790	0	33	33
	1791	0	07	33
	Reserved Forest	1	60	19
	1867	0	19	36
	Cart Track	0	01	76
	1868	0	25	26
	1865	0	21	28
	1864	0	31	55
	Open Land (Gochar)	0	42	10
	1831	0	29	98
	1832/1	0	13	32
	1833	0	32	41
	1835/2	0	28	44
	1835/1	0	18	75
	Barren Land	0	07	59
	TOTAL	16	91	04
Vondh	Stream	0	04	15
	1421	0	11	64
	860	0	36	15
	1421	0	40	90
	806	0	09	07
	810	0	16	97
	1421	0	72	30
	815/2	0	01	14

1	2	3	4	5
Vonah—contd.	816/2	0	08	23
	816/3	0	12	09
	816/5	0	17	53
	817	0	29	60
	1421	0	11	45
	818/2	0	11	86
	142	0	14	48
	1393	0	42	65
	1395	0	09	29
	1421	0	47	63
	1416	0	27	88
	Cart Track	0	06	06
	1405	0	00	14
	1404	0	21	52
	1403/1	0	53	43
	1403/2	0	16	53
	1410	0	07	06
	Kara-Vokra Nadi	0	30	29
	1410	0	06	99
	TOTAL	10	67	03
Chhandwala	Barren Land	0	38	55
	Kara-Vokra River	0	17	67
	798	0	46	95
	797	0	42	55
	800	0	10	65
	Stream	0	20	71
	799	0	08	70
	Stream	0	04	03
	810	0	21	92
	809	0	12	01
	811	0	04	66
	812	0	46	33
	837	0	05	59
	836	0	36	17
	835/1	0	13	76
	832/2	0	11	84
	832/1	0	07	84
	819	0	06	88
	831	0	09	45
	823	0	24	79
	827	0	33	77
	824	0	26	02
	Metalled Road	0	02	01
	825	0	32	99
	Cart Track	0	03	35
	567	0	19	45
	566	0	43	67
	565	0	26	58
	560	0	36	96
	506	0	55	98
	507/1	0	18	61
	499	0	28	09
	497	0	22	82
	498	0	00	73

1	2	3	4	5
Chhandwala—Contd.	Cart Track	0	06	33
	496	0	00	55
	495	0	28	06
	487	0	59	94
	476	0	20	37
	477	0	21	31
	484	0	32	14
	483	0	23	21
	482	0	15	24
	480	0	24	05
	481	0	33	80
	Barren Land	0	12	59
	NH-8A	0	02	64
	Govt. Land	0	25	94
	Western Rly.	0	02	03
	593	0	15	3
	Cart Track	0	04	19
	594	0	39	89
	596	0	31	48
	595	0	01	16
	597	0	31	81
	TOTAL	11	74	11
Samakhiali	245/1	0	33	85
	245/2	0	21	9
	244	0	00	13
	259	0	75	49
	250	0	00	
	Cart Track	0	03	72
	216	0	17	05
	199	0	03	40
	210	0	30	89
	202	0	33	57
	195	0	22	94
	194	0	28	62
	Cart Track	0	02	63
	137	0	22	44
	135	0	35	46
	134	0	31	88
	133	0	01	76
	132	0	30	03
	131	0	18	19
	130	0	63	71
	TOTAL	04	77	91
Gharana	195	0	19	02
	158	0	28	66
	194	0	02	25
	159/1	0	26	47
	157	0	25	11
	160	0	50	58
	152	0	24	18
	153	0	24	

1	2	3	4	5
Gharana—Contd.	151/1	0	09	49
	131	0	11	35
	151/2	0	13	79
	132	0	16	90
	148/2	0	15	13
	145	0	72	32
	139	0	04	13
	138	0	51	16
	119	0	17	59
	121/1	0	05	41
	120	0	32	
	66	0	23	14
	67	0	17	75
	Unmatalled Road	0	02	60
	64	0	47	27
	63	0	17	85
	Stream	0	05	92
	54/1	0	17	72
	55/2	0	21	43
	55/1	0	19	85
	Asphalted road	0	04	27
	20	0	44	73
	21	0	23	00
	15	0	13	87
	Stream	0	03	12
	TOTAL	07	13	89
Lakadia	715	0	25	28
	713	0	13	14
	714	0	31	08
	718	0	46	69
	Cart Track	0	02	92
	720	0	07	99
	Pond	0	01	76
	719	0	26	18
	Cart Track	0	03	05
	735	0	36	63
	736	0	44	55
	743/2	0	11	68
	738	0	16	73
	740	0	23	43
	741	0	14	04
	750	0	19	91
	751	0	13	87
	752	0	59	22
	759/1	0	00	05
	757	0	06	90
	758	0	11	72
	771	0	28	65
	770	0	00	55
	769	0	58	11
	770	0	01	04
	775	0	05	09
	776/1	0	19	93

1	2	3	4	
L —Contd	776/2	0	12	76
	777/2	0	02	80
	784	0	18	74
	785/1	0	17	69
	786	0	40	79
	787	0	22	19
	788/1	0	27	59
	788/2	0	19	73
	799/2	0	06	34
	Cart Track	0	09	64
	828	0	24	42
	Barren Land	0	01	25
	827	0	06	75
	826/3	0	24	15
	826/2	0	08	20
	825/2	0	16	09
	825/1	0	21	25
	823	0	20	21
	Cart Track	0	03	04
	1082	0	30	30
	1083	0	36	49
	1084/1	0	17	14
	1093	0	01	4
	1092/2	0	12	34
	1092/1	0	14	29
	1091/1	0	12	42
	1091/2	0	11	38
	1091/3	0	06	83
	1091/4	0	07	30
	Cart Track	0	02	43
	1149	0	26	43
	1150/1	0	27	51
	1150/2	0	03	23
	1151/2	0	00	01
	1152	0	26	07
	1153	0	00	35
	1159	0	37	30
	Cart Track	0	09	68
	1167	0	14	14
	1168	0	26	57
	TOTAL	11	67	48
Chopadwa	Stream	0	03	54
	326	0	26	37
	325	0	05	41
	327/1	0	21	79
	291	0	49	73
	290	0	25	47
	Cart Track	0	00	50
	TOTAL	1	32	81
Motichirai	Barren Land	0	08	65
	546	0	07	50
	547	0	41	65
	549	0	32	09

1	2	3	4	5
Motichirai	550	0	01	47
	551/1	0	00	26
	551	0	40	83
	449	0	19	93
	450	0	22	92
	447	0	19	67
	453	0	34	07
	454	0	37	27
	445	0	02	12
	Cart Track	0	02	92
	464/1	0	04	28
	Cart Track	0	04	65
	418	0	39	50
	415	0	17	91
	414/1	0	36	82
	414/2	0	15	79
	Barren Land/Road	0	33	01
	359	0	22	95
	360	0	23	24
	361	0	23	76
	365/1	0	26	58
	365/2	0	12	70
	367	0	16	92
	368	0	07	49
	370	0	25	05
	371	0	18	39
	378	0	21	38
	369	0	04	66
	379	0	29	67
	380/1	0	15	52
	Cart Track	0	06	07
	317	0	23	64
	318/1	0	07	44
	316/3	0	05	66
	316/2	0	06	86
	316/1	0	10	00
	315	0	22	04
	Stream	0	13	73
	238/1	0	28	14
	Govt. Land	1	30	87
	240	0	25	40
	250	0	44	01
	251	0	00	08
	Cart Track	0	08	57
	219	0	34	83
	218	0	01	67
	212	0	35	57
	210	0	21	58
	208	0	29	01
	205	0	27	99
	204	0	00	91
	203	0	35	72
	199	0	31	57
	198	0	42	63
	Total	12	66	02

1	2	3	4	5
Nanichirai	353	0	28	32
	Stream	0	15	19
	390	0	16	02
	394	0	31	94
	393/2	0	11	82
	391	0	22	60
	392/1	0	39	07
	404/2	0	08	71
	406/1	0	10	91
	403/1	0	41	29
	Govt. Land	0	16	43
	408	0	06	20
	409	0	04	88
	410	0	19	96
	411	0	18	27
	412	0	02	90
	Govt. Land	0	16	99
	413	0	30	78
	414/2	0	00	85
	414/1	0	29	90
	415	0	18	78
	Cart Track	0	32	64
	Stream	0	08	52
	Govt. Land	0	47	30
	6	0	22	70
	Govt. Land	0	02	14
	5	0	05	17
	Govt. Land	0	44	91
	2	0	04	97
	1	0	21	21
	Govt. Land	0	50	96
	55	0	23	85
	56	0	03	80
	Total	6	59	98

[No. L-14016/04/97-GP
I. S. N. PRASAD, Dy. Secy

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 1998

का. आ. 240:—चूंकि केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि जनहित में यह आवश्यक है कि कांडला गुजरात से लोनी उ. प्र. तक पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाइपलाईन गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा बिछाई जानी चाहिए ;

और चूंकि यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइन को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ;

अतः, अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित करती है ;

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, दर्पण बिलिन्डिंग, बडोदरा को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ;

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड

बड़ौदा

अनुसूची

कांदला से लोनी तक एल. पी. जी. गैस पाइप लाइन

(कांदला से लखपत अनुभाग)

राज्य : गुजरात तालुका : अंजार जिला : कच्छ

गांव	क्रम सं. ब्लॉक सं.	एरिया		
		हेक्टेयर	आरे	सेंटीआरे
01	02	03	04	05
पडाना	बैरन लैंड	0	01	86
	116/3	0	16	78
	122	0	33	56
	121	0	14	85
	120	0	34	38
	119/2	0	01	03
	119/3	0	09	30
	119/4	0	14	98
	50	0	30	10
	136	0	05	11
	51	0	52	71
	49	0	53	16
	असफालटेड रोड	0	01	51
	47	0	05	24
	48	1	10	14
	क्रीक	0	10	62
	46	0	40	76
	क्रीक	0	00	96
	14	0	67	38
	138	0	41	13
	139/1	0	18	52
	139/2	0	03	19
	140	0	17	27
	141	0	38	77
	142	0	04	25
	सी	0	65	84
	कुल	6	93	40
बरसाना	123	0	00	07
	124/1	0	12	67
	124/2	0	34	41
	126/1	0	20	82
	125	0	34	71
	129	0	20	18
	127	0	14	28

0	02	03	04	05
बगसारा - जारी	128	0	16	90
	129	0	09	90
	128	0	14	85
	129	0	15	32
	163	0	04	03
	स्ट्रीम	0	05	13
	163	0	60	89
	67	0	34	07
	68	0	39	45
	67	0	18	29
	71	0	35	54
	73	0	30	74
	स्ट्रीम	0	07	76
	77	0	25	45
	78	0	19	01
	कुल	4	74	47
कांडला	कांदला पोर्ट ट्रस्ट	01	92	31
	"	00	78	32
	"	05	09	36
	"	02	33	55
	रोड	00	01	32
	"	00	02	21
	"	00	02	55
	कुल	10	19	62
हाडीपुर-वुनधर	कांदला पोर्ट ट्रस्ट	02	60	59
	कुल	02	60	59
मीठी रोहर	सरकारी जमीन	00	65	00
	रोड सरकारी जमीन	00	25	00
	सग नदी	00	17	33
	573	01	81	76
	161	00	46	14
	160	00	19	64
	162/1	00	21	22
	सरकारी जमीन	00	01	22
	163	00	22	69
	सरकारी जमीन	00	04	11
	167	00	20	23
	168	00	12	86
	169	00	34	14
	172/2	00	16	83
	रोड	00	06	67
	148/1	00	00	24

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
मोर्डा रोहर बंजारी	147/1	00	20	92
	147/3	00	23	59
	572	00	17	35
	128/1	00	16	12
	128/2	00	14	64
	127	00	13	34
	128/3	00	01	34
	बेरख जमीन	00	13	57
	131/1	00	24	42
	572	55	65	09
	95	55	51	32
	90/2	05	14	68
	90/1	00	32	27
	89/1	00	18	96
	89/2	00	06	88
	कार्ट ट्रेक	00	04	07
	72	00	20	38
	84/4	00	11	04
	84/3	00	01	63
	73/1	00	05	60
	73/2	00	11	52
	73/3	00	16	67
	75/1	00	57	68
	75/2	00	00	97
	82/3	00	02	12
	76	00	27	76
	81	00	12	28
	77	00	37	56
	78	00	24	21
	कुल	10	66	06
चुरवा	147	0	50	50
	148	0	12	27
	149	0	30	91
	161	0	10	03
	160	0	33	10
	159	0	24	95
	158	0	25	08
	157	0	20	43
	156	0	28	59
	154	0	01	38
	155	0	17	34
	243	0	05	44
	नदी	0	11	45
	243	0	09	80
	चुरवा नदी	0	42	89

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
चुड़वा	246	0	26	95
	43	0	02	9
	42	5	18	42
	41	0	17	64
	40	0	10	14
	39	0	26	23
	38/2	0	11	63
	38/3	0	11	28
	38/4	0	08	19
	कार्ट ट्रैक	0	02	45
	21/2	0	14	18
	21/3	0	21	16
	21/4	0	00	21
	23	0	40	25
	24	0	07	24
	कार्ट ट्रैक	0	06	17
	कुल	5	49	22

[सं० एल.-14016/4/97-जी०पी०]
आई.एस.एन. प्रसाद, उप सचिव

New Delhi, the 19th January, 1998

S.O. 240 .—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum and Natural Gas from Kandla Gujarat to Loni in U.P. State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in the Land) Act 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interest in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd. Darpan Building, Vadodara.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

GAS AUTHORITY OF INDIA LIMITED
VADODARA

SCHEDULE

LPG GAS PIPELINE FROM KANDLA TO LONI
(KANDLA TO WAKHPAT SECTION)

State : Gujarat Taluka : Anjar District : Kutch

Village	Sr. No. Block No.	Area		
		Hectare	Are	Cent Are
1	2	3	4	5
Padana	Barren Land	0	01	86
	116/3	0	16	78
	122	0	33	56
	121	0	14	85
	120	0	34	38
	119/2	0	01	03
	119/3	0	09	30
	119/4	0	14	98
	50	0	30	10
	136	0	05	11
	51	0	52	71
	49	0	53	16
	Asphalted Road	0	01	51
	47	0	05	24
	48	1	10	14
	Creek	0	10	62
	46	0	40	76
	Creek	0	00	96
	14	0	67	38
	138	0	41	13
	139/1	0	18	52
	139/2	0	03	19
	140	0	17	27
	141	0	38	77
	142	0	04	25
	Sea	0	65	84
	TOTAL	6	93	40
Varsana	123	0	00	07
	124/1	0	12	67
	124/2	0	34	41
	126/1	0	20	82
	125	0	34	71

1	2	3	4	5
Varsana	129	0	20	18
	127	0	14	28
	128	0	16	90
	129	0	09	90
	128	0	14	85
	129	0	15	32
	163	0	04	03
	Stream	0	05	13
	163	0	60	89
	67	0	34	07
	68	0	39	45
	67	0	18	29
	71	0	35	54
	73	0	30	74
	Stream	0	07	76
	77	0	25	45
	78	0	19	01
	TOTAL	4	74	47
Kandla	Kandla Port Trust	01	92	31
	Kandla Port Trust	00	78	32
	Kandla Port Trust	05	09	36
	Kandla Port Trust	02	33	55
	Road	00	01	32
	Road	00	02	21
	Road	00	02	55
	TOTAL	10	19	62
Hadipur Boondhar	Kandla Port trust	02	60	59
	Total	02	60	59
Mithirohar	Govt. Land	00	65	00
	Road/Govt. Land	00	25	00
	Sang River	00	17	33
	573	01	84	76
	161	00	46	14
	160	00	19	64
	162/1	00	21	22
	Govt. Land	00	01	22

1	2	3	4	5
Mithirohar	163	00	22	69
	Govt. Land	00	04	11
	167	00	20	23
	168	00	12	86
	169	00	34	14
	172/2	00	16	83
	Road	00	06	67
	148/1	00	00	24
	147/1	00	20	92
	147/3	00	23	59
	572	00	17	35
	128/1	00	16	12
	128/2	00	14	64
	127/	00	13	34
	128/3	00	01	34
	Barren Land	00	13	57
	131/1	00	24	42
	572	00	65	09
	95	00	51	32
	90/2	00	14	68
	90/1	00	32	27
	89/1	00	18	96
	89/2	00	06	88
	Cart Track	00	04	07
	72	00	20	38
	84/4	00	11	04
	84/3	00	01	63
	73/1	00	05	60
	73/2	00	11	52
	73/3	00	16	67
	75/1	00	57	68
	75/2	00	00	97
	82/3	00	02	12
	76	00	27	76
	81	00	12	28
	77	00	37	56
	78	00	24	21
	G. Total	10	66	06
Chudwa	147	0	50	50
	148	0	12	27
	149	0	30	91
	161	0	10	08
	160	0	33	10
	159	0	24	95

1	2	3	4	5
Chudwa	158	0	25	08
	157	0	20	43
	156	0	28	59
	154	0	01	38
	155	0	17	31
	243	0	05	44
	River	0	11	45
	243	0	09	80
	Churva River	0	42	89
	246	0	26	95
	43	0	02	98
	42	0	18	42
	41	0	17	64
	40	0	10	14
	39	0	26	23
	38/2	0	11	63
	38/3	0	11	23
	38/4	0	08	16
	Cart Track	0	02	45
	21/2	0	14	18
	21/3	0	21	16
	21/4	0	00	21
	23	0	40	25
	24	0	07	24
	Cart Track	0	06	17
	Total	5	49	22

[No. L-14016/04/97-G.P.]
I.S.N. PRASAD, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 1998

का.आ. 241 .—पैट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50वां) की धारा 2 के खण्ड (ए) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कालम-1 में उल्लिखित व्यक्ति को उक्त कालम-3 की तद्नुरूपी प्रविष्टि में उल्लिखित क्षेत्र की सीमाओं के भीतर उक्त अधिनियम के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी के कार्य करने के लिए एतद्वारा प्राधिकृत करती है ।

अनुसूची

व्यक्ति का नाम	पता	क्षेत्रीय अधिकार
1	2	3
दीपक गुप्ता	गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड जयपुर	संपूर्ण राजस्थान राज य

[संख्या : एल-14016/18/97-जी० पी०]

आई.एस.एन. प्रसाद, उप सचिव

New Delhi, the 20th January, 1998

S.O. 241.— In Pursuance of clause (a) of Section 2 of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of Rights of User in Land) Act 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby authories the person mentioned in column 1 of the schedule below to perform the function of Competent Authority under the said Act within the area mentioned in the corresponding entry in the column 3 of the said schedule.

SCHEDULE

Name of the Person	Address	Territorial Jurisdiction
1	2	3
Deepak Gupta	Gas Authority of India Ltd. Jaipur	Whole Rajasthan State

[No. L-14016/18/97-G.P.]

I.S.N. PRASAD Dy. Secy.

नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 1998

का० आ० 242.—केन्द्रीय सरकार, विमानन वहन अधिनियम, 1972 (1972 का 69) की धारा 8 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्समय पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 186 (अ), तारीख 30 मार्च, 1973 में निम्न-लिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, पैरा 4 के खंड (त) में, —

उस खंड द्वारा संशोधित उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के नियम 22 में, —

(i) उपनियम (i) में, —

(क) "5, 00,000" अंकों के स्थान पर "7,50,000" अंक रखे जाएंगे ;

(ग) "2,50,000" अंकों के स्थान पर "3,75,000 अंक रखे जाएंगे ;

(ii) उपनियम (1क) में,—

(क) "500 रुपए प्रति दिन" अक्षर अंकों और शब्दों के स्थान पर "750 रुपए प्रति दिन" अक्षर, अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) "1,00,000 रु० अंकों और शब्दों के स्थान पर "1,50,000 रु० अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) उपनियम (2) के खंड (क) में "तीन सौ रुपए" शब्दों के स्थान पर "चार सौ पचास रुपए" शब्द रखे जाएंगे ;

(iv) उपनियम (3) में, "दो हज़ार पांच सौ रुपए" शब्दों के स्थान पर "चार हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे ।

[फा० सं० ए. वी० 11012/1/97क]

बी. जे० मेनन, अवर सचिव

टिप्पणी :—का०आ० 186 (अ), दिनांक 30 मार्च, 1973 को का०आ० 1885 दिनांक 5 जुलाई, 1980, का०आ० 659 (अ) दिनांक 22 अगस्त, 1989 तथा का०आ० 1018 दिनांक 26 मार्च, 1992 के द्वारा संशोधित किया गया ।

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

New Delhi, the 20th January, 1998

S.O. 242.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 8 of the Carriage by Air Act, 1972 (69 of 1972), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the then Ministry of Tourism and Civil Aviation No. S.O. 186 (E) dated the 30th March, 1973, namely :—

In the said notification in paragraph 4, in clause (P),—

In rule 22 of the Second Schedule to the said Act as amended by that clause,—

(i) in sub-rule (1),—

(A) for the figures "5,00,000", the figures "7,50,000" shall be substituted;

(B) for the figures "2,50,000", the figures "3(75,000" shall be substituted;

(ii) in sub-rule (1A),—

(A) for the letters, words and figures "Rs. 500 per day", the letters words and figures "Rs. 750 per day" shall be substituted;

(B) for the letters and figures "Rs. 1,00,000", the letters and figures "1.50,000 shall be substituted;

(iii) in sub-rule (2), in clause (a), for the words "rupees three hundred" the words "rupees four hundred and fifty" shall be substituted;

(iv) In sub-rule (3), for the words "rupees two thousand five hundred", the words "rupees four thousand" shall be substituted.

[F. No. AV-11012|1|97-A]

V. J. MENON, Under Secy.

NOTE :

S.O 186(E) dated the 30th March, 1973 was subsequently amended vide S.O. 1885 dated the 5th July, 1980, S.O. 659(E) dated the 22nd August, 1989 and S.O. 1018 dated the 26th March, 1992.

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 1998

का. आ. 243.—केन्द्रीय सरकार का विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत की गई रिपोर्ट (नीचे आकृति देखिए) पर विचार करने के पश्चात्, समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित माडल बाट और माप मानक अधिनियम 1976 (1976 का 60) और बाट और माप मानक (माडल का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि वह लगातार प्रयोग की अवधि में यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा देता रहेगा;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (मध्यम) यथार्थता वर्ग-III के ए 106 आर सिरीज के "ए 106 आर रिटेल काउंटर स्केल" ब्रांड नाम वाले स्वतः सूचक गैर-स्वचालित इलैक्ट्रानिक मूल्य अभिकलन टेबल टाप तोलन मशीन के माडल का (जिसे इसमें इसके पश्चात् माडल कहा गया है) जिसका विनिर्माण मैसर्स एबरी इंडिया लिमिटेड, प्लाट सं० 50-59 सेक्टर-25, बल्लबगढ़-121004 द्वारा किया गया है और जिसे अनुमोदन चिह्न आई. एन. डी./09/97/18 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है।

माडल (आकृति देखिए) एक मध्यम यथार्थता (यथार्थता वर्ग III) का तोलन उपकरण है जिसकी अधिकतम क्षमता 15 किलोग्राम और न्यूनतम क्षमता 200 ग्राम है। सत्यापन मापमान अन्तर (ई) 10 ग्राम है। इसमें टेयर युक्ति है जिसका व्यकलनात्मक प्रतिधारण टेयर प्रभाव 100 प्रतिशत है। आधार और प्लेटफार्म मृदु इस्पात के है। भारग्राही आयताकार क्रास सैक्शन का है जिसका आकार पार्श्व 390 × 280 मिलीमीटर है। 12.5 मिलीमीटर वी.एफ.डी. संप्रदर्श भार, यूनिट मूल्य, कुल मूल्य, संदेश/वस्तु नाम उपदर्शित करता है। यह उपकरण 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज के प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय द्वारा प्रचालित 9वी के एसी/डीसी एडोप्टर पर प्रचालित होता है।

[फा. सं. डब्ल्यू एम - 21(89)/96]

153 GI/98

राजीव श्रीवास्तव, अपर सचिव

MINISTRY OF FOOD AND CONSUMER AFFAIRS

(Department of Consumer Affairs)

New Delhi, the 13th January, 1998

S.O. 243 .—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, s satisfied that the Model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the tandards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (7) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of the Model of the self-indicating, non-automatic, electronic price computing table top weighing machine of class III accuracy of A 106 R series with brand name "A 106 R RETAIL COUNTER SCALE" (hereinafter referred to as the Model) manufactured by M/s. Avery India Limited, Plot No. 50-59, Sector 25, Ballabgarh-121004, and which is assigned the approval mark IND/09/97/18;

The Model is a medium accuracy (accuracy class III) weighing instrument with a maximum capacity of 15 kg and minimum capacity of 200 g. The verification scale interval (e) is 10g. It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect. The load receptor is of rectangular cross section of sides 390×280 millimetre. The 12.5 mm VFD display indicates the weight, unit price, total price, messages/commodity name. 10 mm VFD display indicates the item counted. The instrument operates on AC/DC adopter of 9V operated by 230 volts, 50 Hertz alternate current power supply or on 9 V battery power supply.

[File No. WM-21 (89)/96]

RAJIV SRIVASTAVA, Addl. Secy.

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 1998

का. आ. 244.—केन्द्रीय सरकार का विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत की गई रिपोर्ट (नीचे आकृति देखिए) पर विचार करने के पश्चात, समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित माडल बाट और माप मानक अधिनियम 1976 (1976 का 60) और बाट और माप मानक (माडल का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि अविरत उपयोग की अवधि में यथार्थता बनाए रखेगा और परिवर्तित दशाओं में उपयुक्त सेवा देता रहेगा;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वर्ग II के (उच्च) यथार्थता वाली "एच डब्ल्यू" श्रृंखला टाइप की स्वयं सूची अस्वचालित इलैक्ट्रानिक टेबल टाप तुला यंत्र के माडल का जिसका ब्रांड नाम "ऐफको सेट" है (जिसे इसमें इसके पश्चात माडल कहा गया है) जिसका विनिर्माण मैसर्स बाम्बे बर्मा टेडिंग कार्पोरेशन, सं. 2, कानूरी ग्राम मार्ग, कन्जूर मार्ग (ई) मुम्बई-400042 द्वारा किया गया है और जिसे अनुमोदन चिह्न आई.एन.डी./09/97/40 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है।

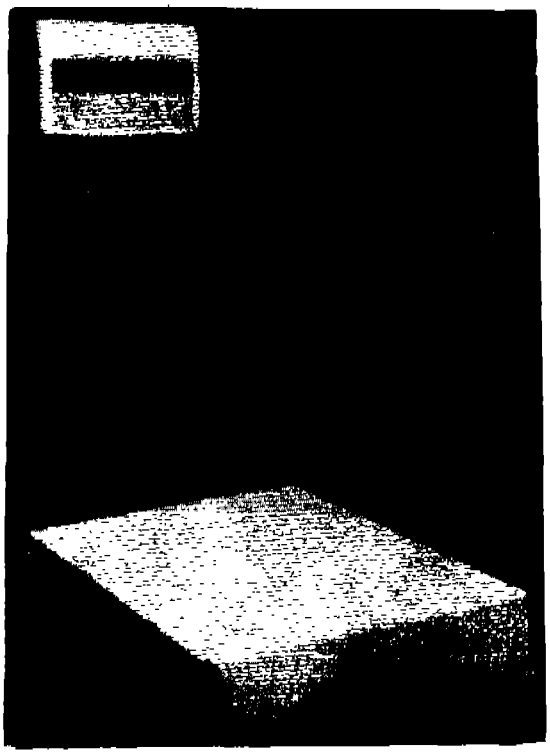

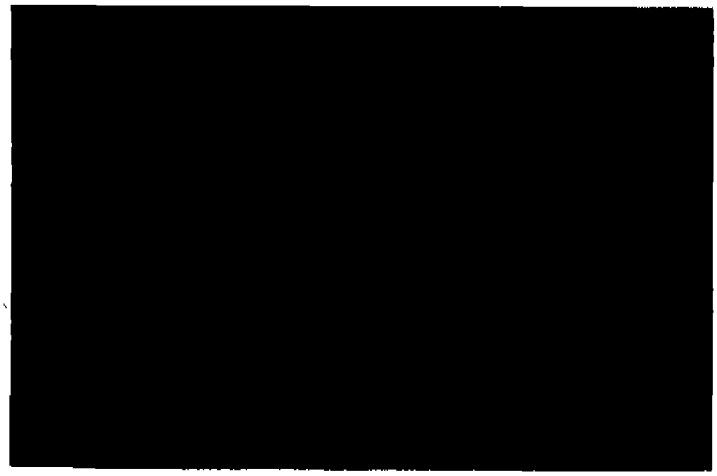

यह माडल (आकृति देखिए) मध्यम यथार्थता (यथार्थता वर्ग II) का तुला यंत्र है, जिसकी अधिकतम क्षमता 10 किलोग्राम और न्यूनतम क्षमता 50 ग्रा. है। सत्यापन मापमान अन्तर (ई)1 ग्राम है। इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शतप्रतिशत व्यकलनात्मक धारित प्रभाव है। उद्भार ग्राही आयताकार है जिसका भुजाएं 330 × 424 मिलीमीटर है। द्रव्य स्फटिक संप्रदर्शन तुलन परिणाम उपदर्शित करता है। यंत्र 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज आवृति पर प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय द्वारा प्रचालित एसी/एडोप्टर पर कार्य करता है।

इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार, उक्त धारा की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि माडल के अनुमोदन के इस प्रमाण पत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत, डिजाइन और सामग्री जिससे अनुमोदित माडल का विनिर्माण किया गया है के अनुसार इसी श्रृंखली के समरुप मेक, शुद्धता और निष्पादन वाले 15 किलोग्राम/ 2 ग्राम, 30 किलोग्राम/5 ग्राम, 60 किलोग्राम/10 ग्राम, 100 किलोग्राम/10 ग्राम और 150 किलोग्राम/20 ग्राम की अधिकतम क्षमता वाले तुलन यंत्र भी है।

[फा. सं. डब्ल्यू एम - 21(82)/96]

राजीव श्रीवास्तव, अपर सचिव

New Delhi, the 13th January, 1998

S.O. 244.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 36 of the said Act, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of the Model of the self-indicating, non-automatic, electronic table top weighing machine of type "HW" series of class II high accuracy and with brand name "AFCOSET" (hereinafter referred to as the Model) manufactured by M/s Bombay Burmah Trading Corp, No. 2, Kanury Village Road, Kanjur Marg, (E), Mumbai-400042, and which is assigned the approval mark IND/09/97/40;

The Model (see the figure) is a high accuracy (accuracy class II) weighing instrument with a maximum capacity of 10kg and minimum capacity of 50g. The varification scale interval (e) is 1g. It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect. The load receptor is of rectangular cross section of sides 330X242 millimetre. The LCD display indicates the weighing result. The instrument operates with 220 volts and frequency 50 Hertz alternate current power supply (AC adaptor);

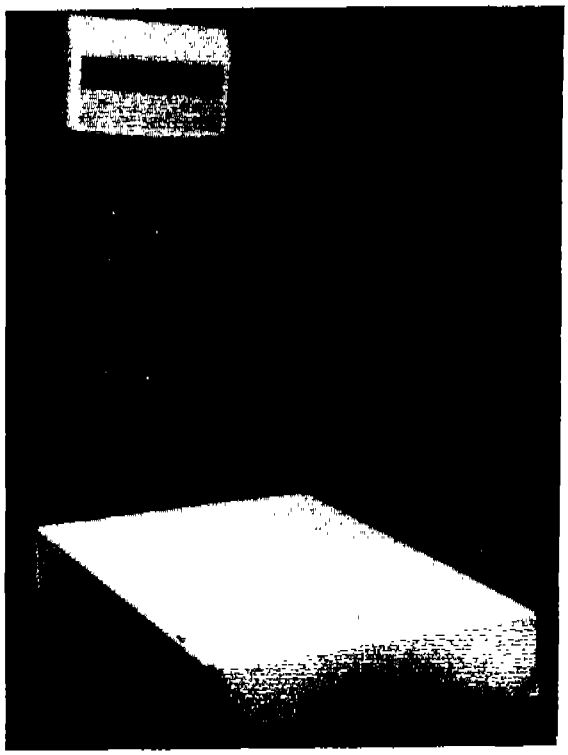

Further, in exercise of the powers conferred by sub-section (12) of the said section, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the Model shall also cover the weighing instrument of similar make, accuracy and performance of same series with maximum capacity of 15kg/2g, 30kg/5g, 60kg/10g, 100kg/10g and 150kg/20g manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the approved Model has been manufactured.

[File No. WM-21 (82)/96]

RAJIV SRIVASTAVA, Addl. Secy.

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 1998

का. आ. 245.—केन्द्रीय सरकार का विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत की गई रिपोर्ट (नीचे आकृति देखिए) पर विचार करने के पश्चात, समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित माडल बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) और बाट और माप मानक (माडल का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि अविरत उपयोग की अवधि में यथार्थता बनाए रखेगा और परिवर्तित दशाओं में उपयुक्त सेवा देता रहेगा;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वर्ग II के (उच्च) यथार्थता वाली "ई के" श्रृंखला टाइप की स्वयं सूची अभिचालित इलैक्ट्रानिक टेबल टाप तुला यंत्र के माडल का जिसका ब्रांड नाम "लेफको सेट" है (जिसे इसमें इसके पश्चात माडल कहा गया है) जिसका विनिर्माण मैसर्स बाम्बे बर्मा ट्रेडिंग कार्पोरेशन, सं. 2, कानूरी ग्राम मार्ग, कन्जूर मार्ग (ई) मुम्बई-400042 द्वारा किया गया है और जिसे अनुमोदन चिह्न आई.एन.डी./09/97/41 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है।

यह माडल (आकृति देखिए) मध्यम यथार्थता (यथार्थता वर्ग II) का तुला यंत्र है, जिसकी अधिकतम क्षमता 600 ग्राम और न्यूनतम क्षमता 5 ग्रा. है। सत्यापन मापमान अन्तर (ई) 100 मि० ग्रा० है। इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शतप्रतिशत व्यकलनात्मक धारित प्रभाव है। उद्भारे ग्राही आयताकार है जिसकी भुजाएं 133 × 170 मिलीमीटर है। द्रव्य स्फटिक संप्रदर्शन तुलन परिणाम उपदर्शित करता है। यंत्र 220 वोल्ट 50 हर्टज आवृति पर प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय द्वारा प्रचालित एसी/एडोप्टर पर कार्य करता है।

इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार, उक्त धारा की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि माडल के अनुमोदन के इस प्रमाण पत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत, डिजाइन और सामग्री जिससे अनुमोदित माडल का विनिर्माण किया गया है के अनुसार इसी श्रृंखला के समरूप मेक, शुद्धता और निष्पादन वाले 6 किलोग्राम/1 ग्राम, की अधिकतम क्षमता वाले तुलन यंत्र भी है।

[फा. सं. डब्ल्यू एम-21(82)/96]

राजीव श्रीवास्तव, अपर सचिव

New Delhi, the 13th January, 1998

S.O. 245.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 36 of the said Act, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of the Model of the self-indicating, non-automatic, electronic table top weighing machine of type "EK" series of class II high accuracy and with brand name "AFCOSET" (hereinafter referred to as the Model) manufactured by M/s Bombay Burmah Trading Corporation, No. 2, Kanury Village Road, Kanjur Marg, (E), Mumbai-400042, and which is assigned the approval mark IND/09/97/41;

The Model (see the figure) is a high accuracy (accuracy class II) weighing instrument with a maximum capacity of 600g and minimum capacity of 5g. The verification scale interval (e) is 100mg. It has a tare device with a 100 percent subtractive retained tare effect. The load receptor is of rectangular cross section of sides 133 × 170 millimetre. The LCD display indicates the weighing result. The instrument operates with 220 volts and frequency 50 Hertz alternate current power supply (AC adaptor):

Further, in exercise of the powers conferred by sub-section (12) of the said section, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the Model shall also cover the weighing instrument of similar make, accuracy and performance of same series with maximum capacity of 6kg/1g manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the approved Model has been manufactured.

[File No. WM-21 (82)/96]

RAJIV SRIVASTAVA, Addl. Secy.

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 1998

का.आ. 246.—केन्द्रीय सरकार का विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत की गई रिपोर्ट (नीचे आकृति देखिए) पर विचार करने के पश्चात, समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित माडल बाट और माप मानक अधिनियम 1976 (1976 का 60) और बाट और माप मानक (माडल का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि अविरत उपयोग की अवधि में यथार्थता बनाए रखेगा और परिवर्तित दशाओं में उपयुक्त सेवा देता रहेगा;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वर्ग II के (उच्च) यथार्थता वाली "ई डब्ल्यू" श्रृंखला टाइप की स्वयं सूची अस्वचालित इलैक्ट्रानिक टेबल टाप तुला यंत्र के माडल का जिसका ब्रांड नाम "ऐफको सेट" है (जिसे इसमें इसके पश्चात माडल कहा गया है) जिसका विनिर्माण मैसर्स बाम्बे बर्मा ट्रेडिंग कार्पोरेशन, सं. 2, कानूरी ग्राम मार्ग, कन्जूर मार्ग (ई) मुम्बई-400042 द्वारा किया गया है और जिसे अनुमोदन चिह्न आई.एन. डी./09/97/42 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है ।

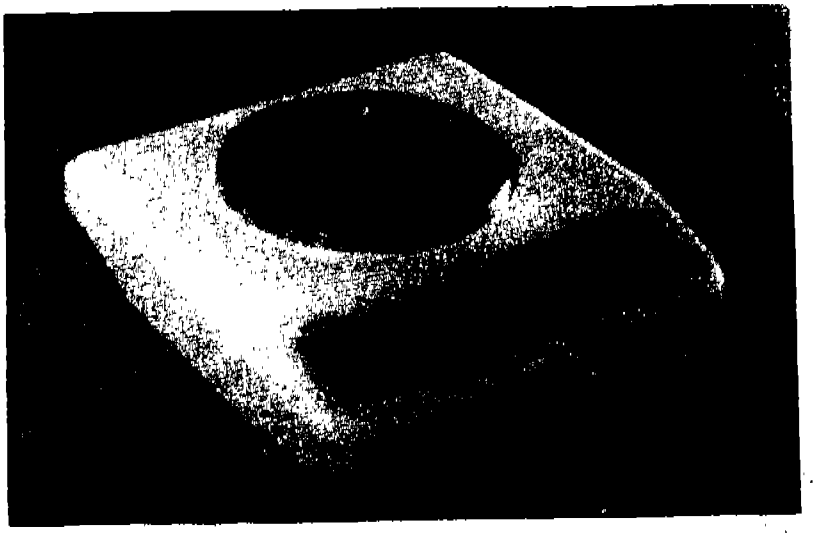

यह माडल (आकृति देखिए) मध्यम (यथार्थता वर्ग II) का तुला यंत्र है, जिसकी अधिकतम क्षमता 60 ग्राम और न्यूनतम क्षमता 400 मि.ग्रा. है । सत्यापन मापमान अन्तर (e) 20 मि.ग्रा. है । इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शतप्रतिशत व्यकलनातमक धारित प्रभाव है । उद्भार ग्राही आयताकार है जिसका व्यास 110 मिलीमीटर है । द्रव्य स्फटिक संप्रदर्शन तुलन परिणाम उपदर्शित करता है । यंत्र 220 वोल्ट 50 हर्टज आवृति पर प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय द्वारा प्रचालित एसी/एडाप्टर पर कार्य करता है ।

इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार, उक्त धारा की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि माडल के अनुमोदन के इस प्रमाण पत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन और सामग्री जिससे अनुमोदित माडल का विनिर्माण किया गया है के अनुसार उसी श्रृंखला के समरूप मेक, शुद्धता और निष्पादन वाले 300 ग्राम/0.1 ग्राम, 600 ग्राम/0.2 ग्राम, 6 किलोग्राम/1 ग्राम की अधिकतम क्षमता वाले तुलन यंत्र भी हैं ।

[फा. सं. डब्ल्यू एम-21 (82)96]

राजीव श्रीवास्तव, अपर सचिव

New Delhi, the 13th January, 1998

S.O. 246.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 36 of the said Act, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of the Model of the self-indicating, non-automatic electronic table top weighing machine of type "EW" series of class II high accuracy and with brand name "AFCOSET" (hereinafter referred to as the Model) manufactured by M/s Bombay Burmah Trading Corp, No. 2, Kanury Village Road, Kanjur Marg, (E), Mumbai-400042, and which is assigned the approval mark IND/09/97/42;

The Model (see the figure) is a high accuracy (accuracy class II) weighing instrument with a maximum capacity of 60g and minimum capacity of 400mg. The verification scale interval (e) is 20mg. It has a tare device with a 100 percent subtractive retained tare effect. The load receptor is of circular cross section of diametre 110 millimetre. the LCD display indicates the weighing result. The instrument operates with 220 volts and frequency 50 Hertz alternate current power supply (AC adaptor);

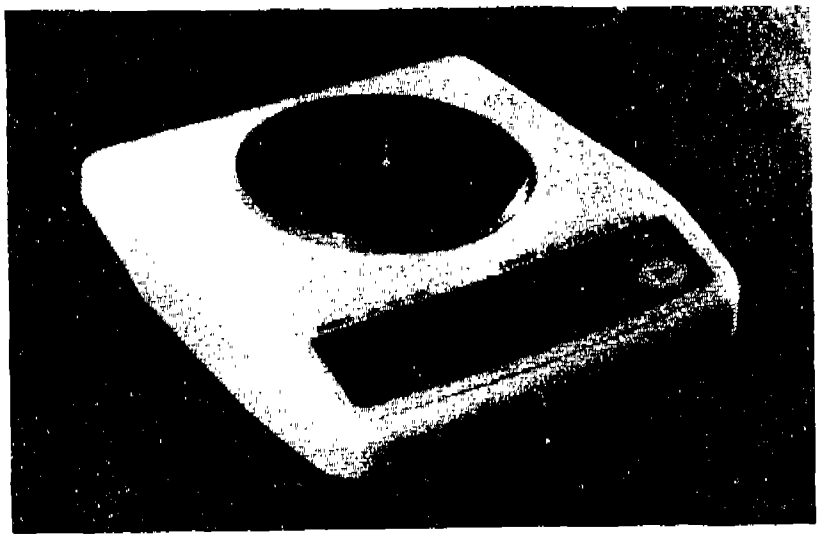

Further, in exercise of the powers conferred by sub-section (12) of the said section, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the Model shall also cover the weighing instrument of similar make, accuracy and performance of same series with maximum capacity, of 300g/0.1g, 600g/0.2g and 6kg/1g manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the approved Model has been manufactured.

[File No. WM 21 (82)/96]

RAJIV SRIVASTAVA, Addl. Secy

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 1998

का.आ. 247.—केन्द्रीय सरकार का विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत की गई रिपोर्ट (नीचे आकृति देखिए) पर विचार करने के पश्चात, समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित माडल बाट और माप मानक अधिनियम 1976 (1976 का 60) और बाट और माप मानक (माडल का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि अविरत उपयोग की अवधि में यथार्थता बनाए रखेगा और परिवर्तित दशाओं में उपयुक्त सेवा देता रहेगा;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वर्ग III के (मध्यम) यथार्थता वाली "एच थ्री" श्रृंखला टाइप की स्वयं सूची अस्वचालित इलैक्ट्रानिक टेबल टाप तुला यंत्र के माडल का जिसका ब्रांड नाम "ऐफको सेट" है (जिसे इसमें इसके पश्चात माडल कहा गया है) जिसका विनिर्माण मैसर्स बाम्बे बर्मा ट्रेडिंग कार्पोरेशन, सं. 2, कानुरी ग्राम मार्ग, कन्जूर मार्ग (ई) मुम्बई 400042 द्वारा किया गया है और जिसे अनुमोदन चिन्ह आई.एन.डी./09/97/43 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है ।

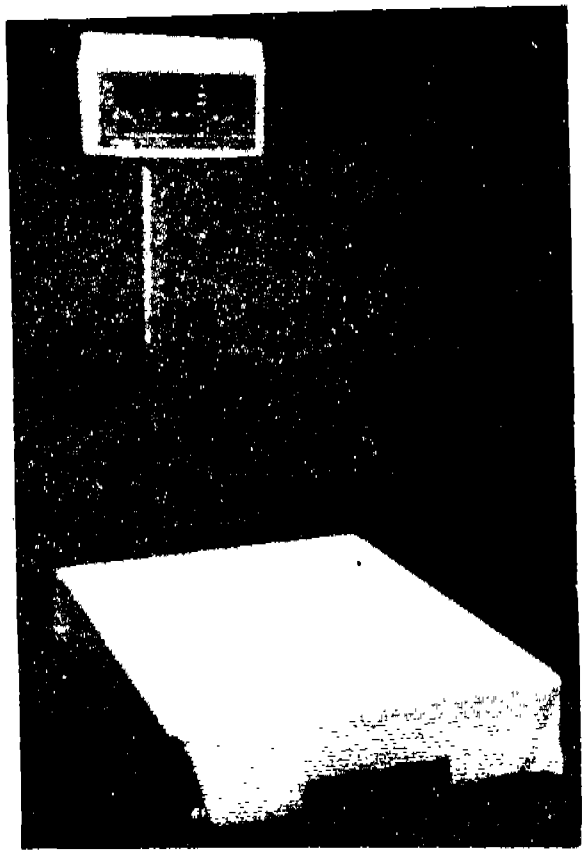

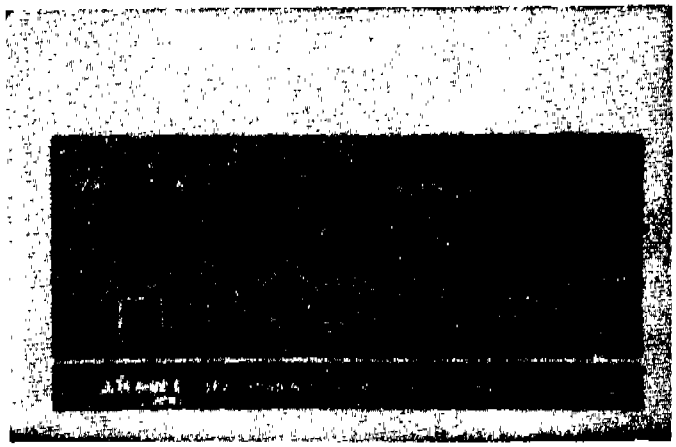

यह माडल (आकृति देखिए) मध्यम यथार्थता (यथार्थता वर्ग III) का तुला यंत्र है, जिसकी अधिकतम क्षमता 150 किलो ग्राम और न्यूनतम क्षमता 1 किलोग्राम है । सत्यापन मापमान अन्तर (ई) 50 ग्रा. है । इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शतप्रतिशत व्यकलनात्मक धारित प्रभाव है । उद्धभार गाही आयताकार है जिसकी भुजाएं 390 × 530 मिलीमीटर है । दृश्य स्फटिक संप्रदर्शन तुलन परिणाम उपदर्शित करता है । यंत्र 220 वोल्ट 50 हर्टज आवृत्ति पर प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय द्वारा प्रचालित एसी/एडाप्टर पर कार्य करता है ।

इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार, उक्त धारा की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि माडल के अनुमोदन के इस प्रमाण पत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त डिजाइन और सामग्री जिससे अनुमोदित माडल का विनिर्माण किया गया है के अनुसार इसी श्रृंखला के समरूप मेक, शुद्धता और निष्पादन वाले 60 किलोग्राम/20 ग्राम और 30 किलोग्राम/10 ग्राम की अधिकतम क्षमता वाले तुलन यंत्र भी हैं ।

[फा. सं. डब्ल्यू एम-21 (80)/96]

राजीव श्रीवास्तव, अपर सचिव

New Delhi, the 13th January, 1998

S. O. 247.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) rules, 1987 and the said Model is likely to maintain accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 36 of the said Act, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of the Model of the self-indicating, non-automatic electronic table top weighing machine of type "HV" series of class III accuracy (medium accuracy) and with brand name "AFCOSET" (hereinafter referred to as the Model) manufactured by M/s bombay Burmah Trading corp, No. 2, Kanury Village Road, Kanjur Marg, (E), Mumbai-400042, and which is assigned the approval mark IND/09/97/43;

The Model (see the figure) is a medium accuracy (accuracy class III) weighing instrument with a maximum capacity of 150 kg. and minimum capacity of 1kg. The verification scale interval (e) is 50g. It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect. The load receptor is of rectangular cross section of sides 390 ×530 millimetre. The Liquid crystal Display (LCD) indicates the weighing result. The instrument operates with 220 volts and frequency 50 Hertz alternate current power supply (AC adaptor).

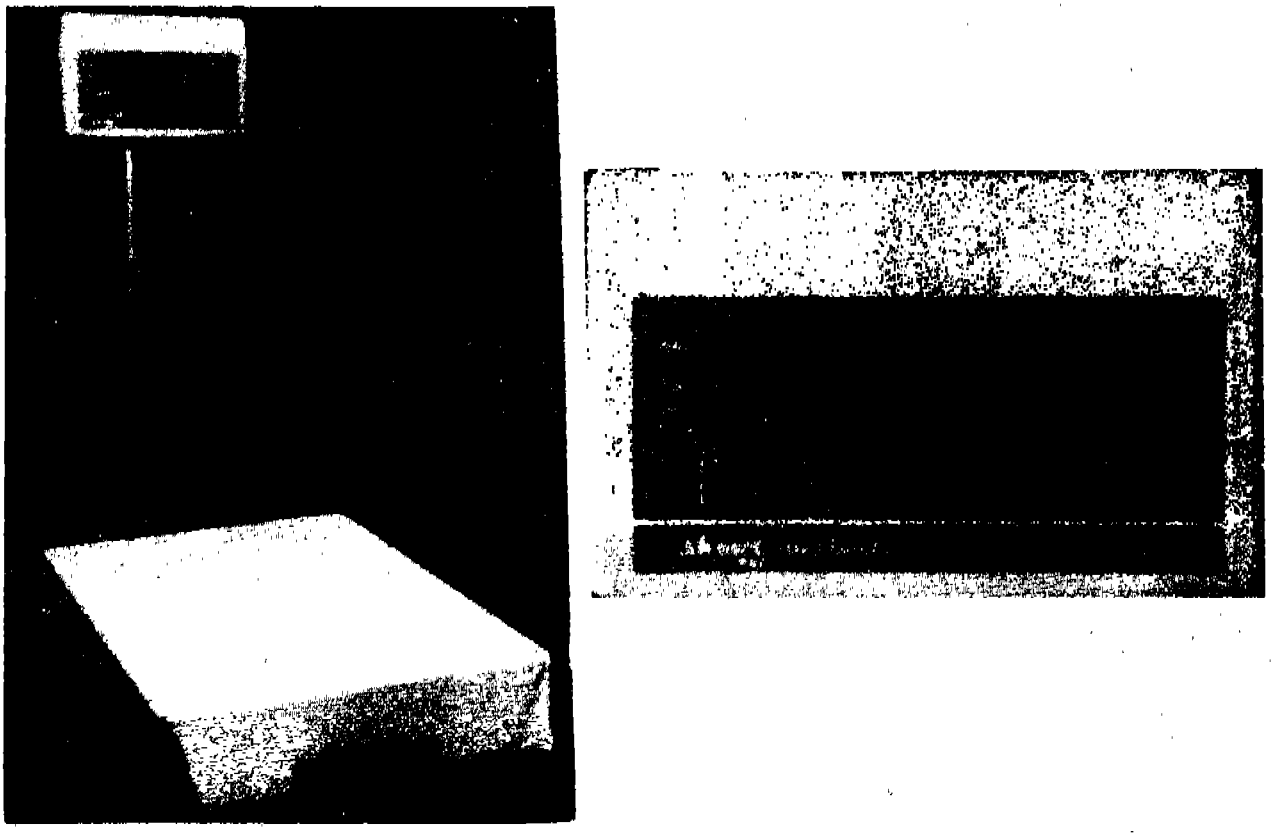

Further, in exercise of the powers conferred by sub-section (12) of the said section, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the Model shall also cover the weighing instrument of similar make, accuracy and performance of same series with maximum capacity of 60kg/20g and 30kg/10g manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the appoved Model has been manufactured.

[File No. WM 21 (80)/96]

RAJIV SRIVASTAVA, Addl. Secy.

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 1998

का.आ. 248.—केन्द्रीय सरकार का विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत की गई रिपोर्ट (नीचे आकृति देखिए) पर विचार करने के पश्चात, समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित माडल बाट और माप मानक अधिनियम 1976(1976 का 60) और बाट और माप मानक (माडल का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि अविरत उपयोग की अवधि में यथार्थता बनाए रखेगा और परिवर्तित दशाओं में उपयुक्त सेवा देता रहेगा;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वर्ग 3 के (माध्यम) यथार्थता वाली "ई डब्ल्यू" श्रृंखला टाइप की स्वयं सूची अस्वचालित इलैक्ट्रानिक टेबल टाप तुला यंत्र के माडल का जिसका ब्रांड नाम "एफको सेट्ट" है) जिसे इसमें इसके पश्चात माडल कहा गया है) जिसका विनिर्माण मैसर्स बाम्बे बर्मा ट्रेडिंग कार्पोरेशन, सं. 2, कानूरी ग्राम मार्ग, कन्जूर मार्ग (ई) मुम्बई–400042 द्वारा किया गया है और जिसे अनुमोदन चिह्न आई.एन.डी./09/97/44 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है ।

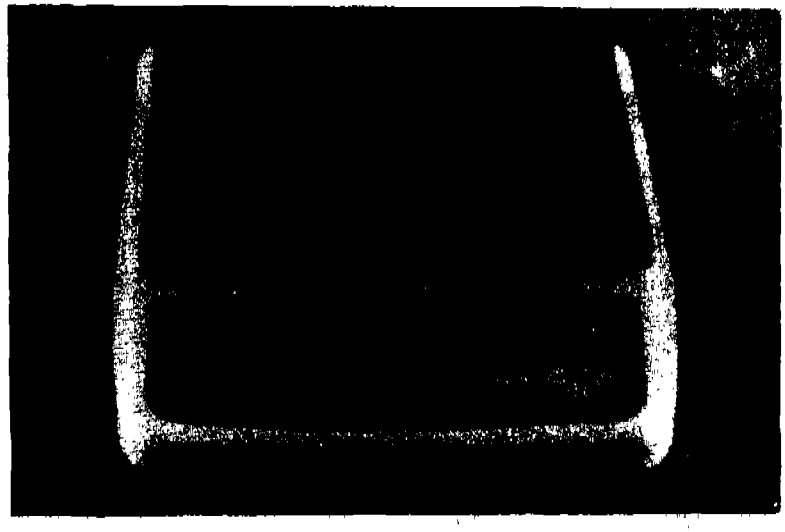

यह माडल (आकृति देखिए) मध्यम यथार्थता (यथार्थता वर्ग 3) का तुला यंत्र है, जिसकी अधिकतम क्षमता 600 ग्राम और न्यूनतम क्षमता 4 ग्रा. है । सत्यापन मापमान अन्तर (ई) 200 मि.ग्रा. है । इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शतप्रतिशत व्यकलनात्मक धारित प्रभाव है । उद्धभार ग्राही आयताकार है जिसकी भुजाएं 133×170 मिलीमीटर है । द्रव्य स्फटिक संप्रदर्शन तुलन परिणाम उपदर्शित करता है । यंत्र 220 वोल्ट 50 हर्टज आवृति पर प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय द्वारा प्रचारित एसी/एडोप्टर पर कार्य करता है ।

इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार, उक्त धारा की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि माडल के अनुमोदन के इस प्रमाण पत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन और सामग्री जिससे अनुमोदित माडल का विनिर्माण किया गया है के अनुसार इसी श्रृंखला के समरूप मेक, शुद्धता और निष्पादन वाले 300 ग्राम/0.1 ग्राम किलोग्राम/ ग्राम की अधिकतम क्षमता वाले तुलन यंत्र भी है ।

[फा. सं. डब्ल्यू एम-21 (80) 96]

राजीव श्रीवास्तव, अपर सचिव

New Delhi, the 13th January, 1998

S.O. 248.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 36 of the said Act, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of the Model of the self-indicating, non-automatic, electronic price table top weighing machine of type "FW" series of class III accuracy (medium accuracy) and with brand name "AFCOSET" (hereinafter referred to as the Model) manufactured by M/s Bombay Burmah Trading corp, No. 2, Kanury Village Road, Kanjur Marg, (E), Mumbai-400042, and which is assigned the approval mark IND/09/97/44;

The Model (see the figure) is a medium accuracy (accuracy class III) weighing instrument with a maximum capacity of 600g and minimum capacity of 4g. The varification scale interval (e) is 200mg. It has a tare-device with a 100 percent subtractive retained tare effect. The load receptor is of rectangular cross section of sides 133 x 170 millimetre. The Liquid Crystal Display (LDC) indicates the weighing result. The instrument operates with 220 volts and frequency 50 Hertz alternate current power supply (AC adaptor),

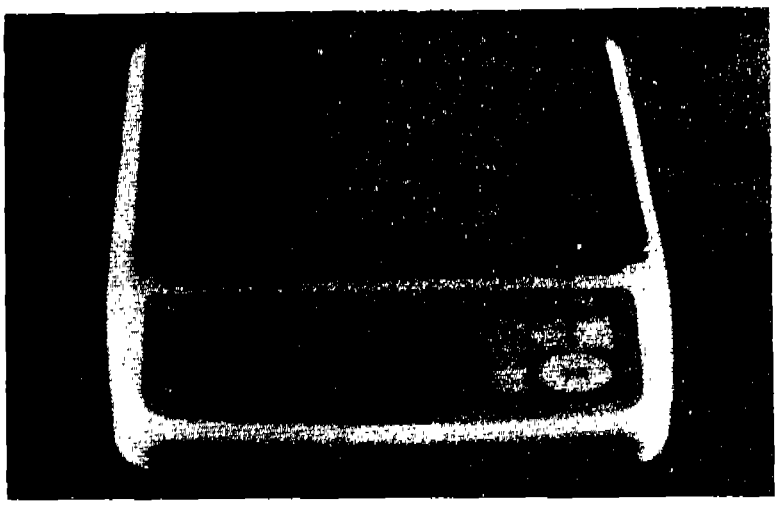

Further, in exercise of the powers conferred by sub-section (12) of the said section, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the Model shall also cover the weighing instrument of similar make, accuracy and performance of same series with maximum capacity of 300g/0.1g, 3kg/1g, manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the approved Model has been manufactured.

[File No. WM-21 (80)/96]

RAJIV SRIVASTAVA, Addl. Secy

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 1997

का.आ. 249.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एफ सी आई के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कलकत्ता के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 22-12-97 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-42011/80/87-डी II/डी IV (बी)]

के. वी. बी. उन्नी, डैस्क अधिकारी

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 26th December, 1997

S.O. 249.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of F.C.I. and their workman, which was received by the Central Government on the 22-12-97.

[No. L-42011/80/87-D.II/DIV(B)]

K. V. B. UNNY, Desk Officer

ANNEXURE

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT CALCUTTA

Reference No. 153 of 1988

Parties :

Employers in relation to the management of Food Corporation of India, Guwahati.

AND

Their workmen.

Present :

Mr. Justice A. K. Chakravarty, Presiding Officer.

Appearence :

On behalf of Management.—Mr. A. N. Mitra, Advocate.

On behalf of Workmen.—Mrs. K. Banerjee, Advocate with Mr. A. Sen, Advocate.

STATE : Assam INDUSTRY : Food Corpn.

AWARD

By Order No. L-42011/80/87-D.II.B./D.IV.B. dated 1-8-1988 the Central Government in exercise of its powers under section 10(1)(d) and (2A) of the Industrial Disputes Act, 1947 referred the following dispute to this Tribunal for adjudication :

> "Whether the action of the Management of Food Corpn. of India, Guwahati in terminating the services of S/Sri Ram Subhas Choudhury, Dulal Chandra Dey, Kailash Roy, Sabendra Chandra Singla, Gibeswar Barua, Badal Chandra Dhar, Bharat Chandra Roy, Asis Some, Dilip Dey, Ashis Das, Biswanath Dasgupta, Chandan Das, Nirmal Kumar Sarkar, Ram Naresh Choudhury and Bijon Seal employed at their Depot w.e.f. 30-10-83, is justified ? If not, to what relief the workmen concerned are entitled ?"

2. The case of the workmen, who are 15 in number, is that they were appointed on diverse dates between 1977 to 1981 by the District Manager, Food Corporation of India, Kokrajhar to perform duties at B.G./M.G. transhipment point of the management i.e. Food Corporation of India at New Bongaigaon for collection of spillage and filling the same in gunny bags in C.B. Cell. The workmen were paid daily wages at the rate of Rs. 7/- per day. In terms of the Order No. 93(5)/75 Guard dated 2-7-1981 issued by the Labour Commissioner (Central), Guwahati the rate of daily wages in case of daily labour was enhanced to Rs. 8.55p. with effect from 3-1-1981. Such rate was further revised and the unskilled labourers became entitled to daily wages at the rate of Rs. 9.10p. with effect from 3-1-1982. The management having refused to pay such enhanced daily wages and all the representations to that effect having been proved futile, the workmen filed an application before the Commissioner, Workmens' Compensation Authority, Kokrajhar District being Case No. 1 of 1984. During the pendency of the dispute the management retrenched the services of the workmen on 30-10-1983 without following the provisions as laid down in section 25F and sub-sections (a), (b) and (c) thereof of the Industrial Disputes Act, 1947. The management further violated section 25G of the said Act by retaining some other workmen who joined on later dates. The application was disposed of in terms of the judgement and order dated 20-5-1987 of the Additional District Magistrate, Kokrajhar Commissioner of Workmen Compensation, Kokrajhar by which the management was directed to pay wages at the rate of Rs. 8.55p per day for all the days actually worked with rest days. The management retaliated by regularising the services of those workmen who were appointed later. The workmen have alleged that they had been in continuous employment under the management from 1977 to 1983 when they were retrenched. The workmen has accordingly prayed for holding the retrenchment illegal, unjustified and malafide and for granting they relief by way of reinstatement with back wages to which they would have been normally entitled but for their invalid and void retrenchment.

3. The management of Food Corporation of India denied the allegations of the workmen by filing the written statement. It's case is that the Food Corpn. of India neither employed the workmen nor retrenched them from service and accordingly there cannot be any question of violation of the provisions of section 25F of the Industrial Disputes Act, 1947. It is further alleged that the alleged workmen having claimed to be daily rated casual workers on 'no work no pay basis', no question of violation of any provisions of Industrial Disputes Act, 1947 can arise. The management also denied the allegation that it has taken recourse to unfair labour practice or indulged in indictive action. The management accordingly prayed for rejection of the claim of the workmen.

4. Apart from production of certain documentary evidence, the management and the workmen have examined 2 and 3 witnesses respectively in support of their respective cases.

5. Heard Mr. A. N. Mitra, learned Advocate appearing for the management and Mrs. K. Banerjee, learned Advocate appearing for the workmen.

6. The point that firs. falls for consideration in this case is whether there was employer and employee relationship between the management and the workmen. The workmen have alleged in the written statement that they were engaged by the management on different dates between 1977 to 1981 as casual labourers for collected of spillage and filling the same in gunny bags in C.B. Cell. The management have totally denied the allegations of the workmen that any of them was ever engaged by them at any point of time It is for the workmen to prove their appointment as casual labourers from the dates in which they claimed to have been appointed in the written statement. It is also for the workmen to prove that they have worked for more than 240 days in a year for getting the benefit under section 25F of the Industrial Disputes Act, 1947.

7. I find from the record thta the workmen have examined only three of them namely WW-1 Ashis Das, WW-2 Biswanath Dasgupta and WW-3 Badal Chandra Dhar. None of the other workmen involved in this reference have come forward to examine themselves and to prove their dates of appointment by the F.C.I. From the evidence of WW-1 Ashis Das it appears that he was appointed on 19-9-1980 by the C.B. Cell of F.C.I WW-2 Biswanath Dasgupta claimed to have been employed on 3-1-1977 by the same Cell of the F.C.I. WW-3 Badal Chandra Dhar claimed to have employed by the C. B. Cell of F.C.I. in April, 1983. None of these witnesses stated anywhere in their evidence that they are deposing for other workmen also nor did any of them prove the respective dates of appointment of other concerned workmen. In the said circumstances this Tribunal has no other alternative but to consider the case of these three workmen only, dismissing the claim of other workmen under the reference as not being substantiated by any evidence.

8. The management has examined two witnesses namely MW-1 Radheshyam Mondal, working as an Assistant Grade-I in the Depot of FCI at Guwahati at the time of his examination and MW-2 Sitaram Shaw, also working as Assistant Grade-I in the FCI at Jinjirapole Depot at the time of his examination. It appears from their evidence that from January, 1981 to November, 1983 Biswanath Dasgupta, Ashis Das and Badal Chandra Dhar worked as daily rated workers in the F.C.I. A new case that the workmen were employees of the Railways as made out by MW-2 in his evidence, cannot be accepted as no such case has been made out in the written statement of the management. The certificate issued by the Chief Transit Clerk of Bangaigaon and attested by one R. S. Mondal, Depot Incharge of Food Corpn. of India, F.S.D. Bangaigaon cannot be accepted as correct as the signature was not proved.

9. A judgement and order dated 20-5-1987 of the Additional District Magistrate, Kokrajhar/Commissioner of Workmen Compensation, Kokrajhar was produced vide Ext. W-2 from which it will appear that some of the workmen including Biswanath Dasgupta of the present reference filed an application for payment of enhanced wages and the workmen obtained the relief of enhanced wages as prayed for by them. The management also has produced the attendance register vide Ext. W-3 in which the names of the workmen appear. It was submitted on behalf of the management that it was not maintained regularly and properly and it contains only rough sheets for registering the presence of the workmen. Whatever may be the worth of this attendance register, it also clearly shows that the concerned three workmen who have deposed before this Tribunal actually worked as casual workers under the F.C.I. I have already stated about the admission made by the witnesses of the management in this matter. The claim of the concerned workmen that they had worked under the management as casual workmen from the dates mentioned by them in their evidence, as stated above by me, has accordingly been proved.

10. Learned Advocate appearing for the management however submitted that these workmen being not at the beck and call of the employer and that the employer having no control over them or to supervise their activities in any way that they cannot be said to be the workmen under the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947. I am not in a position to agree with Mr. Mitra on this point. A plain reading of the definition of workman as enunciated in section 2(s) of the Industrial Disputes Act, 1947 will show that the workman shall include every person employed in a industry for doing any work and the terms of such employment may be expressed or implied. In that view of the matter, the concerned workmen have proved that they are workmen under the F.C.I. as understood by the Industrial Disputes Act, 1947.

11. Under section 25F of the Industrial Disputes Act, 1947 service of a workman, being in continuous service for not less than one year, cannot be terminated without serving one month's notice or payment of one month's wages in lieu thereof There cannot be any dispute about the continuity of service for more than one year of WW-2 Biswanath Dasgupta. He was appointed in January, 1977. There being no allegation by the management that during his period of service upto 1983, he was not allowed to work or that he did not attend to his duties and the attendance register Ext. W-3 shows that he had worked for more than 240 days in a year, the minimum days of service required under section 25B of the Industrial Disputes Act, 1947 for making the service of the workman continues, has been proved The management acted illegally by terminating his service without compliance of the provisions of section 25F of the Industrial Disputes Act, 1947.

12. So far as the services of WW-1 Ashis Das and WW-3 Badal Chandra Dhar are concerned, they were appointed in September, 1980 and April, 1983 respectively. The attendance register Ext. W-3 shows that WW-1 Ashis D. worked for 101 days in 1981, and 199 days in 1982 only. WW-3 Badal Chandra Dhar stated in his evidence that he was appointed in April, 1983 and his service was admittedly terminated on 30-10-1983. As per attendance register Ext. W-3 he had rendered service for 146 days only. As such, there cannot be any question of rendering continuous service for a period of 240 days in a year in cases of these two concerned workmen, which can only compel the management to terminate the service of the workman upon due compliance of the provisions of section 25F of the Industrial Disputes Act, 1947. There being no such obligation of the management in their cases as they did not put in 240 days service in a year that there is no obligation on the part of the management to comply with the provisions of section 25F of the Act, these two concerned workmen shall not be entitled to any relief in the matter.

13. Mrs. Banerjee, learned Advocate for the workmen drew my attention to the case of Mohan Lal v. Management of M/s. B. E. Ltd. 1981 (2) SLR 11 where it was held that termination of service in violation of provisions of section 25F is void ab initio and such termination does not bring about a cessation of service of the workman. My attention was also drawn to the case of Delhi Cloth & General Mills v. Shambhu Nath reported in AIR 1978 SC 8 where it was held that termination of service is retrenchment within the meaning of section 2(oo) of the Act. Reference was also made to the case of Santosh Gupta v. State Bank of Patiala reported in AIR 1980 SC 1219 where it was held that the retrenchment includes every kind of termination. In the case of State Bank of India v. Sundara Money reported in AIR 1976 SC 1111 it was held that termination embraces not merely the act of termination by the employer, but the fact of termination howsoever produced. It is therefore clear that the service of Biswanath Dasgupta having been terminated without compliance of provisions of section 25F of the Industrial Disputes Act, 1947 is void ab initio.

14. In respect of the relief to be granted to this workman Biswanath Dasgupta, learned Advocate for the workmen submitted that he should be reinstated with back wages along with all consequential reliefs. Since the termination of service was void ab initio and since the workmen must be deemed to have been in continuous service from the date of termination of his service because of non-compliance of the statutory provisions of section 25F of the I.D. Act that I am inclined to grant him the said reliefs. In the case of Union of India v. Ratan Kumar & Anrs reported in (1992) Administrative Tribunals Cases 241 it was held that in case of termination of service without compliance of provisions of section 25F of the Industrial Disputes Act, 1947, the proper relief shall be reinstatement with back wages and not mere one month's pay and that the employee was a part-time employee is inconsequential in this matter.

15. The management is accordingly directed to reinstate this workman namely Biswanath Dasgupta in service from 31-10-1983 and to pay him all back wages alongwith all consequential benefits that might have been accrued to him treating him as in continuous service from the date of his appointment.

16. Since this Tribunal has only considered the case of the three concerned workmen, namely, Ashis Das, Biswanath Dasgupta and Badal Chandra Dhar on merit out of the 15 workmen whose names were forwarded for consideration in this reference, but the case of other twelve workmen having not been considered because of purely technical reason that they did not examine themselves, liberty is given to the remaining twelve workmen to approach the Central Government for a fresh reference in their matter, if they so choose.

This is my Award.

Dated, Calcutta,

The 3rd December, 1997.

A. K. CHAKRAVARTY, Presiding Officer

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 1998

का०आ० 250.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार पोस्टल डिपार्टमेन्ट (एस पी ओ एस), सिरोही के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, जोधपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 6-1-98 को प्राप्त हुआ था ।

[सं० एल-40012/78/89-डी० 2 (बी)]
के०वी०बी० उण्णी, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 6th January, 1998

S.O. 250.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Industrial Tribunal, Jodhpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Postal Deptt. (SPOS), Sirohi and their workman, which was received by the Central Government on the 6-1-98.

[No. L-40012/78/89-D2(B)]
K. V. B. UNNY, Desk Officer

अनुबन्ध

औद्योगिक विवाद अधिकरण एवं श्रम न्यायालय,

जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री चांदमल तोतला, आर०एच०जे०एस०

औ० विवाद संख्या (केन्द्रीय) : 3/1992

श्री महेन्द्रसिंह पुत्र श्री मंगलसिंह डाबी, नेयावास नं० 2, सिरोही ...प्रार्थी

बनाम

सुपरिनटेंडेंट पोस्ट ऑफिस, सिरोही (राजस्थान) ...अप्रार्थी

उपस्थिति :

(1) प्रार्थी की तरफ से श्री एम० एल० काला एडवोकेट

(2) अप्रार्थी की तरफ से श्री बी० पी० बोहरा एडवोकेट

अधिनिर्णय

दिनांक 13-11-1997

श्रम मंत्रालय भारत सरकार ने अधिसूचना संख्या 40012/78/89-डी०2(बी) दिनांक 31-5-1990 के आदेश से श्रमिक व नियोजक के मध्य उत्पन्न हुआ निम्नांकित औद्योगिक विवाद अधिनिर्णय हेतु औद्योगिक अधिकरण दिल्ली को प्रेषित किया तथा श्रम मंत्रालय भारत सरकार के ही आदेश सं० 317 दिनांक 22-6-92 के अनुसार इस न्यायालय को प्रेषित होकर दिनांक 26-6-1992 को पंजीबद्ध हुआ :—

"Whether the action of the postal Deptt. (SPOS Sirohi) in terminating the service of Sh. Mahendra Singh S/o Sh. Mangal Singh Dabi Ex. EDBPM w.e.f. 2-3-89 is just and legal ? If not to what relief is the worker concerned entitled & from what date ?"

विपक्षी की ओर से एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत हुआ है कि सम्मानीय उच्चतम न्यायालय ने ए०आई०आर० 1996 एस०सी० 1271 में यह निर्णित किया है कि डाक व दूर-संचार विभाग उद्योग नहीं है, प्रार्थना-पत्र के अनुसार विपक्षी नियोजक औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2(जे) के अन्तर्गत उद्योग की श्रेणी में नहीं आता अतः यह श्रम विवाद खारिज किया जावे । इसका उत्तर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत हुआ तथा इस आवेदन का निर्णय किया जाना है ।

संक्षेप में क्लेम का उल्लेख कर देना उचित है । प्रार्थी के क्लेम के अनुसार उसकी सर्वप्रथम नियुक्ति विपक्षी के यहां ई०डी०बी०पी०एम० के पद पर 10-11-87 को हुई जहां वह 30-3-88 तक कार्य करता रहा तथा इस अवधि में कुल 142 दिन कार्य किया जिसके पश्चात् प्रार्थी की पुनः इसी पद पर नियुक्ति 1-8-88 को डाकघर गोल में हुई जहां उसने 1-3-89 तक कुल 214 दिन कार्य किया तथा उसके बाद 2-3-89 को उसे सेवा से अलग कर दिया गया एवं प्रार्थी ने इस अवधि में कुल 356 दिन कार्य कर लिया है और अधिशेष (सरप्लस) की अवधि शामिल कर लिये जाने पर यह कार्य दिवस और बढ़ जाते हैं परन्तु प्रार्थी को सेवा से पृथक करने से पूर्व औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों की पालना नहीं की गई एवं प्रार्थी सेवा में पुनर्स्थापित होने तथा तमाम वेतन इत्यादि प्राप्त करने का अधिकारी है ।

विपक्षी ने अपने उत्तर में बताया है कि डाकपाल पाडीव ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था जिस पद को भरने के लिए नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए नियोजन कार्यालय से सूची मांगी गई तथा डाकघर सिरोही कार्यालय की अनुमति के बिना डाक अधिवर्षक श्री मंगलसिंह सिरोही ने इस पद का चार्ज 10-11-87 को अपने पुत्र महेन्द्रसिंह को दे दिया तथा इस पद को भरने के लिए नियोजन कार्यालय से सूची प्राप्त नहीं होने पर 20-11-87 को विज्ञापन किया गया तथा 6 व्यक्तियों के आवेदन प्राप्त हुए जिसमें से एक प्रार्थी का भी था एवं यह मामला डाकपाल पाडीव के समक्ष विचाराधीन था यह डाकवाहन पाडीव का पद समाप्त हो गया तथा एक अन्य श्री अमृतलाल सरप्लस भी हो गया अतः अमृतलाल को 30-3-88 को नियुक्त कर महेन्द्रसिंह को भारमुक्त कर दिया तथा प्रार्थी पूरी तरह से अस्थायी कार्मिक था जिसने कुल चार माह 20 दिन कार्य किया । उत्तर में बताया गया है कि इसके बाद अ० वि० शाखा डाकपाल गोल श्री हीरालाल ने त्यागपत्र दे दिया जो 14-7-88 को स्वीकार होकर डाकघर सिरोही को निर्देश दिया गया कि अ० वि० वाहन से पद भर दिया जावे परन्तु अ० वि० डाकपाल श्री सोनाराम अनपढ़ था अतः सरप्लस या बाहरी व्यक्ति को लगाने के आदेश दिये तो 1-8-88 को निरीक्षक डाकघर सिरोही द्वारा डाकपाल शाखा गोल का चार्ज प्रार्थी को दिया था, जिसके पहले एक अन्य सरप्लस श्री मोहनलाल व अन्यों को इस पद पर आने हेतु लिखा गया जिन्होंने असमर्थता प्रकट की तथा फिर

नियोजन कार्यालय से सूची मंगवाई गई तथा 6-2-1989 को एक अन्य सरप्लस श्री तारा राम ने इस कार्य हेतु निवेदन किया, जो 12-8-88 को सरप्लस हुआ था वह अनुसूचित जाति व विकलांग था अतः उसे शाखा गोल में अ० वि० डाकपाल नियुक्त किया गया तथा अन्ततः अ० वि० डाकपाल गोल का चार्ज श्री तारा राम सरप्लस कर्मचारी को दे दिया गया । उत्तर में बताया गया है कि इस तरह प्रार्थी का कोई दावा नहीं बनता है तथा उसे पूर्णतया अस्थाई तौर पर स्टोपगेप के आधार पर लगाया गया है तथा प्रार्थी की कभी भी नियमित नियुक्ति नहीं रही, प्रार्थी सरप्लस में नहीं आता । उत्तर में यह भी बताया गया है कि प्रार्थी की नियुक्ति अस्थाई तौर पर जब तक थी जब तक सक्षम व्यक्ति नियुक्त नहीं हो जावे अतः उसे पुर्नस्थापित किये जाने, नोटिस दिये जाने का कोई प्रश्न ही नहीं है । उत्तर में यह भी बताया है कि प्रार्थी ने अपने इस क्लेम प्रार्थनापत्र को बिना शर्त 10-2-94 को वापस ले लिया था । व्यय सहित क्लेम अस्वीकार किये जाने की प्रार्थना की ।

विपक्षी की ओर से दिनांक 14-11-1994 को आवेदन प्रस्तुत कर यह बताया गया कि प्रार्थी ने एक शपथ-पत्र अधीक्षक डाकघर सिरोही के समक्ष प्रस्तुत किया जिसमें उल्लेख किया कि वह इस लम्बित प्रकरण को बिना शर्त वापस लेता है, प्रार्थी के इस पत्र की प्रतिलिपी भी प्रस्तुत की गई तथा प्रार्थी ने 15-12-1994 को आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि उसने कोई समझौता नहीं किया उसे धमकी देकर दस्तखत करवाये गये तथा वह इस प्रकरण को चलाना चाहता है ।

विपक्षी नियोजक ने अपने आवेदन में बताया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था ए०आई०आर० 1996 एस०सी० 1271 के अन्तर्गत विपक्षी डाक-तार विभाग उद्योग की श्रेणी में नहीं आता । प्रार्थी श्रमिक की ओर से प्रस्तुत उत्तर में बताया गया है कि विपक्षी ने क्लेम के उत्तर में ऐसा कोई एतराज नहीं लिया है तथा प्रार्थी वर्कमैन है या नहीं तथा पोस्टल विभाग उद्योग है या नहीं, यह तथ्यों व विधि का मिश्रित प्रश्न है, जो साक्ष्य से ही निर्णित हो सकेगा । यह भी बताया गया है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2(एस) में राजस्थान राज्य के स्टेट एमेण्डमेन्ट के अनुसार विशेष परिभाषा अपनाई गई है जिसके अन्तर्गत प्रार्थी वर्कमैन व विपक्षी उद्योग की श्रेणी में आता है । दूसरे राज्यों में अपनी-अपनी परिभाषा को लागू किया गया है । उत्तर में 1983 एल०आई०सी० 135 केरला उच्च न्यायालय तथा 1980 एल०आई०सी० 508 कलकत्ता उच्च न्यायालय, 1981 एल०आई०सी० (एस०ओ० सी०) 68 कलकत्ता उच्च न्यायालय का उल्लेख कर बताया गया है कि इनमें भी पोस्टल एण्ड टेलीग्राफ विभाग को उद्योग माना है । प्रार्थी ने अपने उत्तर में यह बताया है कि ए०आई०आर० 1996 एस०सी० 1271 व्यवस्था गुजरात स्टेट की परिभाषा के अनुसार है । अतः इस मामले में लागू नहीं होती तथा निर्णय पुराने मुकदमों पर भी लागू नहीं हो सकता, इसके भविष्य में ही प्रभाव हो सकते हैं ।

इस तरह विपक्षी नियोजक द्वारा प्रस्तुत व्यवस्था ए० आई० आर० 1996 उच्चतम न्यायालय 1271 सब डिवीजनल इन्सपेक्टर ऑफ पोस्ट बेगम व अन्य बनाम थैयम जोसेफ में प्रतिपादित सिद्धान्त इस प्रकरण में लागू नहीं होता । यहां यह उल्लेख कर देना उचित है कि प्रार्थी श्रमिक द्वारा दिये गये उत्तर में जिन व्यवस्थाओं का उल्लेख किया गया है उनमें से कोई भी व्यवस्था न्यायालय के अवलोकनार्थ प्रस्तुत नहीं की जा सकी तथा तर्कों के दौरान ऐसा उल्लेख किये जाने पर बताया गया कि यह व्यवस्थाएं अभिभाषक प्रार्थी को उपलब्ध नहीं हो सकी ।

सम्माननीय उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था का आदरपूर्वक अवलोकन किया गया । इस व्यवस्था में "एक्स्ट्रा डिपार्टमेन्टल एजेन्ट" का मामला था जिसके ऊपर एक्स्ट्रा डिपार्टमेन्टल स्टाफ की नियुक्ति के नियम लागू होते थे, तथा विशेष परिस्थितियों में ही उनको लिया जाता था । यहां यह उल्लेखनीय है कि इस मामले में भी आवेदन के अनुसार प्रार्थी को ई०डी०बी०पी०एम० के पद पर नियुक्त किया गया अर्थात "एक्स्ट्रा डिपार्टमेन्टल स्टाफ" के बतौर नियुक्त किया गया था । सम्बन्धित नियमों में सेवा समाप्ति का भी प्रावधान था अतः निर्धारित किया गया कि ई०डी० एजेन्ट्स इन नियमों से प्रभावित होते है, उन पर यह नियम लागू होते है । यह भी निर्धारित किया गया कि नियम 6 के अन्तर्गत एक माह का वेतन व मंहगाई भत्ता दिया जाना चाहिये । इसी व्यवस्था के पैरा 6 में निम्न वर्णित किया गया है :—

> "Having regard to the contentions, the question arises whether the appellant is an Industrial ? India as a sovereign socialist, secular democratic republic has to establish an egalitarian social order under rule of law. The welfare measures partake the character of sovereign functions and the traditional duty to maintain law and order is no longer the concept of the State. Directive principles of States policy enjoin on the State diverse duties under Part IV of the Constitution and the performance of the duties are constitutional functions. One of the duties of the State is to provide telecommunication service to the general public and an amenity, and so is one essential part of the sovereign, functions of the State as a welfare State. It is not, therefore, an industry."

प्रार्थी श्रमिक का तर्क है कि उत्तर में ऐसी कोई आपत्ति नहीं उठाई गई है कि विपक्षी अधिनियम के अन्तर्गत उद्योग में नहीं आता । इस बारे में केवल यह उल्लेख कर देना उचित होगा कि यह पूरी तरह से कानूनी प्रश्न है जिसे इस न्यायालय में उत्तर में स्पष्ट शब्दों में उठाया जाना आवश्यक नहीं था तथा इसके अतिरिक्त उत्तर के पैरा-II में बताया गया है कि अप्रार्थी उद्योग की श्रेणी में नहीं आता है ।

विपक्षी की ओर से सम्माननीय उच्चतम न्यायालय की उपरोक्त व्यवस्था गुजरात के नियमों पर आधारित होना बताया गया है तथा उपरोक्त अनुसार व्यवस्था को देखते

हुए यह तर्क मानने का कोई आधार नहीं रह जाता है। इसी तरह औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2(एस) के अन्तर्गत वर्कमन की परिभाषा में राजस्थान राज्य के संशोधन की तरफ भी न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया गया है। संशोधन को इस न्यायालय द्वारा देखा गया। इन्डस्ट्रीयल लॉ बाई श्री पी०एल० मलिक—17वां संस्करण 1996 ईस्टर्न बुक कम्पनी लखनऊ में धारा 2(एस) के अन्तर्गत राजस्थान के संशोधन का उल्लेख है जिसके अनुसार अधिनियम में जो परिभाषा है उसमें राजस्थान राज्य में "by an employer or by a contractor in relation to the execution of his contract with such employer" बताया गया है, परिभाषा में यह परिवर्तन केवल मात्र कोन्ट्रेक्ट वर्कर इत्यादी को प्रभावित करते है तथा इस मामले को किसी तरह से प्रभावित नहीं करते। विपक्षी का एक मुख्य तर्क यह भी है कि यह एक must question of law of facts है यह तर्क सारहीन प्रतीत होता है क्योंकि रेफरेन्स व स्वयं प्रार्थी के अनुसार विपक्षी "सुपरिन्टेन्डेन्ट पोस्ट आफिस सिरोही" नियोजक है। इस तरह यह मान्य व प्रमाणित स्थिति प्रतीत होती है कि पोस्ट ऑफिस नियोजक है। अतः नियोजक कौन है, यह निर्धारित करने के लिए इस मामले में कोई विवादित तथ्य ही विचारणीय नहीं रह जाता। अन्त में प्रार्थी की ओर से अधिनियम की धारा 2(एन) की तरफ न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया गया तथा बताया गया कि धारा 2(एन)(3) में पोस्टल, टेलीग्राफ और टेलीफोन सर्विस को शामिल किया गया है। अतः इन विभागों व कार्यों को उद्योग माना जाना चाहिये। न्यायालय की राय में यह तर्क भी मानने योग्य नहीं है क्योंकि धारा 2(एन) में "पब्लिक युटीलिटी सर्विस" की परिभाषा दी गई है। अधिनियम में पब्लिक युटिलिटी सर्विस में हड़ताल इत्यादि के लिए कुछ अलग से प्रावधान है, जिसके उद्देश्य से यह परिभाषा दी गई प्रतीत होती है तथा पब्लिक युटिलिटी सर्विस में पोस्टल सर्विसेज इत्यादि को शामिल किये जाने से अधिनियम के अन्तर्गत उद्योग की परिभाषा पर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

इस तरह यह प्रमाणित है कि सम्माननीय उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था ए०आई०आर० 1996 एस०सी० 1217 के अन्तर्गत पोस्टल एण्ड टेलीग्राफ उद्योग की श्रेणी में नहीं है अतः विपक्षी नियोजक का यह आवेदन स्वीकार किये जाने योग्य है। चूंकि विपक्षी नियोजक सुपरिन्टेन्डेन्ट पोस्ट आफिस उद्योग नहीं है अतः यह रेफरेन्स चलने योग्य भी नहीं रह जाता।

सम्माननीय उच्चतम न्यायालय की उपरोक्त व्यवस्था में नियमों का उल्लेख करते हुए यह बताया गया है कि नियम-6 के अनुसार श्रमिक ऐसे मामलों में एक माह के नोटिस का अधिकारी हो सकता है। अतः इस मामले में भी प्रार्थी एक माह के वेतन व उस पर नियमानुसार देय महंगाई भते की राशि प्राप्त करने का अधिकारी है। तदनुसार यह रेफरेन्स निर्णित किये जाने योग्य है। प्रार्थी श्रमिक एक माह का वेतन व उस पर देय महंगाई भता (जिस दर से अन्तिम बार दिया गया) प्राप्त करने का अधिकारी है।

अधिनिर्णय

अतः यह अधिनिर्णित किया जाता है कि पोस्टल डिपार्टमेन्ट उद्योग की श्रेणी में नहीं है, प्रार्थी एक माह का वेतन व महंगाई भता प्राप्त करने का अधिकारी है, जो विपक्षी नियोजक द्वारा प्रार्थी को अदा किया जावे, अतः औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत तथा इस न्यायालय से प्रार्थी कोई अन्य अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। पक्षकार व्यय अपना-अपना वहन करेंगे। इस अधिनिर्णय को प्रकाशनार्थ श्रम मंत्रालय भारत-सरकार को प्रेषित किया जावे।

यह अधिनिर्णय आज दिनांक 13-11-1997 को खुले न्यायालय में हस्ताक्षर कर सुनाया गया।

चांदमल तोलानी, न्यायाधीश

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 1998

का०आ० 251:—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार में एच०पी०सी०एल० के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण जोधपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 5-1-98 को प्राप्त हुआ था।

[सं० एल-30012/72/96-आई०आर० (सी०I)]
के०वी०बी० उण्णी, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 6th January, 1998

S.O. 251.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Jodhpur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/s. H.P.C. Ltd. and their workman, which was received by the Central Government on 5-1-98.

[No. L-30012/72/96-IR(C-I)]
K. V. B. UNNY, Desk Officer

अनुबंध

औद्योगिक विवाद अधिकरण एवं श्रम न्यायालय
जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :—श्री चांदमल तोलानी, आर०एच० जे०एस०
औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय) संख्या :—2/1997

श्री मुरली थवानी पुत्र श्री गुरबोमल मार्फत श्री मोहन खानी, मकान सं० 4-3-1, तीसरी पुलिया चौपासानी हाऊसिंग बोर्ड, जोधपुर।

—प्रार्थी

बनाम

महाप्रबन्धक (उत्तरी क्षेत्र) एच. पी. सी. एल. जीवन भारती 11 वां तल टावर—1 कनाट सर्कस नई दिल्ली—110001

अप्रार्थी

उपस्थिति :—

(1) प्रार्थी की तरफ से श्री विजय मेहता प्रतिनिधि

(2) अप्रार्थी की तरफ से श्री एम. एस. सिंघवी प्रतिनिधि

अधिनिर्णय

दिनांक 18-10-1997

श्रम मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एल.-30012/72/96-प्रार (सी-1) के द्वारा श्रमिक प्रार्थी व विपक्षी नियोजक के मध्य निम्नांकित औद्योगिक विवाद अधिनिर्णय हेतु इस न्यायालय को प्रेषित किया है :—

"Whether the action of the management of Hindustan Petroleum Corp. Ltd. in terminating the services of Shri Murli Thawani by order dated 31-8-1995 is legal and justified ? If not, to what relief is the concerned workman entitled ?"

2. प्रार्थी ने अपनी मांग सूची में बताया है कि उसे 7-10-1993 को एक आरोप-पत्र देकर विपक्षी ने उस पर आक्षेप लगाया है कि वह आदतन अनुपस्थित रहने का आदी है तथा उसने आदेशों की अवहेलना की है तथा वह निगम कानूनों का उल्लंघन करने का आदी है। प्रार्थी ने आरोपों का खण्डन करते हुए संतोषजनक उत्तर दिया इसके बावजूद भी उसके विरुद्ध जांच हुई जो जांच प्रार्थी पर लागू होने वाले सेवा नियम तथा न्याय के प्राकृतिक सिद्धांतों के विरुद्ध की गई। मांग सूची में बताया गया कि आरोप-पत्र विवरण रहित तथा त्रुटिपूर्ण था तथा प्रार्थी को उसके विरुद्ध उपयोग में लाने वाले दस्तावेजात न तो बताये गये न उनकी प्रतिलिपियां दी गई तथा जांच में ऐसे दस्तावेजात प्रस्तुत नहीं किये गये। इसके बावजूद जांच प्रतिवेदन में 17 दस्तावेजों का उल्लेख कर उन पर विचार किया गया तथा उन दस्तावेजों को जांच प्रतिवेदन का आधार भी बनाया गया। मांग सूची में बताया गया है कि यह आवश्यक था कि गवाहात को प्रस्तुत कर इन दस्तावेजात को सिद्ध कराया जाता, मांग सूची में बताया है। कि प्रार्थी को बचाव सहायक नियुक्त करने के अधिकार से वंचित रखा गया, दबाव डालकर तथा झूठे आश्वासन देकर आरोप स्वीकृति के हस्ताक्षर भी प्रार्थी से करवाये गये। जांच में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुई, प्रार्थी की कथित सहमति बेबसर है तथा जांच एक नाटक मात्र थी जिसमें जांच अधिकारी व अनुशासनिक अधिकारी ने प्रोसिक्यूटर तथा जज तथा का कार्य किया। मांग पत्र में बताया गया कि आरोप पत्र जारी करने के पश्चात् भी दिसम्बर, 1994 की अनुपस्थिति को भी दुराचरण माना गया तथा इस तरह की त्रुटिपूर्ण जांच के उपरान्त भी प्रार्थी को 26-8-95 को सेवा से पृथक करने का आदेश पारित कर दिया गया जिसकी सूचना प्रार्थी को 31-8-95 को मिली। मांग सूची में बताया गया है कि उपरोक्त कारणों से जांच व जारी किये गये आदेश विधि विरुद्ध होकर निष्प्रभावी हैं। मांग सूची में यह भी बताया गया है कि प्रार्थी की अपील भी गैर कानूनी तरीके से निरस्त कर दी गई। अन्त में बताया गया है कि प्रार्थी स्थाई कर्मचारी था जिसने आठ वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली थी अतः यह दंड अत्यधिक है। प्रार्थी ने सेवा में निरन्तर मानने तथा उपरोक्त समय के वेतन व देय भत्ते दिलाये जाने व सेवा में पुनर्स्थापित किये जाने की मांग की है तथा बकाया राशि पर 18 प्रतिशत ब्याज व खर्चा कार्यवाही की मांग भी की है।

3. विपक्षी नियोजक ने अपने उत्तर में बताया है कि प्रार्थी को आरोप पत्र दिया गया जिसका उत्तर सन्तोषजनक नहीं होने से उसके खिलाफ विभागीय जांच हुई तथा प्रार्थी ने 12-1-1995 की विभागीय जांच में अपने विरुद्ध लगाये गये आरोपों को स्वीकार किया अतः यह नहीं कहा जा सकता कि की गई जांच न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। उत्तर में बताया गया है कि प्रार्थी द्वारा उसे दस्तावेजात नहीं दिया जाना गलत बताया गया है तथा यह भी गलत है कि आरोप-पत्र विवरण रहित हो एवं प्रार्थी ने किसी तरह के दस्तावेजात की मांग भी नहीं की। उत्तर में यह भी बताया गया है कि प्रार्थी ने आरोप स्वीकार करते हुए माफी मांगी तथा किसी भी दस्तावेज को सिद्ध करने की आवश्यकता तभी होती है जब कि इन्कार किया जावे तथा इस मामले में प्रार्थी ने आरोपों को स्वीकार करके गलती मान ली थी उत्तर में इससे भी इन्कार किया गया है कि प्रार्थी पर कोई दबाव डाला गया या कोई झूठे आश्वासन दिये गये। उत्तर के अनुसार जांच में साक्ष्य की आवश्यकता ही नहीं थी क्योंकि प्रार्थी ने आरोपों को स्वीकार कर लिया था उत्तर में यह भी बताया गया है कि आरोप पत्र देने के बावजूद भी कार्य पर उपस्थित नहीं हुआ अतः प्रार्थी की दिसम्बर 1994 तक की अनुपस्थिति को दुराचरण मानने में कोई गलती नहीं की है। यह भी बताया गया है कि अनुशासनिक अधिकारी ने प्रार्थी को 18-5-95 को नोटिस भेजा जिसके साथ में जांच अधिकारी की रिपोर्ट की प्रतिलिपी भेजी गई जिसका उत्तर प्रार्थी ने 16-6-95 को प्रस्तुत किया जिसमें भी प्रार्थी ने जांच के संबंध में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की बल्कि स्पष्टतौर से अपनी गलती स्वीकार की अतः अनुशासनिक अधिकारी ने प्रकरण के समस्त तथ्यों को देखते हुए यह माना व आदेश दिया कि प्रार्थी को सेवा में रखने का कोई औचित्य नहीं है अतः सेवा से पृथक करने का दंड दिया गया। उत्तर में बताया गया है कि प्रार्थी बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहने का आदी हो चुका था अतः प्रार्थी के ऐसे कृत्यों से विपक्षी संस्थान में अनुशासनहीनता के वातावरण की संभावना थी अतः परिस्थितियों को देखते हुए दिया गया दंड अधिक भी नहीं कहा जा सकता तथा दंड में न्यायालय के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। उत्तर के अनुसार प्रार्थी सेवा से हटाने के पश्चात् लाभ अर्जन कर रहा है तथा अपनी आजीविका भी कमा रहा है। व्यय सहित

मांग सूचि निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई । उत्तर में विकल्प में यह बताया गया है कि यदि वह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जांच नियमानुसार नहीं है तो आरोपों के संबंध में साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत करने की अनुमति दी जावे ।

4. जांच की वैधानिकता व दिये गये दण्ड पर तर्क सुने गये । प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया ।

5. विपक्षी जांच रिपोर्ट की प्रतिलिपि प्रस्तुत की है जिसके अनुसार कर्मचारी (प्रार्थी) ने 12-1-1995 को आरोपों को स्वीकार किया । प्रार्थी की अनुपस्थिति का विवरण इसमें लिखा गया है जिसके अनुसार जनवरी 1993 से दिसम्बर 1994 तक तीन महीनों को छोड़कर प्रत्येक माह में लगभग चार-पांच दिन अनुपस्थित रहा है तथा लगभग प्रत्येक माह प्रार्थी को ड्यूटी पर उपस्थित होने के लिए टेलीग्राम भेजे गये, दिनांक 16-6-95 का दिनांकित एक पत्र की प्रतिलिपि प्रस्तुत हुई है जिस पत्र में प्रार्थी ने यह स्वीकार किया है कि उससे गलती हो गई, वह माफी चाहता है । इस पत्र में करीब पांच-छः स्थान पर गलती होना स्वीकार किया गया है । इससे यह प्रकट होता है कि जांच पूरी होने के बाद प्रार्थी ने अपनी गलती स्वीकार की । प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत डिसीप्लीनरी ओथोरिटी के आदेश के अनुसार सेवामुक्ति का आदेश 6-8-95 को जारी हुआ अतः यह प्रमाणित है कि प्रार्थी के 6-6-95 के उत्तर पर भी विपक्षी के यहां विस्तार से विचार किया गया जिसकी प्रतिलिपि भी स्वयं प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत की गई है : अतः यह नहीं कहा जा सकता कि प्रार्थी को स्वयं आरोप स्वीकार करने के लिए या अपनी गलती मानने के लिए किसी ने कोई दबाव डाला था । अतः विभागीय जांच पूरी तरह से विधिनुसार व प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार होना प्रमाणित है ।

6. प्रार्थी की सेवामुक्ति की गई तथा आवेदन में बताया गया है कि दिया गया दण्ड अत्यधिक है । विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने तर्क दिया है कि प्रार्थी की आठ वर्ष की सेवा पूर्ण हो चुकी थी तथा प्रार्थी पर मुख्य तौर से आरोप ड्यूटी से अनुपस्थित रहने का आदी होने का है । अतः सेवामुक्ति का दण्ड अत्यधिक है एवं वेतन वृद्धियां रोका जाना ही पर्याप्त हो सकता है प्रार्थी की ओर से इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था 1986 (सुप्रीम कोर्ट) सुप्रीम कोर्ट केसेज 668 एलक्जेन्डरपालसिंह बनाम डिवीजनल सुपरिनटेन्डेन्ट व अन्य प्रस्तुत की गई है जिसका आदरपूर्वक अवलोकन किया गया । इस आधार पर प्रार्थी की ओर से बताया गया कि कुछ वेतन वृद्धियां रोका जाना पर्याप्त है । विद्वान अभिभाषक विपक्षी की ओर बताया गया कि प्रार्थी लगभग प्रत्येक माह में कुछ दिन अनुपस्थित होता रहा था, उसे लगभग प्रत्येक माह उपस्थित आने के लिए सूचना भेजनी पड़ती थी अतः प्रार्थी न केवल अनुपस्थिति का आदी था बल्कि अत्यन्त ही आदी हो चुका था तथा स्वयं प्रार्थी हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन के कार्य की प्रकृति को देखते हुए इस तरह यदि कर्मचारी बिना सूचना के अचानक तथा वह भी आदतन अनुपस्थित रहे तो सारा कार्य अस्त-व्यस्त हो सकता है जिसके दूरगामी परिणाम हो सकते है । अतः इस तरह के मामले में वह भी जहां लगातार दो वर्ष तक ऐसा चलता रहा, प्रार्थी को सेवामुक्ति से कम दण्ड दिया जाना अनुचित नहीं कहा जा सकता ।

7. न्यायालय द्वारा तमाम तर्कों व परिस्थितियों पर विचार किया गया । प्रार्थी की आठ वर्ष की सेवा पूर्ण हो चुकी है, इसकी सम्भावना इन्कार नहीं किया जा सकता कि वह अन्य नियमित सेवा के लिए निर्धारित आयु सीमापार कर चुका हो । आरोप चरित्र मारपीट, तोड़-फोड जैसे प्रकृति के नहीं है अतः न्यायालय की राय में प्रार्थी की वेतन वृद्धियां रोके जाने के बजाए उसे जिस वेतन श्रृंखला में वह था, उस वेतन श्रृंखला के न्यूनतम वेतन पर सेवा में पुर्नस्थापित किया जाना चाहिये साथ ही यह निर्देश भी दिया जाना चाहिये कि प्रार्थी को उक्त सेवामुक्ति की तिथि से उसके ड्यूटी जॉईन करने तक की अवधि का किसी तरह का कोई वेतन व भत्ते देय नहीं होंगें, उसकी सेवा में कोई अवरोध नहीं माना जायेगा परन्तु उसकी सेवामुक्ति से आज तक की तिथि का समय उसकी वरिष्ठता के लिए नहीं गिना जायेगा । अनुपस्थिति की तमाम अवधि का नियम विपक्षी नियमानुसार बिना वेतन के मानते हुए या विशेष अवकाश के मानते हुए या इसी के अनुरूप नियमानुसार करे । तदनुसार यह प्रकरण अधिनिर्णित किया जाना चाहिये

अधिनिर्णय

8. श्रम मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एल . 320012/72/96—1आर . (सी . 1) से इस न्यायालय को अधिनिर्णय हेतु प्रेषित विवाद का अधिनिर्णय इस प्रकार किया जाता है कि प्रार्थी का विपक्षी के 31-8-95 के आदेश से विभागीय जांच में दोषी पाया जाना विधिनुसार है । यह भी अधिनिर्णित किया जाता है कि प्रार्थी को सेवामुक्ति का दण्ड दिया जाना अत्यधिक है, सेवामुक्ति का दण्ड समाप्त कर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी को जिस पद पर वह था, उस पद पर पुर्नस्थापित किया जावे परन्तु (1) प्रार्थी को उसके पद की वेतन वेतन श्रृंखला में जो न्यूनतम वेतन है, उस न्यूनतम वेतन पर पुर्नस्थापित किया जावे (इस अधिनिर्णय के पहले की सेवा का कोई बकाया वेतन देय नहीं है न होगा (2) प्रार्थी के अनुपस्थिति की अवधि व सेवामुक्ति के बाद उसे पुनः ड्यूटी में लेने तक का समय विपक्षी नियमानुसार अवैतनिक अवकाश विशेष अवकाश या इसी के अनुरूप नियमन करे (3) प्रार्थी की सेवा में कोई अवरोध नहीं होगा परन्तु 31-8-95 से आज तक की अवधि प्रार्थी की वरिष्ठता निर्धारण में नहीं गिनी जायेगीं' (इस अधिनिर्णय की प्रति श्रम-मंत्रालय भारत सरकार को प्रकाशनार्थ प्रेषित की जावे ।

9. यह अधिनिर्णय आज दिनांक 18-10-1997 को खुले न्यायालय में हस्ताक्षर कर सुनाया गया।

चांदमल तोतला, न्यायाधीश

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 1998

का.आ. 252.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मै० सागर सर्विसेज के प्रबंधतंत्र के संबंद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, (सं. -2), मुम्बई के पंचाट को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 2-1-98 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-20040-81-94-आई आर (सी-I)]

के. वी. बी. उण्णी, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 6th January, 1998

S.O. 252.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Govt. Industrial Tribunal, (No.-2), Mumbai as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/s. Sagar Services and their workman, which was received by the Central Government on 2-1-98.

[No. L-20040/81/94-IR(C-I)]

K. V. B. UNNY, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. II MUMBAI

PRESENT :

Shri S. B. Panse, Presiding Officer

Reference No. CGIT-2/31 of 1995

Employers in relation to the management of M/s. Sagar Services.

AND

Their Workmen

APPEARANCES :

For the Employer No. 1—Mr. Haresh Motwani, Advocate.

For the Employer No. 2—Mr. G. D. Talreja, Advocate.

For the Workmen—Mr. S. R. Wagh, Advocate.

Mumbai, dated 4th December, 1997

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour by its Order No. L-20040/81/94-IR (Coal-I), dtd 30-11-95, had referred to the following Industrial Dispute for adjudication :

"Whether the action of the management of M/s. Sagar Services, Contrator of ONGC Ltd., in not accepting the charter of demands served by the Union is justified or not ? What reliefs should be granted ?"

2. The Transport and Dock workers' union Mumbai filed a Statement of Claim (Exhibit-4) on behalf of the workman. It is pleaded that the Oil and Natural Gas Commission Ltd (ONGC Ltd.) conducts his business of exploring and extracting oil from sea bed in the vicinity of Mumbai, Raigad, Thane Districts and other places. It employs several contratcors to perform different types of work while conducting its business. M/s. Sagar Services is one of such contractors. It has to fulfil its contractual obligations and employ workmen. The contact is for 'messenger services'.

3. The contractor registered under the provisions of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 and the ONGC Ltd. is registered as a 'principal employer' under the same Act. It is asserted that the service conditions of the workman employed by the contractor are very poor. He pays very low wages and other service conditions are denied to the workman. It is asserted that the workmen are deprived of the benefits which they are entitled to under different laws.

4. The Union therefore to improve the service conditions of the workmen served Charter of demands on the contractor and ONGC Ltd, to which none of them paid any attention. It is therefore the union by this letter dated 13-7-93 addressed to the Assistant Labour Commissioner, Mumbai requested for admitting the Charter of demands in concillation. But the matter could not be settled.

5. The union asserted that the specific demands as per the Charter of demands dtd. 13-7-93 relate to (1) Wages (2) Leave (3) Provident Fund (4) General-Monsoon, safety gears, uniform, working hours overtime, injury compensation, identity card and bonus.

6. The union averred that the ONGC entered into two Memorandum of Understandings with the union in conciliation proceeding before the Regional Labour Commissioner on 15-1-93 and on 12-7-95 by which the wages of all the contract workers were revised and regularised. That Memorandum of Understanding is binding on existing contractors and new contractors. It is averred that accordingly the contractor revised the wages. Thus the demand of wage revision was met with, but other service conditions as demanded by the union were not met with. The Union averred that the other benefits which they have claimed are justified and other employees working in similar situation are getting the same. It is therefore pleaded that their demands are just and proper and they are entitled to receive them with retrospective effect.

7. The ONGC filed a written statement at Exhibit-7. It is pleaded that it is not an employer of the workman on whose behalf the appropriate Charter of demands dated 13-7-93 has been raised by the union within the meaning of section 2(G) of the Industrial Disputes Act of 1947. It is averred that it was never served on them before sending it to the Assistant Labour Commissioner. It is submitted that the Industrial Disputes Act does not recognised Tripartite Relationship of the principal employer, the contractor and the workman engaged by the contractor. It is therefore, the reference is not maintainable against the ONGC. The Tribunal had no jurisdction to try the said reference against the ONGC. It is averred that ONGC is not necessary party nor a formal party to the said reference.

8. It is averred that ONGC is a public Limited Company Registered under the Companies Act of 1956 w.e.f. 1-2-94 engaged in the business of developing the Hydro Carbons in an environmental harmonlous manner and maximise the contribution to the economy of the country Sagar service agency was an independent contractor with its own work force under their control, supervision and discipline. The contractor was required to comply with all labour laws and the ONGC was not responsible and liable for any violation of the Labour laws alleged to have been made by the Contractor. It is submitted that it's contract was extended from time to time. The ONGC pleaded that as per the information received the contractor paid wages to their workmen which were not less than the Minimum rate of Wages fixed by State Government or the Central Government under the provisions of the Minimum Wages Act. It is pleaded that by Memorandum of Understanding dated 15-1-92 and 12-7-95 the wages of the Contract workmen were revised. As per that Memorandum of Undestanding the contractor has been made liable to pay wages and other benefits to their workmen as provided there in and not the ONGC. It is submitted that no relief can be granted against ONGC in this reference.

9. Sagar services filed a written statement at Exhibit-18. It is averred that no Charter of demand was served to the Contractor before raising an Industrial Dispute. Therefore the reference is not maintainable. It is pleaded that

the union does not possess the representative character and status to raise the demands on behalf of the workman employed by the contractor. It is pleaded that the contract which was given to the contractor will expire on 30-4-97. It is submitted that the contractor who is a job contractor for providing messenger service within Greater Bombay, Panvel, Navasheva and Uran for dak distribution is struggling to survive in the highly competitive market having no financial capacity to bear the additional burden by granting revision in wages and other services of the Government. It is not expected to bear extra financial burden. It is submitted that by the contract Sagar services gets Rs. 20,000 per month from the principal employer and it has distributed Rs. 18,700 to the workman. It has to pay the taxes and other incidental charges and he can only get Rs. 733 per month. It is submitted that the Industrial Disputes Act does not recognise Tripartite relationship. It is therefore the reference is not maintainable. It is asserted that the contractor is not party the Memorandum of Understanding dated 15-1-92 and 15-7-95 which were alleged to be signed before the Regional Labour Commissioner, Mumbai. It is therefore the Contractor is not liable to extend the wages and service conditions as provided to the MOU.

10. The contractor asserted that the service conditions to the workman engaged by him are fairly good and reasonable. It is averred that the provisions of the employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act of 1952 are not applicable so also the employees State Insurance Act of 1948. It is averred that the work allotted to the contractor is permissible under the provisions of the Contract Labour (Regulation and Abolitions Act of 1978).

11. The contractor asserted that the workmen are granted all public and bank holidays as paid holidays. They are also given two weeks off. Their working hours are from 10.00 a.m. to 5.00 p.m. They are given advance against wages and other loans looking to the exigencies of the situation. They are provided with one bag for delivery of dak. They enjoy 21 days of leave benefit and are also paid bonus. They are given monsoon protective gear. It is averred that there is no deduction from the salary of the workman if they remained absent due to the sickness and other exigencies when he does not report for work. For all these reasons its is submitted that the reference may be answered accordingly.

12. The union filed a rejoinder at Exhibit-10. It reiterated the contentions taken in the statement of claim and denied the contentions taken in the written statement.

13. The issues that fall for my consideration and my findings thereon are as follows :—

	Issues	Findings
1.	Whether the reference is maintainable ?	Yes.
2.	Whether the action of the management of M/s Sagar services, contractor of ONGC Ltd. in not accepting the charter of demand served by the union is justified or not ?	Not justified.
3.	What relief should be granted ?	As per order.

REASONS

14. M/s. Sagar service agency is the employer of the workmen and a contractor of ONGC the principal employer in relation to the workman concerned. Sagar services controls the work and discipline them It is not in dispute that the Memorandum of Understanding arrived at between ONGC's and different unions are required to be followed by the contractors and pay wages and extend benefits as provided there in. There is no category of a messenger in the employment of ONGC.

15. It is tried to argue on behalf of the contractor and ONGC that no Charter of demand was ever served on them by the workman before he approached the Assistant Labour Commissioner. Hence the reference is not maintainable. Nowhere there is no record to that effect nor the workman Ashupati Babu (Exhibit-11), affirmed to that effect. But, they had raised the dispute before the Assistant Labour Commissioner to put it for conciliation. The parties appeared before the Assistant Labour Commissioner. That itself goes to show that they were aware of the demand of the workman and as such it cannot be said that they were not informed regarding it.

16. In normal course when such demands are made the concerned persons are always informed. There was no reason for the union not informing the contractor and ONGC regarding their Charter of demand. It is contended that the demands were made to the contractor and ONGC but they did not pay any attention. Hence they approached the Assistant Labour Commissioner. Under such circumstances I and its copies were send to the contractor and ONGC. The parties appeared before the Assistant Labour Commissioner. Under such circumstances I do not find any reason to disbeleive the union that they did approach, the contractor and ONGC the principal employer with their charter of demands. It is common knowledge that when a matter can be settled outside the court nowadays it is the tendency to get it done then and there only to avoid expenditure and the time in the court proceedings. It is tried to argue on behalf of the ONGC and the cantractor that as the demand was not served on them the reference is not maintainable. For the reasons stated above I do not find any merit in it.

17. The Charter of demand is for different demands. They are innumerated in paragraph-7 of the Statement of Claim. Ashupathi Babu refers to the wages. He affairmed that he is paid Rs. 1600/- per month as the salary and stated that they are not paid as per the Memorandum of Understanding signed between the Transport and Dock workers Union and the Principal employer M/s. ONGC. Infact in the Statement of Claim in paragraph-8 it is categorically mentioned that in a conciliation proceeding before the Regional Labour Commissioner Mumbai dated 15-1-93 and12-7-95 by which the wages of Contract workers were revised and regularised. It is further mentioned that the demand of wage revision was made wtth it other service conditions is demanded by the union were not made with. In other there is no dispute in existence so far as wages are concerned. They are governed by Memorandum of Understandings. It lan be seen that the Charter of demand was dated 1-7-93 on which date Memorandum of Understanding dated 15-1-92 Exhibit-9|1) was in existence and not the later Memorandum of Understanding dated 12-7-95 After persual of the Memorandum of Understanding dated 15-1-92 it is very clear that the employees are entitled to the wages as stated there in. It is common knowledge then a contract is given to the contractor the MOU's are the part and parcels of the terms and conditions. I therefore find that the workmen are entitled to wages as mentioned in the Memorandum of Understanding.

18. It is tried to argue on behalf of the contractor that his initial position has to be seen when the wages are to be fixed. I am not finding the wages at all. The fixation of wages is carried out in Memorandum of Understanding for which the unions and the ONGC are the parties and the contractor when accepting the cantract accepts the terms and conditions of the Memorandum of Understanding. It is therefore not necessary for the Tribunal to look into the financial conditions of the contractor which is argued if he is not financially sound he should not

accept the contract on that basis. I therefore need no consider that portion of the argument and the evidence lead to that effect.

19. So far as the other claim of the union in respect of leave, Provident Fund and generally they are not covered under the Contract Labour (Regulation and Abolition Act) 1970. The Memorandum of Understanding provides for retention of those benefits which the employees are already enjoying. Here the testimony of Ashupathi (Exhibit-11) is relevant. He accepts the position that in ONGC there is no category of a messenger. There are no employees in ONGC doing the same type of work which carried out by these employees. In other words the service conditions of these workmen cannot be compared with the service conditions of other employees of ONGC. He will be entitled to get the benefits as per the terms and agreements with the contractor. It can be further seen that for comparing purpose there is nothing on the record to show that the contractor is not giving them the normal benefits which should be given. Ashupathi accepts that he attends the duty at 10.00 a.m. and distributes the mail in the office timings only. He works on the days when ONGC works. He gets holidays which are taken by the ONGC employees. He gets the holidays in Diwali and bank holidays like that of ONGC's. His salary is not deducted when he is absent due to sickness. He is paid travelling allowances which is flexible.

20. Anil Naik on the other hand affirms that these employees are given thirty days Earned Leave and he had no objection to grant them thirty days leave. He gives bags to them for carrying the mail. They are given once or twice in a year.

21 The demand for Provident Fund cannot be accepted because it is under the statute. Ashupathi affirmed regarding the claim of uniform and raincoat, cap and a pair of gumboots. He accepts that one umbrella is provided to them. Looking to the nature of work I do not think that the demand for uniform is justifiable. As umbrella is provided the demand for raincoat. can. gumboot does not appear to be proper. So far as the overtime is concerned it is again under the statute which cannot be granted separately by the Tribunal.

22. It is argued on behalf of the ONGC that the demand which is made [illegible] against the contractor and having nothing to do with it. No award can be passed against them. I am fully in agreement with it. They appear to be a formal party The relief given in the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act. 1970 can be made applicable with the principal employer when the contractor fails to make payment of wages In that case the registered employer namely the ONGC comes to the picture. For all these reasons I record my findings on the issues accordingly and pass the following order :

ORDER

The action of the management of M/s. Sagar Services Contractor of ONGC Ltd. in not accepting the charter of demand served by the union is not justified.

The workmen of the contractors are entitled to wages as per the Memorandum of Understanding signed between union and ONGC. The employees are entitled to thirty days Earned Leave as agreed by the contractor The employees are not entitled to any other benefits except which they are already enjoying.

S. B. PANSE, Presiding Officer

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 1998

का.आ. 253—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार ने इंडियन एयरलाइंस के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, मद्रास के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 2-1-98 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-20030/18/95-आई आर (सी-I)]
के. वी. बी. उण्णी, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 6th January, 1998

S.O. 253.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Madras as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/s. Indian Airlines and their workman, which was received by the Central Government on 2-1-1998.

[No. L-20030/18/95-IR (C-I)]
K. V. B. UNNY, Desk Officer.

ANNEXURE

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL, TAMIL NADU, MADRAS.

Thursday, the 18th day of December, 1997

PRESENT :

THIRU S. ASHOK KUMAR, M.Sc., B.L., INDUSTRIAL TRIBUNAL.

INDUSTRIAL DISPUTE NO. 105 OF 1996

(In the matter of the dispute for adjudication under Section 10(1)(d) of the I. D. Act, 1947 between the Workman and the Management of Indian Airlines Limited, Madras).

BETWEEN :

Shri M. V. Ananthasubramanian, 67, Lakshmi Nagar, 4th Stage, Nanganallur, Madras—600 001.

AND

The Regional Director, Indian Airlines, Southern Region, Madras—600 027.

REFERENCE :

Order No. L-20030/18/95-IR (Coal-I), Ministry of Labour, dated 28-11-1996, Govt. of India, New Delhi.

This dispute coming on for final hearing on this day, in the presence of M/s. N. G. R. Prasad and K. Indira, Advocates appearing for the respondent, upon perusing the reference and other papers on record, claim statement not being filed, this Tribunal passed the following :

AWARD

"Whether the action of the management of Indian Airlanes, Madras in dismissing Shri M. V. Ananthasubramanian, from service w.e.f. 20-8-1992 is fair and justified ? If not, to what relief is the workman entitled ?"

Claim statement not filed. Dismissed for default.

Dated, this the 18th day of December, 1997.

S. ASHOK KUMAR, Industrial Tribunal.

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 1998

का०आ०—254—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मै० बी० सी० सी० एल० के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केंन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण (सं०-2), धनबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 5-1-98 को प्राप्त हुआ था ।

[सं. एल-20012/42/294-आई आर (सी-I)]

के० वी०बी० उण्णी, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 6th January, 1998

S.O. 254.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, (No. 2), Dhanbad as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M|s. B.C.C.L. and their workman, which was received by the Central Government on 5-1-1998.

[No. L-20012/422/94-IR (C-I)]

K. V. B. UNNY, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

PRESENT :

Shri B. B. Chatterjee, Presiding Officer.

In the matter of an Industrial Dispute under Section 10(1)(d) of the I. D. Act, 1947.

REFERENCE NO. 148 OF 1995.

PARTIES :

Employers in relation to the management of Sudamdih Area of M/s. B.C.C.L. and their workmen.

APPEARANCES :

On behalf of the Workmen : None.

On behalf of the Employers : Shri B. Joshi, Advocate.

STATE : Bihar. INDUSTRY : Coal.

Dated, Dhanbad, the 29th December, 1997.

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I. D. Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their Order No. L-20012/422/94-I. R. (Coal-I), dated, the 18th October, 1995.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Sudamdih Incline of M/s. B.C.C.L. in dismissing the services of Shri Haradhan Rai, Haulage Operator is justified ? If not, to what relief the concerned workman is entitled ?"

2. Soon after the receipt of the order of reference notices were duly served upon the parties. None of the parties turned up nor took any steps. Subsequently, when the case was fixed the learned Advocate Shri B. Joshi appeared for the management and filed a memorandum of settlement under the signature of both the parties. I have gone through the terms of settlement and find that the terms contained therein are fair and proper and beneficial to both the parties. Accordingly, I accept the said settlement and pass an Award in terms thereof which forms part of the Award as Annexure.

B. B. CHATTERJEE, Presiding Officer

ANNEXURE

FORM—H

SETTLEMENT ARRIVED AT BETWEEN THE MANAGEMENT OF SUDAMDIH AREA BCCL AND THE REPRESENTATIVE OF RCMS AND THE WORKMAN SHRI HARADHAN ROY EX-HAULAGE OPERATOR OF SUDAMDIH INCLINE MINE, BCCL.

BRIEF HISTORY :

The services of Shri Harudhan Roy, Ex-Haulage Operator of Sudamdih Incline Mine was terminated on 8-2-1991 on account of asenteeism|habitual absenteeism on the proved charges against him. The Union (RCMS)|workman (Haradhan Roy) had been appealing time and again for his re-instatement on various grounds and ultimately the matter was referred to the Director (Personnel), BCCL and on compassionate ground his re-instatement has been ordered vide letter No. BCCL|PER|IR|96|1024 dated 7|8-2-1996 from the General Manager (P & IR), BCCL, Koyla Bhawan, Dhanbad. Accordingly the Settlement is arrived at on the under noted terms & conditions :—

TERMS OF SETTLEMENT :

(1) Shri Haradhan Roy, Ex-Haulage Operator of Sudamdih Incline Mine shall be re-instated on duty without any back wages in his existing capacity at sudamdih Incline Mine within 15 (firteen) days time from to-day or reporting on duty whichever is earlier.

(2) The concerned workman/Union will not raise any dispute about his back wages for the period of his idleness from his date of dismissal i.e. 8-2-1991 till his resumption on duty, at any juncture.

(3) The period of idleness shall be treated as DIES-NON and shall be counted for continuity of service and in case any leave/ sick was due to the employee, that will be permitted subject to application/sick report to that effect.

(4) This is full and final SETTLEMENT and copy of the same shall be sent to the asstt. Labour Commissioner (Central), Dhanbad for registration of the same as SETTLEMENT under the I. D. Act.

SIGNED ON BEHALF OF THE UNION/WORKMAN.

Sd|-

J. P. SINGH, Area Secy., CMS, Sudamdhi.

Sd|-

HARADHAN ROY, Ex-Haulage Operator, Sudamdih Incline Mine.

Sd|-

SIGNED ON BEHALF OF THE MANAGEMENT:

Sd|-

S. C. SONEJA, Dy. C.P.M. (SA) Sudamdih.

Sd|-

H. K. CHOUDHARY, Dy. Personnel Manager, Sudamdih Area.

WITNESS :

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 1998

का०आ० 255:— औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1447 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार गैरीसन इंजीनियर (आर्मी), 865 ब्रांच 56 ए० पी० ओ० जैसलमेर के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, जोधपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 6-1-98 को प्राप्त हुआ था।

[सं० एल-14012/1/94-आई०आ० (डीयू)]

के० वी० बी० उण्णी, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 6th January, 1998

S.O. 255.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Industrial Tribunal, Jodhpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of G.E. (Army), 860 Branch 56 APO, Jaisalmer and their workman, which was received by the Central Government on the 6-1-1998.

[No. L-14012/1/94-IR(DU)]

K. V. B. UNNY, Desk Officer

अनुबन्ध

औद्योगिक विवाद अधिकरण एवं श्रम न्यायालय,

जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :— श्री चांदमल तोतला, आर.एच.जे.एम.

औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय) संख्या : 1/1994

श्री अब्दुल करीम पुत्र श्री अब्दुल रहमान, उम्मेद चौक, गोलनाडी मस्जिद के पीछे, किराना चौक, जोधपुर ।

——प्रार्थी श्रमिक

बनाम

गैरीसन इंजीनियर (आर्मी), 860 इंजीनियर वर्क्स, ब्रांच-56 ए.पी.ओ., जैसलमेर ।

——अप्रार्थी नियोजक

उपस्थिति :

(1) प्रार्थी की तरफ से श्री डी.के. परिहार अधिवक्ता उप.

(2) अप्रार्थी की तरफ से श्री बी.पी. बोहरा एडवोकेट उप.

अधिनिर्णय

दिनांक 18-10-1997

श्रम मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एल. 14012/1/94 दिनांक 31-10-1994 से पक्षकारों के मध्य निम्नांकित औद्योगिक विवाद इस न्यायालय को अधिनिर्णयार्थ प्रेषित किया गया है :—

"Whether the action of G.E. (Army), 860 Branch 56APO Jaisalmer is terminating the service of Shri Abdul Karim on 2-1-93 is legal and justified ? If not, to what relief is the concerned worker and what date ?"

2. प्रार्थी श्रमिक ने अपने मांग-पत्र में बताया है कि उसकी नियुक्ति मजदूर के पद पर गेरीसन इंजीनियर (आर्मी), जोधपुर के द्वारा दिनांक 11-12-1980 को की गई जब से प्रार्थी गेरीसन इंजीनियर के अधीनस्थ वर्कशाप में मजदूर व हैल्पर का कार्य करता था तथा गेरीसन इंजीनियर औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत उद्योग की परिभाषा में आता है । मांग-पत्र के अनुसार प्रार्थी को वर्ष 1988 में हेमरमैन के पद पर पदोन्नत किया गया तथा प्रार्थी से लोहार का कार्य करवाया गया तथा वर्ष 1990 में जैसलमेर स्थानान्तरित कर दिया गया जहां वह लगातार कार्य करता रहा है । मांग-पत्र में बताया गया है कि उसे प्रथम बार मजदूर के पद पर नियुक्ति दी गई जिस पद हेतु कोई भी शैक्षणिक योग्यता आवश्यक नहीं थी तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ्य व्यक्ति को नियुक्ति दी जाती है तथा उस समय वह 20 वर्ष का स्वस्थ होकर मजदूर के पद के योग्य था । मांग-पत्र के अनुसार वर्ष 1992 में प्रार्थी के विरुद्ध सिविल सर्विसेज (क्लासीफिकेशन, कन्ट्रोल व अपील) रूल्स 1965 के अन्तर्गत एक इन्क्वायरी शुरू की गई जिस पर प्रार्थी पर आरोप लगाया गया

कि उसने आठवीं कक्षा का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया है वह फर्जी एवं गलत है तथा प्रार्थी ने इसके विरुद्ध अपना जवाब प्रस्तुत कर अपना डिफेंस कोन्सलर नियुक्त करने को कहा, प्रार्थी ने अपना डिफेंस कोन्सलर श्री के०के० टण्डन एक्स० एस० एस० के० ऑफ सी० ओ० डी० आगरा को मनोनीत किया व उनका नाम डिफेंस कोन्सलर हेतु रेफर किया परन्तु प्रार्थी के इस डिफेंस कोन्सलर को नहीं माना गया, अप्रार्थी ने 29-10-92 के पत्र से प्रार्थी को बताया कि 2-12-1992 को जांच अधिकारी के समक्ष जवाब व बचाव प्रस्तुत करें। जिसके बाद प्रार्थी अपने घर जोधपुर किसी कारणवश आया तथा जोधपुर में 30-11-92 को अचानक बीमार हो गया तथा राजकीय डिस्पेंसरी, महिलाबाग, जोधपुर के चिकित्सक से ईलाज करवाया एवं 4-12-1992 तक बीमार रहा जिस संबंध में 30-12-1992 को प्रार्थी ने पंजीकृत डाक से जांच अधिकारी श्री एल. सी. मीणा को पत्र भेजा कि 2-12-1992 को उपस्थित होने में असमर्थ है अतः जांच कार्यवाही स्थगित की जावे, जिस पत्र के साथ बीमारी का प्रमाणपत्र भी भेजा गया परन्तु इसके बावजूद जांच अधिकारी ने जांच कार्यवाही स्थगित नहीं की तथा इकतरफा आदेश पारित किया गया जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। मांगपत्र में बताया गया है कि पारित किया गया इकतरफा आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के प्रतिकूल है क्योंकि प्रार्थी उचित कारण से उपस्थित होने में असमर्थ था। यह भी बताया गया है कि प्रार्थी पर जो आरोप लगाये गये हैं वे अत्यन्त गम्भीर प्रकृति के नहीं होते हुए भी जांच अधिकारी ने गंभीर मानकर कार्यवाही की है। प्रार्थी को मजदूर के पद पर लगाया गया। था अब मजदूर के पद के लिए कोई शैक्षणिक योग्यता मांगी नहीं गई, चाही नहीं गई तथा उस पद पर सामान्यतया अनपढ़ व्यक्तियों को ही जो कि शारीरिक दृष्टि से उस पद के लिए योग्य होते थे, को लगाया जाता था। मांग-पत्र में यह भी बताया गया कि यदि प्रार्थी ने जो स्थानान्तरण प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया है वह फर्जी था तो भी प्रार्थी इस पद के लिए अयोग्य नहीं हो जाता। प्रार्थी ने अपने अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए यह प्रकट किया है कि उसे जो सजा दी गई है वह अत्यधिक है तथा इस कृत्य के लिए अधिक से अधिक एक या दो वेतन वृद्धियों को रोक लिया जाना पर्याप्त था। जब कि 9-2-1993 के आदेश से प्रार्थी की सेवा समाप्त कर दी है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध होकर शून्य है। मुख्यतौर से यह बताया गया है कि 2-12-1992 को असमायिक परिस्थितियां उत्पन्न हो जाने के कारण वह जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं हो पाया था तथा प्रार्थी द्वारा डिफेन्स कोन्सलर का नाम देने पर उसे डिफेन्स से वंचित रखा गया। अतः प्रार्थी की सेवा समाप्ति का आदेश अपास्त किया जावे तथा सेवा में पुर्नस्थापित कर तमाम वेतन लाभ दिलाये जाने की प्रार्थना की गई है।

3. विपक्षी गैरीसन इंजीनियर ने अपने उत्तर में स्वीकार किया है कि प्रार्थी को सन् 1980 में मजदूर के पद पर नियुक्त किया गया था। परन्तु बताया गया है कि पदोन्नति वर्ष 1988 में नहीं दी गई बल्कि 23-2-87 को दी गई थी। उत्तर में बताया गया है कि कमांडर वर्क्स इंजीनियर (आर्मी) के आदेश द्वारा प्रार्थी को 1990 में जैसलमेर में स्थानान्तरित कर उसे हैमर मैन के पद पर पोस्टिंग दी गई। उत्तर के अनुसार प्रार्थी के स्कूल प्रमाण-पत्र के अनुसार प्रार्थी की जन्म तिथि 5 जुलाई 1960 थी तथा वर्ष 1992 में प्रार्थी के विरुद्ध एक जांच शुरू की गई जिसमें आरोप लगाया गया है कि प्रस्तुत किया गया 8वीं कक्षा का शिक्षा प्रमाणपत्र फर्जी है। बताया गया है कि प्रार्थी को 20-6-92 के जरिए मैमोरेण्डम जारी कर 15 दिन के अन्दर डिफेन्स प्रस्तुत करने के लिए कहा गया, परन्तु 7-10-1992 तक प्रार्थी ने अपना बचाव प्रस्तुत नहीं किया, तो 8-10-92 का पत्र इन्क्वायरी के बारे में जारी किया गया तथा जांच कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित हुआ। उत्तर में यह भी बताया गया है कि प्रार्थी ने कोई डिफेन्स कोन्सलर नियुक्त नहीं किया तथा 29-10-92 को डिफेन्स कोन्सलर नियुक्त करने हेतु 30 दिन का समय चाहा तो समय दिये जाते हुए 2-12-1992 की तिथि जांच हेतु 29-10-92 को नियत की गई तथा यह बताया गया कि 2-12-1992 को उपस्थित हो जावे अन्यथा एक पक्षीय जांच कर ली जायेगी। परन्तु 2-12-1992 को न तो प्रार्थी उपस्थित आया न ही डिफेन्स कोन्सलर आया। अतः प्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय जांच करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं था। अतः एकपक्षीय जांच पूरी की गई। उत्तर में इससे इन्कार किया है। कि प्रार्थी ने श्री टण्डन को अपना डिफेन्स कोन्सलर नियुक्त किया. इस बारे में प्रार्थी द्वारा भेजा गया पत्र विपक्षी ने वापस भेज दिया। बताया गया है कि डिफेन्स कोन्सलर के लिए उचित अवसर दिया गया। प्रार्थी द्वारा 30-10-92 को जांच अधिकारी को पत्र व मैडीकल प्रमाण-पत्र भेजे जाने के सम्बन्ध में उत्तर में बताया गया है कि रजिस्टर्ड पत्र सं. 2577 दिनांक 1-12-92 विपक्षी को 14-12-92 को मिला जो 16-12-1992 को जांच अधिकारी को दे दिया गया तथा जांच अधिकारी का कार्यालय विपक्षी के कार्यालय से 65 किलोमीटर की दूरी पर है तथा जांच अधिकारी ने अपने 18-12-92 के पत्र में प्रार्थी के उपरोक्त पत्र के बारे में प्रार्थी को सूचित कर दिया। इस तरह 2-12-1992 को उपस्थित नहीं होने का कोई पत्र या प्रमाण-पत्र 2-12-1992 को प्राप्त नहीं हुआ। प्रार्थी पर लगाये गये आरोप की गम्भीरता के बारे में विपक्षी के अनुसार आरोप गंभीर प्रकृति का था तथा प्रार्थी को मजदूर के पद पर लगाये जाते एवं योग्यता प्रमाणपत्र विपक्षी ने नहीं मांगा था बल्कि आयु के बारे में प्रमाण-पत्र मांगा गया जिस बारे में प्रार्थी ने यह प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया था जो प्रमाण-पत्र फर्जी होने से गंभीर आपराधिक कृत्य था तथा यह आरोप प्रमाणित हुआ। अतः 9-2-1993 को सेवा समाप्ति का आदेश पूरी तरह से विधिनुसार है। उत्तर में यह भी बताया है कि प्रार्थी कभी भी बीमार नहीं रहा तथा यदि बीमार रहा तो भी डिफेन्स कोन्सलर आकर जांच अधिकारी के समक्ष प्रार्थी का पक्ष प्रस्तुत कर सकता था। विशेष व्यय सहित आवेदन अस्वीकार किये जाने की प्रार्थना की गई।

4. प्रार्थी ने अपने आवेदन के समर्थन में स्वयं का शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें आवेदन में वर्णित तथ्य बताते हुए यह बताया गया है कि 29-10-92 को 2-12-92 को जांच की तिथि नियुक्त होने के बाद जोधपुर आया तब 30-11-92 को अचानक बीमार हो गया अतः 30-11-92 को ही उसने श्री एल.सी. मीणा

इन्क्वायरी आफिसर को पंजीकृत डाक से पत्र भिजवा दिया। यह भी बताया गया है कि मजदूर के लिए कोई आवश्यक शैक्षणिक योग्यता नहीं थी तथा उसने जो आठवीं कक्षा का स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र दिया वह यदि फर्जी था तब भी वह इस पद के लिए अयोग्य नहीं हो जाता क्योंकि सामान्यतया स्वस्थ अनपढ़ व्यक्तियों को इस पद के लिए लिया जाता था। शपथ-पत्र में यह भी बताया है कि उसने अपने डिफेन्स कोन्सलर का नाम दे दिया था तथा डिफेन्स कोन्सलर ने भी डिफेन्स करने की सूचना दे दी थी। शपथ-पत्र में यह भी बताया गया है कि अप्रार्थी अर्थात् गेरीसन इंजीनियर का काम सड़कों व भवनों का निर्माण करना तथा उनमें लकड़ी बिजली का फिटिंग का कार्य . रवाना है।

5. विपक्षी की ओर से प्रभारी अधिकारी जे. पी. शर्मा का शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें उत्तर में बताये गये तथ्यों की पुष्टि करते हुए बताया गया है कि गैरीसन इंजीनियर औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत उद्योग की परिभाषा में नहीं आता। यह भी बताया गया है कि 20-6-1992 को ही आरोप-पत्र दे दिया गया था परन्तु निर्धारित अवधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया एवं प्रार्थी को 29-10-92 की प्रार्थना पर डिफेन्स कोन्सलर नियुक्त कर समय देते हुए 2-12-1992 नियत की गई, जिसके बावजूद उपस्थित नहीं होने से एकपक्षीय जांच पूरी की गई, जो जांच अधिकारी ने उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार निर्णित की। शपथ-पत्र में बताया गया है कि प्रार्थी को मजदूर के पद पर लगाये जाने हेतु आयु हेतु ।ण-पत्र म गया था जिस हेतु ही प्रार्थी ने यह फर्जी प्रमाण-पत्र जो कि गंभीर आपराधिक कृत्य है।

6. प्रार्थी श्रमिक ने 27 फरवरी 1996 को प्रस्तुत अपने शपथ-पत्र में यह भी बताया है कि प्रार्थी द्वारा मांगने पर भी उसे इन्क्वायरी की कार्यवाही की कोई प्रतिलिपि नहीं दी गई तथा न ही प्रतिलिपि डिफेन्स कोन्सलर को दी गई तथा प्रार्थी ने अपने बचाव व बचाव की डिटेल जानकारी विपक्षी को भेजी थी तथा उसे देखे बिना ही फैसला कर दिया गया। यह भी बताया गया है कि प्रार्थी ने नगर परिषद्, जोधपुर से 17-9-92 को जन्म प्रमाणपत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जो विपक्षी के यहां 24-9-1992 को प्रस्तुत किया था।

7. प्रार्थी ने अपने प्रतिपरीक्षण में जो बताया है उसके अनुसार उसने अप्रार्थी के यहां आयु प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया तथा आयु के लिए केवल शपथ-पत्र प्रस्तुत किया था जिसमें जन्म तिथि 5-7-1960 अंकित की गई थी। प्रार्थी के अनुसार उसे आरोप-पत्र 20-6-92 को मिला तथा वह निर्धारित तिथि पर जांच में पहुंचा तथा उसने 29-10-92 को डिफेन्स नोमिनी के लिए समय मांगा जिस पर समय दिया गया तथा 2-12-1992 को जांच निश्चित होने का पत्र भी उसे प्राप्त हुआ जिस दिन वह बीमारी के कारण उपस्थित नहीं हो सका। प्रार्थी ने उसके द्वारा उसकी बीमारी बाबत भेजे गए पत्र की बाबत अनभिज्ञता जाहिर की है तथा यह बताया है कि जांच निर्णित किये जाने की उसे कोई सूचना नहीं दी गई। रजिस्टर्ड-पत्र से मैडिकल सर्टिफिकेट व बीमारी की सूचना भेजे जाने की ए. डी. पर 14-12-92 के प्राप्ति के हस्ताक्षर होने के बारे में ध्यान आकर्षित करने पर प्रार्थी श्रमिक ने बताया है कि पर 14-12-92 के गैरीसन इंजीनियर के हस्ताक्षर हैं तथा यह रजिस्टर्ड-पत्र 860 इंजीनियरिंग वर्क्स के द्वारा प्राप्त किये जाने से प्रार्थी ने इंकार किया है। प्रार्थी के अनुसार उसने 2-12-1992 से पूर्व ही अपना डिफेन्स नोमिनी नियुक्त कर दिया था।

8. विपक्षी के प्रभारी अधिकारी ने अपने शपथ-पत्र के प्रतिपरीक्षण में बताया है कि सन 1980 में मजदूर लगाने के लिए कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं थी तथा मजदूर ही हैल्पर की ड्यूटी करते थे एवं उसे यह जानकारी नहीं है कि प्रार्थी ने शैक्षणिक योग्यता के लिए दस्तावेज पेश किए या नहीं। प्रभारी अधिकारी ने बताया है कि उनके कार्यालय के रिकार्ड के अनुसार प्रार्थी को डिफेन्स नोमिनी के लिए समय दिया गया था, जांच के दौरान किन-किन गवाहान के बयान लिये गये इससे अनभिज्ञता जाहिर की। जांच अधिकारी ने यह भी बताया है कि प्रार्थी आर्मी एक्ट के अंतर्गत एनरोल्ड नहीं है तथा उनका विभाग वाटर इलैक्ट्रिक सप्लाई का कार्य करता है तथा भवन बनाने का कार्य भी करता है, नया निर्माण कार्य ठेकेदार से करवाता है।

9. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क सुने गए तथा पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य एवं दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

10. दोनों पक्षों ने विभागीय जांच की वैधानिकता, दिये गये दण्ड की मात्रा तथा औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत विपक्षी उद्योग की परिधि में है या नहीं, इन बारे में इन बिन्दुओं पर एक साथ तर्क प्रस्तुत किये। विपक्षी की ओर से अधिनियम की धारा 11—ए के अंतर्गत इस आशय का भी एक आवेदन प्रस्तुत किया कि विभागीय जांच पूरी तरह से विधि एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अंतर्गत की गई है तथा इस सबके बावजूद यदि न्यायालय जांच से सन्तुष्ट न हो तो साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाये।

11. सर्वप्रथम यह देखा जाना है कि क्या नियोजक संस्थान विपक्षी औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत उद्योग की श्रेणी में आता है या नहीं। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने तर्क दिया है कि केवल मात्र गैरीसन इंजीनियर आर्मी होने से ही यह नहीं माना जा सकता कि औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते। इसके विपरीत विपक्षी की ओर से बताया गया कि प्रार्थी को कार्य पर गैरीसन इंजीनियर द्वारा लिया गया था, जो केवल देश की आन्तरिक व बाहरी सुरक्षा का ही कार्य करता है तथा यह राज्य द्वारा ही किये जाने वाला कार्य है, अतः अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते। विद्वान अभिभाषक ने अपने तर्क के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय ए. आई. आर. 1978 उच्चतम न्यायालय पेज 548 बेंगलौर वाटर सप्लाई बनाम ए. राजप्पा व अन्य, प्रस्तुत किया, जिस व्यवस्था का आदरपूर्वक अवलोकन किया गया। उद्योग के बारे में यह व्यवस्था एक मूल आधारभूत न्यायदृष्टान्त है जिसमें किन कार्यों को कब उद्योग माना जा सकता है, इस बारे में विस्तृत व

बारीकी से सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है "स्ट्रीक्टली स्वरिंग फंक्शन" उद्योग की श्रेणी में नहीं आता तथा ऐसे फंक्शनों में राज्य के आर्थिक कल्याणकारी कार्य इत्यादि नहीं आते, यह भी बताया गया है कि "प्रभुसत्ता सम्पन्न कृत्य" (स्वरेन फंक्शन) करने वाले विभागों में भी उन विभागों से विभाजित की जा सकने वाली ऐसी ईकाइयां हो सकती है जो अधिनियम की धारा 2(जे) के अन्तर्गत उद्योग की श्रेणी में आती है। यह एक अत्यन्त ही विस्तृत न्याय व्यवस्था है, जिसका इस मामले में विस्तार से उल्लेख करने में न तो यह न्यायालय सक्षम है न ही उचित प्रतीत होता है। इस व्यवस्था में कौन सा श्रमिक कामगार की श्रेणी में आता है, पर भी विचार किया गया है। इस न्यायदृष्टान्त में यह भी बताया गया है कि कोई कार्य प्रभुसत्ता सम्पन्न कृत्य में आता है या नहीं, यह निर्धारित करने के लिए यह जांचने के लिए यह देखा जा सकता है कि संबंधित कार्य किस प्रकृति का है तथा क्या यह ऐसा कार्य है जो कि राज्य किसी प्राईवेट संस्थान को दे सकता है। इस न्यायदृष्टान्त में यह सिद्धांत भी प्रतिपादित हुआ है कि ऐसे कार्य जो कि कठोरता से प्रभुसत्ता सम्पन्न कृत्य में आते हैं वे उद्योग की श्रेणी में नहीं आते।

12 सम्माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त न्यायदृष्टान्त को मोटे तौर पर आगे के तमाम मामलों में मूल व्यवस्था माना गया है। निश्चित तौर से कठोरता से प्रभुसत्ता सम्पन्न कृत्य में आने वाले कार्य उद्योग की परिभाषा में नहीं आते। परिणामस्वरूप सम्बन्धित कार्य करने वाले व्यक्ति-श्रमिक की परिभाषा में नहीं आते। यहां यह उल्लेखनीय है कि सन् 1978 में उद्योग की परिभाषा धारा-2 में दी हुई थी जिसके बाद में सन् 1982 में अधिनियम में धारा 2 (जे) के अन्तर्गत उद्योग की परिभाषा में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है तथमे प्रावधान संख्या-6 से सरकार के प्रभुसत्ता सम्पन्न कृत्य संबंधित तमाम कार्यों को उद्योग को परिभाषा में नहीं लिया गया है तथा प्रभुसत्ता सम्पन्न कृत्य में डिफेंस, रिसर्च अटोमी तथा अंतरिक्ष के संबंध में किया गया कार्य भी शामिल कर लिया गया है। सम्माननीय उच्चतम न्यायालय ने ही 1996 सुप्रीम कोर्ट कैसेज (एल. एण्ड एस.) पैज 500 चीफ कन्जरवेटर आफ फोरेस्ट व अन्य बनाम जगन्नाथ मारुति कोन्डारे व अन्य में भी इस प्रश्न को विस्तार से सिद्धांत प्रतिपादित किया है। इस न्यायदृष्टान्त के पैरा-12 में बताया गया है कि देश की प्रतिरक्षा, सेना में भर्ती तथा इसके रख-रखाव, विदेशी मामले, रिट्रेन टेरीट्री को प्राप्त कर रखने इत्यादि ऐसे कार्य हैं जो कि स्वैनिटी से संबंधित है तथा इन मामलो में साधारणतया व्यवहार न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं होगा।

13. अतः स्पष्टतः यह प्रतीत होता है कि देश की सुरक्षा जैसे मामले उद्योग की परिभाषा में नहीं आते। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी श्रमिक ने इस सम्बन्ध में तर्क दिया है कि प्रार्थी पर आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट या एयरफोर्स एक्ट के प्रावधान लागू नहीं होते, अतः प्रार्थी श्रमिक की श्रेणी में आयेगा। विद्वान प्रार्थी का यह तर्क महत्व का है परन्तु श्रमिक की परिभाषा में ही यह बताया गया है कि आर्मी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट व नेवी एक्ट जिन पर प्रभावी होते है वे व्यक्ति श्रमिक की परिभाषा में नहीं आते। ऐसे मामलों में अधिनियम की प्रभाविता के लिये प्रार्थी का श्रमिक होना भी आवश्यक है तथा विपक्षी का उद्योग होना आवश्यक है। किन्हीं मामलों में हो सकता है कि प्रार्थी श्रमिक के मामले में आवे परन्तु फिर भी यदि नियोजक उद्योग की परिधि में नहीं आवे तो श्रमिक को कोई लाभ नहीं मिल सकता। यहां पर जैसा कि उल्लेख किया जा चुका है सरकार व राज्य के ऐसे कार्य जो कि कठोरता से निश्चित तौर से प्रभुसत्ता सम्पन्न कृत्य में आते हैं वे उद्योग की श्रेणी में नहीं हैं तथा उद्योग की परिभाषा में भी यह स्पष्ट प्रकट कर दिया गया है कि रिसर्च, अटोमी, अंतरिक्ष का कार्य करने वाले संस्थान उद्योग की श्रेणी में नहीं हैं। किन्हीं मामलों में यह हो सकता है कि प्रार्थी सुरक्षा विभाग में काम कर रहा हो फिर भी उसके द्वारा किया गया या वह जिस ईकाई में कार्य कर रहा हो वह ईकाई ऐसी हो सकती है जो कि सुरक्षा के कार्य में नहीं आती परन्तु उसके लिये अलग से प्रार्थी द्वारा किये जा रहे कार्य व संबंधित तथ्यों का विश्लेषण करते समय विचार होगा।

14. प्रार्थी व विपक्षी के अनुसार प्रार्थी को सन् 1980 में मजदूर के पद पर लिया गया, मांग-पत्र में यह बताया गया है कि प्रार्थी की सन् 1988 में पदोन्नति की गई। विपक्षी के अनुसार पदोन्नति सन् 1987 में ही कर दी गई थी। इस तरह सन् 1987–88 में प्रार्थी पदोन्नति हो गया अर्थात् यह अत्यन्त निश्चित है कि प्रार्थी काफी वर्षों से एक नियमित कर्मचारी है। प्रार्थी ने अपने शपथपत्र में ही बताया है कि प्रार्थी सड़क व भवनों के निर्माण का कार्य करता है तथा भवनों में लकड़ी व बिजली फिटिंग का कार्य करवाता है। इस तरह यह प्रमाणित है कि मिल्ट्री सम्बन्धी बिल्डिंगों के काम विपक्षी द्वारा कराये जाते हैं तथा उसमें विद्युत् कनैक्शन इत्यादि के काम किये जाते हैं। प्रार्थी ने इस बारे में और कुछ नहीं बताया है तथा विपक्षी के प्रभारी अधिकारी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि विभाग भवन इत्यादि बनाने का कार्य करता है तथा वाटर, इलैक्ट्रिक का कार्य भी करता है, यह भी बताया है कि नया निर्माण कार्य ठेकेदार से करवाता है। इससे स्पष्ट है कि सड़क, भवन बनाकर पूर्ण हो जावे उसके बाद भी विपक्षी का कार्य उनके रख-रखाव का, उनमें बिजली पानी इत्यादि की फिटिंग करवाने का तथा बनाये रखने का चलता रहता है। अर्थात् ऐसा नहीं है कि विपक्षी का कार्य भवन या सड़क बनाकर उसे अन्य को सुपुर्द कर देने का है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि भवन व सड़क भी सुरक्षा की दृष्टि से अति-अति आवश्यक है। प्रार्थी सन् 1980 से सन् 1992 तक लगातार कार्य करता रहा अर्थात् नियमित

कर्मचारी भी हो गया अतः प्रार्थी के द्वारा किया जा रहा कार्य तथा प्रार्थी जहां जो कार्य करता था वह एक अलग से विभाजित होने योग्य ईकाई नहीं थी। अतः यह निष्कर्ष स्पष्ट होता है कि प्रार्थी देश की सुरक्षा के संबंध में अर्थात् प्रभुसत्ता सम्पन्न कृत्य के कार्यों में लगा हुआ था।

15. अतः अप्रार्थी नियोजक अधिनियम के अन्तर्गत उद्योग की परिधि में नहीं आता है। परिणामस्वरूप प्रार्थी को इस अधिकरण द्वारा कोई अनुतोष नहीं दिया जा सकता।

16. अप्रार्थी उद्योग नहीं है: अतः अन्य प्रश्नों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं रह जाती परन्तु फिर भी समस्त निर्णायक प्रश्नों का निष्कर्ष देने के उद्देश्य से अन्य प्रश्नों पर संक्षिप्त में विचार कर लेना उचित है।

17. विद्वान् अभिभाषक प्रार्थी ने यह तर्क दिया है कि यदि तर्क के तौर पर मान ले कि प्रार्थी ने गलत प्रमाण-पत्र दिया था तो प्रथम तो मजदूर के पद के लिये कोई भी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आवश्यक नहीं थी तथा यदि सेवा समाप्त की जानी थी तो नियमानुसार विभागीय जांच करके की जानी चाहिए थी तथा विभागीय जांच प्रार्थी के बीमार होने से उसके अनुपस्थित होने के कारण इकतरफा कर दी गई जो न्यायोचित नहीं है। प्रार्थी 2-12-1992 को बीमार होने के कारण उपस्थित नहीं हो सका, जिसका मैडिकल प्रमाण पत्र भी उसने पंजीकृत डाक से भेज दिया था। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने इस संबंध में सम्माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का न्यायदृष्टान्त 1995 एल.एल.आर. पेज 935 डायरेक्टर सेंट्रल स्टेट फार्म जैतासर बनाम दी स्टेट आफ राजस्थान म अन्य प्रस्तुत किया है। इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक विपक्षी ने तर्क दिया है कि विभागीय जांच तीन महीने से चल रही थी तथा प्रार्थी को अपना डिफेंस नोमिनी लेने के लिये समय दे दिया गया था उसको डिफेंस नोमिनी निर्धारित तिथि के रोज उपस्थित करने था या उसको स्वयं को उपस्थित होना था। यह भी तर्क दिया गया है कि यदि तर्क के तौर पर प्रार्थी का बीमार होना मान ले तो भी प्रार्थी की स्वयं की ड्यूटी थी कि वह निश्चित समय पर विपक्षी को सूचित करता तथा विपक्षी को पंजीकृत डाक से भेजा गया पत्र 14-12-1992 को ही मिला है। इस संबंध में यह भी बताया गया है कि प्रार्थी को निलम्बित कर दिया गया था, परन्तु उसका मुख्यालय जोधपुर होना मानने का कोई कारण नहीं है अतः यह और भी आवश्यक था कि प्रार्थी स्वयं ध्यान रखता यह भी भी बताया गया है कि यदि 2-12-1992 को प्रार्थी उपस्थित नहीं हो सका तब भी जांच के तुरन्त बाद उसे ध्यान देना चाहिये था कि क्या हुआ विपक्षी की ओर से इस संबंध में सम्माननीय उच्चतम न्यायालय का न्यायदृष्टान्त 1994(2) सुप्रीम कोर्ट कैसज 615 बैंक आफ इण्डिया बनाम अपूर्वकुमार शाह प्रस्तुत किया गया है तथा बताया गया है कि सम्माननीय उच्च न्यायालय की प्रस्तुत प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत की गई अवस्था में कोई जांच ही नहीं हुई थी। तमाम तर्कों पर गहराई से विचार किया गया इस बारे में कोई विवाद नहीं है कि निर्धारित तिथि 2-12-1992 को प्रार्थी के अनुपस्थित रहने का कोई कारण या जानकारी विपक्षी को नहीं दी गई, पंजीकृत डाक से जो पत्र भेजा गया वह प्रार्थी स्वयं द्वारा प्रस्तुत ए.डी. के अनुसार दिनांक 16-12-1992 को जांच अधिकारी को मिला। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि ए.डी. के अनुसार पंजीकृत डाक से यह पत्र भी दिसम्बर माह की एक या दो तारीख को भेजा गया था, डिफेंस नोमिनी प्रस्तुत करने के लिये समय दिया गया था तथा प्रस्तुत दस्तावेजात से यह मालूम होता है कि प्रार्थी ने इस जांच में देरी की क्योंकि श्री रतन का स्वीकृति पत्र दिनांक 1-12-1992 का है तथा स्वयं प्रार्थी ने इसे नियुक्त करने के लिये प्रार्थना की जिस पर 22-12-1992 के हस्ताक्षर हैं। इस तरह न्यायालय की राय में प्रार्थी ने जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने की तरफ विशेष ध्यान नहीं दिया तथा बीमार था तो भी सूचना देता। वह उसके बाद भी कार्यवाही में प्रार्थी ने कोई तत्परता नहीं दिखाई। अतः विभागीय जांच में कोई अनियमितता प्रकट नहीं होती है, जांच पूरी तरह से विधिनुसार प्रतीत होती है। यहां पर यह उल्लेख करना उचित होगा कि जांच सी.सी.ए. रूल्स के अन्तर्गत की गई थी तथा यहां यह भी स्पष्ट करना उचित होगा कि जब सी.सी.ए. रूल्स प्रभावी हो गये थे तब भी क्या प्रार्थी अधिनियम के अन्तर्गत मजदूर की श्रेणी में आता है। अन्ततः प्रार्थी की ओर से बताया गया कि दी गई सजा अत्याधिक है तथा प्रार्थी 12 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुका था व मजदूर के लिये कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं थी अतः वेतन वृद्धि या इसी तरह का दण्ड दिया जाना भी पर्याप्त हो सकता था। निश्चित तौर से मजदूर के लिये शिक्षित होना आवश्यक नहीं था परन्तु इस मामले में महत्वपूर्ण पहलू यह है कि प्रार्थी मजदूर ही नहीं रहा बल्कि इसके बाद मांग-पत्र के अनुसार वर्ष 1988 में पदोन्नत होकर हैमरमैन हो गया। यह मानने का कोई आधार ही नहीं है कि जब नियमित सेवा में हो गया था तथा पदोन्नत हो गया था तब भी शिक्षित होना आवश्यक नहीं था। अतः दण्ड में कमी किये जाने का भी कोई उचित व मजबूत कारण प्रतीत नहीं होता। प्रार्थी की ओर से यह भी बताया गया है कि उसने नगरपालिका जोधपुर से जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत कर दिया था, इस प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि न्यायालय के रिकार्ड पर है जिसके अनुसार इस जन्म का पंजीकृत सितम्बर 1992 में ही कराया गया था। अतः यह विभागीय जांच प्रारम्भ होने के बाद कराया गया है।

अतः इसके आधार पर इस स्टेज पर इस मामले में प्रार्थी को कोई सहायता नहीं मिल सकती। इसी क्रम में प्रार्थी की ओर से यह भी बताया गया है कि स्कूल प्रमाण पत्र केवल आयु निर्धारण के लिये प्रस्तुत किया था। यदि तर्क के लिये ऐसा माना जाये तब भी प्रमाण पत्र मान्य होना प्रमाणित नहीं होता है तो इस प्रमाण पत्र के आधार पर आयु भी सही नहीं मानी जा सकती तो फिर प्रश्न यह उत्पन्न हो जाता है कि प्रार्थी उस समय क्या आयु का था जो आयु मजदूर बनने के लिये कम से कम होना आवश्यक थी।

18. अतः यह रेफरेंस नकारात्मक तौर से निर्णित होने योग्य है। यह भी निर्धारित होता है कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी की सेवा समाप्त करना विधिनुरूप व उचित है।

19. इस तरह श्री अब्दुल करीम का सेवा से पृथक किये जाने का आदेश विधि विरुद्ध नहीं माना जा सकता। इसके विपरीत यह विधिनुसार व पूर्णतया विधिवत् है। प्रकरण के अन्तिम निस्तारण के पहले यह उचित प्रतीत होता है कि प्रार्थी ने सन् 1980 में सेवा प्रारम्भ की थी तथा उसे 9-1-1993 को सेवा से हटाया गया इस तरह उसकी 12½-13 वर्ष की सेवा पूर्ण हो चुकी थी। यह सही है कि प्रार्थी को प्रारम्भ में मजदूर के पद पर लगाया गया, जिस पद के लिये उसका शिक्षित होना आवश्यक नहीं है। अतः रेफरेंस के विस्तारण के साथ पूर्णतया सहानभूति व इसी तरह के तथ्यों के आधार पर यह निर्देश देना उचित है कि यदि प्रार्थी के इस सेवाकाल के आधार पर उसे नियमानुसार कोई पेंशन दी जा सकती है तो पेंशन देने के लिये विभाग विचार करे। यह पेंशन यदि देय है व दी जाती है तो प्रार्थी को मजदूर मानते हुए दी जायेगी तथा विभाग यदि ठीक समझे तो इस संबंध में उचित कार्यवाही करे। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पेंशन दिये जाने योग्य है या नहीं, इस बारे में जहां तक इस न्यायालय का प्रश्न है, कोई अन्य कार्यवाही नहीं की जायेगी परन्तु प्रार्थी के 13 वर्ष की उचित सेवाओं को देखते हुए विभाग से उचित कार्यवाही करने की अपेक्षा की जा सकती है।

अधिनिर्णय

20. अतः यह अधिनिर्णीत किया जाता है कि गैरीसन इंजीनियर (आर्मी) 860 बांच 56 ए.पी.ओ. जैसलमेर द्वारा दिनांक 9-1-1993 से प्रार्थी अब्दुल करीम की सेवा समाप्त करने का आदेश विधिनुसार व उचित है। इस अधिनिर्णय की प्रति वास्ते प्रकाशनार्थ श्रम मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित की जावे।

21. यह अधिनिर्णय आज दिनांक 18-10-1997 को खुले न्यायालय में हस्ताक्षर कर सुनाया गया।

चांदमल तोतला, न्यायाधीश

153 GI/98—13

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 1998

का.आ. 256.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मै. एयर इंडिया के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण (सं. 2), मुम्बई के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 2-1-98 को प्राप्त हुआ था।

[स. एल-11012/10/96-आई आर (सी-I)]
के.वी.बी. उण्णी, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 6th January, 1998

S.O 256.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal (No. 2), Mumbai as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/s. Air India and their workman, which was received by the Central Government on 2-1-98.

[No. L-11012/10/96-IR(C-I)]
K. V. B. UNNY, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. II, MUMBAI

PRESENT :

Shri S. B. Panse, Presiding Officer.

Reference No. CGIT-2/7 of 1997

Employers in relation to the Management of Air India.

AND

Their Workmen.

APPEARANCES :

For the Employer : Mr. A. R. Kulkarni, Mrs. P. A. Kulkarni, Mr. N. S. Lal, Advocates.

For the Workmen : Mr. M. B. Anchan, Advocate.

Mumbai, the 9th December, 1997

AWARD—PART-I

The Government of India, Ministry of Labour by its Order No. L-11012/10/96-IR(Coal-I), dated 18-2-97 had referred to the following Industrial Dispute for adjudication :

"Whether the action of the management of Air India Limited in terminating the services of Shri M. P. Arya is legal and justified ? If not, to what relief is the said workman entitled ?"

2. M. P. Arya, the workman filed a statement of claim at Exhibit-3. He contended that the domestic inquiry was conducted against him for a chargesheet dated 24-4-1989 for the alleged misconduct of 188 days absence without permission during the period from 25-8-88 and 28-2-89.

3. The workman asserted that the inquiry was ex-parte. He was never served with the charge-sheet nor he was informed regarding the appointment of the inquiry officer. He asserted that he was never given any intimation in respect of the inquiry dates nor he was allowed to cross-examine the management witnesses. It is submitted that he was not given copy of the report of the inquiry officer. He submitted that when he was at his native place he received a letter dated 23-5-89 from the management asking him to attend the inquiry on 28-6-89. He replied the same on

30-5-89 stating that he is sick and will attend the duty after getting fit and requested for the postponment of the inquiry to the further date. He send that letter by registered post but instead of postponing the inquiry it appears that the management continued to carry out the ex-parte inquiry.

4. The workman asserted that the domestic inquiry which was held against him was against the Principles of Natural Justice and the findings of the inquiry officer are perverse. He therefore, prayed that he may be reinstated in service in continuity alongwith full back wages and other reliefs.

5. The management resisted the claim by the written statement (Exhibit-5). It is asserted that the workman was first appointment as a loader. His work was dissatisfactory. It is therefore his probation was extended. Then his service was terminated effective from 15-7-79. Thereafter the management considered his appeal on compassionate ground and he was reinstated in service w.e.f. 21-1-86. His performance was not upto the mark and he was issued warning letters on two grounds that is on 16-3-87 and 17-7-87. Thereafter he remained absent unauthorisedly for 25 days during the period from 1987 to March 1988. After full-fledged inquiry his one increment was stopped. In spite of all these facts the workman continued to remain absent for 188 days during the period from 25-8-88 to 28-2-89.

6. The management averred that the workman was chargesheeted for remaining unauthorisedly absent. The inquiry committee had send all the communication to the workman. Further the same were received by the management undelivered with remarks 'left' 'not known'. Under such circumstances the management was left with no alternative but to conduct the inquiry ex-parte. The inquiry was adjourned from time to time to give time to the workman but he continued to remain absent. When the inquiry committee took the decision to proceed ex-parte it recorded the statement of one N. S. Narkar from the time office who produce record of absenteeism of the workman. After considering the record the committee gave its findings which are based on the evidence before it. It is asserted that the inquiry which was conducted against the workman was as per the principles of natural justice and the findings of the inquiry officer are legal and proper. It is submitted that the reference suffers from latches. It is averred that under such circumstances the workman is not entitled to any of the reliefs.

7. The workman filed a rejoinder at Exhibit-8. It is pleaded that when he was sick and was staying in his native place he informed the management regarding the same. It is averred that he only received one letter from the covenor asking him to attend the inquiry on 28-6-89 for which he replied and asked for further adiournment due to the sickness. It is submitted that when he was declared fit by the hospital he reported for duty on 1-1-90 but on that day he was not allowed to resume the duty and he was told that his services have been terminated. It is submitted that the chargesheet was issued under the Air India staff regulations framed under the Air Corporation Act but as the Delhi High Court struck the regulations, the inquiry is against the principles of natural justice.

8. The issues are framed at Exhibit-10. The Issue Nos. 1 and 2 are treated as preliminary issues :

Issues	Findings
1. Whether the domestic inquiry which was held against the worker was against the Principles of Natural Justice ?	Yes.
2. Whether the findings of the inquiry officer are perverse	Yes.

REASONS

9. M. P. Arya (Exhibit-11) affirmed that he did not receive the chargesheet dated 24-4-89 nor the dates of the inquiry were communicated to him. On its basis he submits that enquiry which was conducted against him is vitiated. He further affirmed that he was not served with a copy of the inquiry proceedings and also report of the inquiry officer. He was not served with a show cause notice in respect of the proposed punishment. In the cross-examination of Arya it is tried to bring on the record that when he got the job he gave his address of Vile Parle. It was suggested to him that when he shifted to other place he did not inform the management regarding change of address but he denied the suggestion. But he accepts the position that he do not have any acknowledgement of informing the management regarding the change of address.

10. It is not in dispute that the workman was not served with a chargesheet or any of the matter relating to the inquiry, Now it is to be seen whether the inquiry which is conducted against the workman is justified.

11. Ashok Narkar (Exhibit-14) is the Senior Office Assistant in the company in time office. He affirmed regarding the absenteeism of the workman. But so far as the inquiry is concerned his testimony is not of any help. At the most it can be said that his testimony is helpful to consider whether the workman was absent during the relevant period or not. For deciding Issue Nos. 1 and 2 his testimony has no merit.

12. Salvine D'Costa (Exhibit-16) is the Deputy Manager, Administrative. He is in charge of Ramp Operation Divisions in which the concerned workman was working. He claims to know all facts of the case. He affirmed that the 19 envelopes which are produced alongwith Exhibit-15 contains chargesheet and various communication by the management and the inquiry committee in respect of the inquiries conducted against the workman. In the cross-examination he affirms that they have received the acknowledgement dated 3-9-88 from the workman stating that he received the charecsheet which is at Exhibit-6/35. It can be seen that the workman was chargesheeted in the year 1988 for 25 days absenteeism. Again he was chargesheeted for absenteeism for which he is terminated. The letter dated 3-9-88 relate to the first chargesheet and not the second chargesheet on which the termination had taken place. In other words it has to be said that there is no proof to show that the worker was served with the concerned chargesheet.

13. D'Costa affirmed that the second chargesheet is dated 24-4-89 which was send to the workman in an envelope (Exhibit-15/1). Exhibit-15/1 bears the address of J. M. Pora Chawl. Vile Pare, Bombay-400056. It came back with an endorsement 'not known'. It is common knowledge that when a person applies for employment his present address and the native place address is always mentioned on the application. It is not the case of the management that they do not have such an address of the worker because at Exhibit-15/3 envelope No. 5 there is an address of the workman as village Amoli, Post Baijinathgarod. District Almora (U.P.). This envelope appears to be refused by the workman. If really they wanted to serve the workman they would have send the chargesheet on this address also. But admittedly they had not done so. Further more they have not send the inquiry report to the workman on his native place address. They have also not send a show cause notice of the proposed punishment to the workman on the address of his native place. In other words it has to be said that the worker was not communicated in respect of the inquiry. For all these reasons it has to be said that the inquiry which was conducted against the workman is against the Principles of Natural Justice.

14. The worker could not get any opportunity to cross-examine the management witnesses. Naturally the evidence on the record cannot be said to be proper for coming to the conclusion. I, therefore, find that the findings of the inquiry officer are perverse.

15. The management in the written statement had pleaded thtat if the Tribunal comes to the conclusion that the domestic inquiry which is held against the workman is against the Principles of Natural Justice. They may be given an opportunity to justify their action. I allow that prayer. In the result I record my findings on the issues accordingly and pass the following order :

ORDER

1. The domestic inquiry which was conducted against the workman was against the Principles of Natural Justice.

2. The findings of the inquiry officer are perverse.

3. The management is allowed to lend evidence to justify its action.

S. B. PANSE, Presiding Officer

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 1998

का.आ. 257.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार गोग्टे मिनरल्स के प्रबन्ध तंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, सं. 2, मुम्बई के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 9-1-98 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-29011/9/92-आई आर (विविध)]

के.वी.बी. उण्णी, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 9th January, 1998

S.O. 257.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, No. 2, Mumbai as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M|s. Gogte Minerals and their workman, which was received by the Central Government on the 9-1-1998.

[No. L-29011|9|92-IR(Misc.)]

K. V. B. UNNY, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2, MUMBAI

PRESENT :

Shri S. B. Panse, Presiding Officer.

Reference No. CGIT-2|23 of 1993
Employers in Relation to the management of M/s. Gogte Minerals.

AND

Their workmen.

CORRIGENDUM IN AWARD DATED) 27-08-97

On page 23, para 2 of the final order the date 5-2-92 should be read as 5-2-93.

S. B. PANSE, Presiding Officer

Mumbai :
9-12-1997.

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 1998

का०आ० 258.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार डी०वी०सी० माईन्स के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, धनबाद नं० 2 के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 30-12-97 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-24011/6/86-डी IV (बी)]

बी०एम० डेविड, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 1st January, 1998

S.O. 258.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, Dhanbad No. 2 as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of D.V.C. Mines and their workman, which was received by the Central Government on the 30-12-97.

[No. L-24011/6 86-D.IV(B)]

B. M. DAVID, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

PRESENT :

Shri B. B. Chatterjee, Presiding Officer.

In the matter of an Industrial Dispute under Section 10(1)(d) of the I. D. Act, 1947.

REFERRE NO. 123 OF 1987

PARTIES :

Employers in relation to the management of D.V.C. Mines, Bermo, P.O. Bermo, Distt. Giridih and their workmen.

APPEARANCES :

On behalf of the workmen : None.

On behalf of the employer : Shri S. K. Choudhary, Agent.

STATE : Bihar INDUSTRY : Coal

Dated, Dhanbad, the 22nd December, 1997

AWARD

The Govt. of India, Ministry of Labour, in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their Order No. L-24011/6/86-D.IV(B), dated, the 10th April, 1987.

SCHEDULE

"Whether the action of the Management of DVC Mines Bermo, P.O. Bermo, Distt. Giridih :—

(i) in denying payment since 1983 to the employees as defined in clause 5.4.1 and 3.4.1 of NCWA-II and NCWA-III respectively which has already been agreed to by the management is legal and justified ?

(ii) in denying services to the dependants of the deceased employees or employees who sought voluntary retirement as required under clause 10.4.3 and 9.4.3 NCWA II and NCWA-III respectively is legal and justified ?

If not, to what relief are the concerned workmen entitled ?"

Soon after the receipt of the order of reference notices were duly served upon the parties. But the workmen neither appeared nor took any steps and the management all along made his appearance. Then again notice was issued to the workmen but inspite of the issuance of notice to the workmen they neither turned up nor took any steps. It therefore, leads me to an inference that there is no dispute existing between the parties presently. In the circumstances, I have no other alternative but to pass a 'No dispute' Award in this reference.

B. B. CHATTERJEE, Presiding Officer

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 1998

का०आ० 259 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मैसर्स ई०सी०एल० के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, आसनसोल के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 30-12-97 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-22012/22/96-आई आर (सी-II)]
बी०एम० डेविड, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 1st January, 1998

S.O. 259.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, Asansol as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M/s. E. C. Ltd. and their workman, which was received by the Central Government on the 30-12-97.

[No. L-22012/22/96-IR(C-II)]
B. M. DAVID, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, ASANSOL

Reference No. 11/97

PRESENT :

Shri R. S. Mishra, Presiding Officer.

PARTIES :

Employers in relation to the management of Parascola Colliery of M/s. E. C. Ltd.

AND

Their Workmen.

APPEARANCES :

For the Employer—Sri P. K. Das, Advocate.

For the Workmen—None.

INDUSTRY : Coal. STATE : West Bengal.

Dated, the 22nd December, 1997

AWARD

The Government of India in the Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them by clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide Ministry's Order No. L-22012/22/96-IR(C.II) dated 24-2-97 :

"Whether the action of the management of Parascola Colliery under Kajora Area of M/s. ECI in denying idle period wage from 1-7-88 to 7-9-88 to Shri Chain Bihari Jaiswar, M.C. Loader is justified? If not, what relief the workman is entitled to ?"

2. As reported by the Superintendent of Post Office, there has been due delivery of the Registered Notice to the union. But in spite of notice no response.

3. Accordingly 'No Dispute Award' is passed.

R. S. MISHRA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 1998

का०आ० 260 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मैसर्स ई०सी०एल० के प्रबन्ध तंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, आसनसोल के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 30-12-97 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-22012/26/90-आई आर (सी-2)]
बी०एम० डेविड, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 1st January, 1998

S.O. 260.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal Asansol as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M/s. E. C. Ltd. and their workman, which was received by the Central Government on 30-12-97.

[No. L-22012/26/90-IR(C.II)]
B. M. DAVID, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, ASANSOL

Reference No. 23/90

PRESENT :

Shri R. S. Mishra, Presiding Officer.

PARTIES :

Employers in relation to the management of L. K. Nagar Colliery of M/s. E. C. Ltd.,

AND

Their Workmen.

APPEARANCES :

For the Employer : Sri P. K. Das, Advocate.

For the Workmen : Sri B. Chowdhury, Advocate.

INDUSTRY : Coal. STATE : West Bengal.

Dated, the 19th December, 1997

AWARD

The Government of India in the Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them by clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide Ministry's Order No. L-22012(26)/90-IR(C.II) dated the 1st June, 1990 :

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Jaykaynagar Colliery, Satgram Area of M/s. E. C. Ltd. in not placing Sri Shew Shanker Pandit, Pit Clerk, in Clerical Grade II w.e.f. 21-4-84 was justified? If not, to what relief the workman concerned is entitled?"

2. The background of the dispute apparently appears to be violation by the Public Sector Management of its own instruction, in the matter of regarding of Munshis/Sirkars working in clerical Gr. III.

3. Admitted facts :—The concerned workman had been appointed as a General Mazdoor since 7-5-1981, in J. K. Nagar Colliery under Satgram Area. Vide Order No. SAT/PER(B)/24/84/3264 dated 17/21-4-1984 of the Area Office he has been placed in clerical Gr. III on Regularisation and since then he has been regularly working as Pit Munshi/Sirkar. His claim that because of the assignments given to him and duly discharged by him, his level ought to be regarded as clerical Gr. II, having been rejected, this dispute has been formally raised.

4. The stand of the management is that the workman is not entitled to be regraded as clerical Gr. II, because he does not discharge any of the functions enumerated in the 'Note' contained in Annexure-IIA to N.C.W.A. III, which was admittedly signed on 11-11-1983 and which came into force with retrospective effect from 1-1-1983.

5. Right from the Mazumdar Award, Munshis/Sirkars have been shown in Gr. III. Para 12.4 in Chapter XII of the N.C.W.A. III contained provisions for formation of different committees for implementation of the Agreement. The standarisation Committee, which was one of them, standardised nomenclatures, job descriptions and categorisations of workers in various grades, in the form of a booklet finalised in its meeting dated 29/30-4-1986. Vide nomenclature No. 27 for clerical Gr. III at page 43 of the booklet, Pit Munshi/Sirkar has been shown as Gr. III underground clerical worker. So placement in clerical Gr. III on regularisation is correct.

6. Provision for regarding of such Munshis to clerical Gr. II has been contained in the "Note" to Annexure II-A of the same N.C.W.A.-III. Note 1 therein is as follows : —

"(1) Such of the Munshis who may be performing the following jobs in addition to their normal duties would be given Clerical Gr. II :—

(a) Preparation and issue of measurement slips in respect of piece rated workers concerned.

(b) Filling up of Forms IV.

(c) Measurements of Lead, Lift and Punishing.

(d) Taking attendance of workers concerned."

On recommendation by the Standardisation Committee, which examined the above Note. Implementation Instruction No. 25 dated 18-4-1984 has been issued by the management for implementation of the provision in the above mentioned Note. Relevant portion of the Implementation Instruction is as follows :—

" xxx xxx xxx xxx

(a) Managements shall issue option forms within a month of issue of this Implementation Instruction to all grade-III Munshis asking them to intimate their willingness to perform the four jobs mentioned in the note [clause 1(a), (b), (c) and (d)].

(b) Munshis will exercise their options within 15 days of receiving the option form.

(c) On receipt of the option forms the Management will upgrade all the willing Munshis to grade II.

(d) If after working for three months, it is found that any of the Munshis is either not capable of doing the jobs or not doing the jobs even if entrusted to do the same, he may be reverted.

" xxx xxx xxx xxx

The question of upgradation or the level of the workman should have been divided by complying Implementation Instruction No. 25.

7. But it is not the stand of the management that it had followed the aforesaid procedure in the above mentioned Implementation Instruction No. 25 in respect of the concerned workman. It is also not the stand of the management that functions of Gr. II Munshi were assigned to the workman and that he was found incapable of discharging or not discharging the same. The ground adopted by the management that the workman is dis-entitled to Gr. II Munshi level because of not discharging functions of Gr. II Munshi, specified in the above 'Note (1)' to Annexure-IIA in N.C.W.A. III, appears to be whimsical and contrary to the procedure prescribed its own Implementation Instruction No. 25.

8. Just the opposite has been done by the management in case of one Rabindra Prasad who was also a General Mazdoor and who has been regularised as Pit Clerk vide Office Order No. JKN/AGI/PER/93/2818 dated 11/14-6-93 of the Office of the Agent of the same J. K. Nagar Colliery. The said order was called for. It reveals that on regularisation this person has been directly placed in Grade II Pit Clerk Level, instead of placing him firstly in Gr. III and then upgrading him to Gr. II level by following the aforesaid procedure in Implementation Instruction No. 25. Thus the concerned workman is found to have been suffering from loss, both monetary and seniority wise.

9. The management must upgrade the level of the workman to Pit Munshi Clerk Gr. II and must place him in the position just above that of Rabindra Prasad in the Gradation List of Gr. II Pit Munshis/Clerks of J. K. Nagar Colliery within one month from the beginning of enforceability of this award. However to avoid complicacies, it is hereby made clear that arrear financial benefit is not allowed.

Award accordingly.

R. S. MISHRA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 1998

का०आ० 261.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मैसर्स ई०सी०एल० के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, आसनसोल के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 30-12-97 को प्राप्त हुआ था।

[सं० एल-22012/211/96-आई आर (सी-II)]

बी०एम० डेविड, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 1st January, 1998

S.O. 261.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, Asansol as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M/s. E. C. Ltd., and their workman, which was received by the Central Government on 30-12-97.

[No. L-22012/211/96-IR (C-II)]

B. M. DAVID, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL, ASANSOL

REFERENCE NO. 38/97

PRESENT :

Shri R. S. Mishra, Presiding Officer.

Parties :

Employers in relation to the management of Moira Colliery of M/s. E.C.L.

AND

Their Workmen.

Appearances :

For the Employer—None.

For the Workmen—None.

INDUSTRY : Coal STATE : West Bengal

Dated the 22nd December, 1997

AWARD

The Government of India in the Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them by clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide Ministry's Order No. L-22012/211/96-IR (C-II) dated 5-6-97.

"Whether the action of the management of Moira Colliery under Bankola Area of ECL in dismissing Sh. Shankar Bhuiyah Under Ground Loader, from services is legal and justified ? If not, to what relief is the workman entitled and from which date ?"

2. As reflected by the postal Acknowledgement Card, there has been proper notice by Registered Post to the union. In spite of sufficient adjournments, no response from the union.

3. Accordingly 'No Dispute Award' is passed.

R. S. MISHRA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 1998

का.आ. 262.– औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार न्यू इंडिया एश्योरेंस कं. लि. के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण नई दिल्ली के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 05-01-98 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-17012/56/91–आई.आर.(बी.II)]

पी.जे. माइकल, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 6th January, 1998

S.O. 262.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of New India Assurance Co. Ltd. and their workman, which was received by the Central Government on 05-01-1998.

[No. L-17012/56/91-IR(B-II)]

P. J. MICHEAL, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SHRI GANPATI SHARMA : PRESIDING OFRICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL : NEW DELHI

I.D. No. 20/92

In the matter of dispute :

BETWEEN

Shri Bimal Kaushal,
Development Officer,
R/o 418, Civil Line,
Gurgaon.

Versus

Zonal Manager,
The New India Assurance Company Ltd.,
Gulab Bhawan,
6 Bahadurshah Zafar Marg,
New Delhi-2.

APPEARANCES :

None for the workman.

Shri S. K. Paul for the Management.

AWARD

The Central Government in the Ministry of Labour vide its Order No. L-17012/56/91-I.R (B-2) dated Nil has referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication :—

"Whether the action of the Management New India Assurance Company Limited, New Delhi in removing Shri Bimal Kaushal, Development Officer vide their order dated 16-8-88 and 12-1-90 is just and legal ? If not, to what relief is the workman entitled to ?"

2. The case was fixed for further arguments when an application was filed by the management stating therein that the present reference could not proceed in view of the judgment of the Hon'ble Supreme Court in Civil Appeal case No. 235/93 titled H. B. Adyanathaya etc. Vs. Sandoz (India) Ltd. etc. etc. He was not a workman being a Development Officer.

3. Reply to this application was not filed but arguments heard.

4. The workman representative has urged that the Development Officer was a workman as was held in case S. K. Verma Vs. Mahesh Chandra & another 1983(3) S.C.R. 799. However, the management representative has referred to a judgment of full bench comprising of five judges in H. R. Adyanthaya etc. Vs. Sandoz (India) Ltd. etc. etc. in which it was held as follows :—

"As has been pointed out above, this decision did not refer to the earlier three decisions in May & Bakers, WIMCO and Burmah Shell cases (Supra) and obviously proceeded on the basis that if an employee did not come within the four exceptions to the definition, he should be held to be a workman. This basis was in terms considered and rejected in Burmah Shell Case (Supra) by a coordinate Bench of three Judges. Further no finding is given by the Court whether the Development Officer was doing clerical or technical work. He was admittedly not doing manual work. We may have, therefore, to treat this decision as per incuriam."

5. In view of this situation the Development Officer of the Life Insurance Corporation is not a workman and this court has got no jurisdiction to try this case and proceed further. The reference is answered accordingly. The aggrieved official can

move for the redressal of his grievances to the Competent Court or authority according to law. Parties shall bear their own costs.

1st January, 1998.

GANPATI SHARMA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 1998

का०आ० 263.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा-1 की उप धारा-(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 01 फरवरी, 98 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय-4 (धारा-44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) और अध्याय-5 और 6 [धारा-76 की उपधारा (1) और धारा-77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है] के उपबन्ध तमिल नाडु राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :—

"जिला तीरूनेलवली कट्टाबोमन के तालुक राधापुरम में राजस्व ग्राम पेरनगुड़ी और पनागुड़ी और जिला कन्याकुमारी के तालुक कलकुलम में राजस्व ग्राम अलूर के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र" ।

[संख्या एस-38013/1/98-एस०एस०-I]
जे० पी० शुक्ला, अवर सचिव

New Delhi, the 16th January, 1998

S.O. 263.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) the Central Government hereby appoints the 1st February, 1988 as the date on which the provisions of Chapter IV (except Sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapter V and VI (except sub-section (1) of Section 76 and Sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force) of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Tamil Nadu namely :—

"Areas comprising the revenue villages of Perungudi, Panagudi of Radhapuram Taluk in Tirunelveli Kattabomman District and revenue village Alur of Kalkulam Taluk in Kanyakumari District."

[No. S-38013/1/98-SS.I]
J. P. SHUKLA, Under Secy.

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 1998

का०आ० 264.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा-1 की उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 01 फरवरी, 98 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय-4 (धारा-44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) और अध्याय-5 और 6 [धारा-76 की उपधारा (1) और धारा-77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है] के उपबन्ध तमिल नाडु राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :—

"जिला शिवांगगाई के तालुक मनामादुराई में राजस्व ग्राम सुराकुलम, के० के० पालम और सिगमंगलम के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र" ।

[संख्या एस-38013/2/98-एस०एस०-I]
जे०पी० शुक्ला, अवर सचिव

New Delhi, the 16th January, 1998

S.O. 264.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) the Central Government hereby appoints the 1st February, 1998 as the date on which the provisions of Chapter IV (except Sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapter V and VI (except sub-section (1) of Section 76 and Sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force) of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Tamil Nadu namely :—

"Areas comprising the revenue villages of Surakkulam, K. K. Pallam, Sangamangalam of Manamadurai Taluk in Sivagangai District."

[No. S-38013/2/98-SS.I]
J. P. SHUKLA, Under Secy.

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 1998

का०आ० 265.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा-1 की उप धारा-(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 01 फरवरी, 1998 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय-4 (धारा-44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) [और अध्याय-5 और 6 धारा-76 की उपधारा (1) और धारा-77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है] के उपबन्ध तमिल नाडु राज्य के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :—

"जिला तन्जावूर के थीरूवीवाईमरूदुर तालुक में राजस्व ग्राम थीरूवुदानम, तेपारूमानालुर और कम्बाकोनम तालुक में राजस्व ग्राम वलायापेटाई, धरासुरम, चोलनमालीगई, पतीसवरम, अनाल अग्राहरम और वलनगईमन तालुक में राजस्व ग्राम वलनगईमन, चन्द्राशेखरपुरम के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र" ।

[संख्या एस-38013/3/98-एस एस-I]
जे०पी० शुक्ला, अवर सचिव

New Delhi, the 16th January, 1998

S.O. 265.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) the Central Government hereby appoints the 1st February, 1998 as the date on which the provisions of Chapter IV (except Sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapter V and VI (except sub-section (1) of Section 76 and Sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force)

of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Tamil Nadu namely :—

"Areas comprising the revenue villages of Thirubuvanam, and Tepparumanallur of Thiruvidaimarudur Taluk and revenue villages of Valayapettal, Darasuram, Cholanmaligal, Patteeswaram, Annal Agraharam of Kumbakonam Taluk and revenue villages of Valangaiman, Chandrasekarapuram of Valangaiman Taluk in Tanjavur District."

[No. S-38013/3/98-SS.I]

J. P. SHUKLA, Under Secy.

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 1998

का०आ० 266.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 01 फरवरी, 98 को उक्त तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय 4 (धारा 44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) और अध्याय 5 और 6 [धारा 76 की उपधारा (1) और धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है] के उपबन्ध आन्ध्र प्रदेश राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :—

"जिला रंगा रेड्डी में सेरिलिंगमपल्लि की नगरपालिका सीमाओं के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र" ।

[संख्या एस-38013/4/98-एस०एस०-I]

जे० पी० शुक्ला, अवर सचिव

New Delhi, the 16th January, 1998

S.O. 266.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) the Central Government hereby appoints the 1st February, 1998 as the date on which the provisions of Chapter IV (except Sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapter V and VI (except sub-section (1) of Section 76 and Sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force) of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Andhra Pradesh namely :—

"The areas falling within the Municipal limits of Serilingampally in Ranga Reddy District."

[No. S-38013/4/98-SS.I]

J. P. SHUKLA, Under Secy.

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 1998

का०आ० 267.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 01 फरवरी, 1998 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय 4 (धारा 44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) और अध्याय 5 और 6 [धारा 76 की उपधारा (1) और धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है] के उपबन्ध तमिल नाडु राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :—

"जिला कन्याकुमारी के अगस्थीसवरम तालुक में राजस्व ग्राम धरमापुरम के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र" ।

[संख्या एस-38013/5/98-एस०एस०-I]

जे० पी० शुक्ला, अवर सचिव

New Delhi, the 16th January, 1998

S.O. 267.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) the Central Government hereby appoints the 1st February, 1998 as the date on which the provisions of Chapter IV (except Sections 44 and 45 which have aheady been brought into force) and Chapter V and VI (except sub-section (1) of Section 76 and Sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force) of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Tamil Nadu, namely :—

"Areas comprising the revenue village of Dharmapuram in Agastheeswaram Taluk of Kanyakumari District."

[No. S-38013/5/98-SS.I]

J. P. SHUKLA, Under Secy.

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 1998

का०आ० 268.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 01 फरवरी, 98 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय 4 (धारा 44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) और अध्याय 5 और 6 [धारा 76 की उपधारा (1) और धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है] के उपबन्ध तमिल नाडु राज्य के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :

"जिला वी० ओ० चिदम्बरनार के कोविल पट्टी तालुक में राजस्व ग्राम पौण्डवर मंगलम, मंण्डितोप्पू, किलविपट्टी, सिवन्दीपट्टी अवलन्तम के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र" ।

[संख्या 38013/6/98-एस०एस०-I]

जे० पी० शुक्ला, अवर सचिव

New Delhi, the 16th January, 1998

S.O. 268.—In exercise of the powers conferred by the section (3) of Section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) the Central Government hereby appoints the 1st February, 1998 as the date on which the provisions of Chapter IV (except Sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapters V and VI (except sub-section (1) of Section 76 and Sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force) of the said Act shall come into force in the followig areas in the State of Tamli Nadu, namely :—

"Areas comprising the revenue villages of Pandavarmangalam, Mandithoppu, Kilavipatty, Sivandipatti, Avalnatham of Koilpatty Taluk in V. O. Chidambaranar District."

[No. S-38013/6/98-SS.I]

J. P. SHUKLA, Under Secy.

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 1998

का. आ. 269:—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा —1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 1 फरवरी, 1998 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय—4 (धारा—44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) और अध्याय 5 और 6 (धारा—76 की उपधारा (1) और धारा — 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) के उपबंध तमिलनाडु राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :—

"जिला उत्तर आरकोट अम्बेदकर के तालुक वैलूर में राजस्व ग्राम साथूपेरी किलमनथुर, मेलमनपुर, अम्बुलापुरम, अनपुडी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र"।

[संख्या एस—38013/7/98—एस. एस.-I]
जे. पी. शुक्ला, अवर सचिव

New Delhi, the 16th January, 1998

S.O. 269.—In exercise of the powes conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) the Central Government hereby appoints the 1st February, 1998 as the date on which the provisions of Chapter IV (except Sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapters V and VI (except sub-section (1) of Section 76 and Sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force) of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Tamil Nadu, namely :—

"Areas comprising the revenue villages of Sathuperi, Kilmanavur, Melmanavur, Abdullapuram, Anpoondi of Vellore Taluk in North Arcot Ambedkar District".

[No. S-38013/7/98-SS.I]
J. P. SHUKLA, Under Secy.

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 1998

का. आ. 270:—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा—1 की उपधारा-(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 01 फरवरी 98 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय—4 (धारा 44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) और अध्याय—5 और 6 (धारा 76 की उपधारा (1) और धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) के उपबन्ध तमिलनाडु राज्य के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :—

"जिला कमराजार के तालुक विरुधूनगर में राजस्व ग्राम विरुधूनगर, विरुधूनगर नगरपालिका के क्षेत्रों सहित, चिन्नामुपनपट्टी, पेलमपट्टी पेरालो, चिन्ना-पेरालो और पेरियापेरालो सहित, वावामलाईकुरुची, सिवागनामापुरम, वी. कुमारलिंगापुरम, अलगापुरी, मीसालुर, मुथुरामनपट्टी, रोसालपट्टी और अरुपूकोट्टाई तालुक में राजस्व ग्राम वलुक्कालोटटी, विल्लीपारथी और इसके छोटानांव वल्लीकुलम और चिन्नावल्लीकुलम सहित, कुलुरचनदाई और पलावनथम के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र"।

[संख्या एस—38013/8/98—एस. एस. I]
जे. पी. शुक्ला, अवर सचिव

New Delhi, the 16th January, 1998

S.O. 270.—In exercise of the powers confered by sub-section (3) of Section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) the Central Government hereby appoints the 1st February, 1998 as the date on which the provisions of Chapter IV (except Sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapters V and VI (except sub-section (1) of Section 76 and Sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force) of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Tamil Nadu, namely :—

"Areas comprising the revenue villages of Virudhunagar including Virudhunagar Municipal Area, Chinnamoopanpatty, Pelampatty, Perali inclusive of Chinnaperali and Periaperali, Vadamalaikuruchi, Sivagnanapuram, V. Kumaralingapuram, Alagapuri, Meesalur, Muthuramanpatty, Rosalpatty of Virudhunagar Taluk and revenue villages of Valukkaletty, Villipathri and its hamlets Peria Vallikulam and Chinna Vallikulam, Kullurchandai and Palavanatham of Aruppukkottai Taluk in Kamarajar District."

[No. S-38013/8/98-SS.I]
J. P. SHUKLA, Under Secy.

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 1998

का. आ. 271:—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 1 फरवरी, 98 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय 4 (धारा 44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) और अध्याय 5 और 6 धारा 76 की उपधारा (1) और धारा 77, 78 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) के उपबन्ध तमिलनाडु राज्य के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे, अर्थात्:—

"जिला कारुर धीरन चिन्नामलाई के तालुक कारुर में राजस्व ग्राम अन्दनकोइल [पश्चिम, थीरु-मनीलाईयर करुपामपालायम, पंचमदेवी, मनमनगलम के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र"।

[संख्या एस.—38013/9/98—एस. एस. 1]
जे. पी. शुक्ला, अवर सचिव

New Delhi, the 16th January, 1998

S.O. 271.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) the Central Government hereby appoints the 1st February, 1998 as the date on which the provisions of Chapter IV (except Sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapters V and

VI (except sub-section (1) of Section 76 and Sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force) of the said Act shall come into force in the followig areas in the State of Tamil Nadu, namely :—

"Aeas comprising the revenue villages of Andankoil West, Thirumanilaiyur, Karuppampalayam, Panchamadevi, Manmangalam of Karur Taluk in Karur-Dhecran Chinnamalai District."

[No. S-38013/9/98-SS.I]
J. P. SHUKLA, Under Secy.

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 1998

का०आ० 272:— कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्-द्वारा 01 फरवरी, 98 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय-4 (धारा-44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत की जा चुकी है) और अध्याय-5 और 6 (धारा-76 की उपधारा (i) और धारा-77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) के उपबंध तमिलनाडु राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :—

"जिला कोइम्बतूर के तालूक उदूमालपेट में राजस्व ग्राम चिन्नावीरामपट्टी, थनथेनी, वालावमावी, रागल बावी, कुराल कुट्टाई, बोगीगोन्दन वासारापट्टी, गणपथी-पालायाम, पुक्कुलम, पोनेरी और मनुपट्टी के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र" ।

[संख्या एस-38013/10/98-एस०एस०-I]
जे० पी० शुक्ला, अवर सचिव

New Delhi, the 16th January, 1998

S.O. 272.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (24 of 1948) the Central Government hereby appoints the 1st February, 1998 as the date on which the provisions of Chapter IV (except Sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapter V and VI (except sub-section (1) of Section 76 and Sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force) of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Tamil Nadu.

"Areas comprising the revenue villages of Chainnaveerampatty, Thantheni, Walavadi, Regal Bavi, Kural Huttai, Begi gounden Desarapatti, Ganpathy, Palayam, Pukkulam, Ponneri, Manupatty in Udamnaipet Taluk of Coimbatore District".

[No. S-38013/10/98-SSI]
J. P. SHUKLA, Under Secy.

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 1998

का० आ० 273.— कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्-द्वारा 01 फरवरी, 1998 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय-4 (धारा-44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) और अध्याय 5 और 6 (धारा 76 की उपधारा (1) और धारा -77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) के उपबंध तमिलनाडू राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे , अर्थात् :—

"जिला चैंगलपुट के तालुक सैदापेट में राजस्व ग्राम सदयनकुप्पम और साथनकाडू के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र" ।

[संख्या एस. -38013/11/98-एस.एस.-I]
जे० पी० शुक्ला, अवर सचिव

New Delhi, the 16th January, 1998

S.O. 273.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) the Central Government hereby appoints the 1st February, 1998 as the date on which the provisions of Chapter IV (except Sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapters V and VI (except sub-section (1) of Section 76 and Sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force) of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Tamil Nadu, namely :—

"Areas comprising the revenue villages of Sadayankuppam, Sathankadu of Saidapet Taluk in Chengleput District."

[No. S-38013/11/98-SS.I]
J. P. SHUKLA, Under Secy.

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 1998

का.आ. 274.—केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है कि यूरेनियम उद्योग को, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की पहली अनुसूची के मद संख्या 19 के अधीन आता है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ लोक उपयोगी सेवा घोषित किया जाए।

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (द) के उपखंड (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते केन्द्रीय हुए सरकार यूरेनियम उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए छह मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[संख्या एस-11017/9/97-श्रो.सं. (नी.वि.)]

एच.सी. गुप्ता, अवर सचिव

New Delhi, the 16th January, 1998

S.O. 274.—Whereas the Central Government is satisfied that the public interest requires that the Uranium Industry which is covered by item 19 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), should be declared to be a public utility service for the purposes of the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947, the Central Government hereby declares with immediate effect the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months.

[F. No S-11017/9/97-IR(PL)]

H. C. GUPTA, Under Secy.

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय

(शहरी विकास विभाग)

(दिल्ली प्रभाग)

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 1998

का०आ० 275.—यतः निम्नांकित क्षेत्रों के बारे में कुछ संशोधन, जिन्हें केन्द्र सरकार दिल्ली वृहद् योजना में प्रस्तावित करती है तथा जो दिल्ली विकास अधिनियम, 1956 (1957 का 61) की धारा 44 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 22-7-97 के नोटिस संख्या एफ 20(5)/94-एम०पी० द्वारा प्रकाशित किए गए थे जिसमें उक्त अधिनियम की धारा 11-ए की उपधारा (3) में अपेक्षित आपत्तियां/सुझाव, उक्त नोटिस की तारीख के 30 दिन की अवधि में आमंत्रित किए गए थे।

2. यतः प्रस्तावित संशोधनों के बारे में जनता से कोई आपत्तियां/सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं और यतः केन्द्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद दिल्ली वृहद् योजना में संशोधन करने का निर्णय लिया है।

3. अतः अब केन्द्र सरकार उक्त अधिनियम की धारा 11-ए की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दिल्ली की उक्त वृहद् योजना में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :—

संशोधन

4. "1-8-90 के भारत के राजपत्र के पृष्ठ 148 के दाहिनी ओर (आर०एच०एस०) पैरा 3 में "क्षेत्रीय (डिविजनल) योजना" शीर्षक के अन्तर्गत "3 वर्ष की अवधि में" शब्दों को बदलकर "31-7-98 तक" किया जाता है।"

[सं० के०—13011/19/96—डी०डी०आई०बी०]

के० के० गुप्ता, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN AFFAIRS & EMPLOYMENT

(Department of Urban Development)

(Delhi Division)

New Delhi, the 15th January, 1998

S.O. 275.—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi were published with Notice No. F. 20(5)/94-MP dt. 22-7-97 in accordance with the provisions of section 44 of the Delhi Development Act, 1956 (61 of 1957), inviting objections/suggestions as required by sub-sanction (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas no objections/suggestions were received with regard to the proposed modification and whereas the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi with effect from the date of Publication of this Notification in the Gazette of India.

MODIFICATION :

4. "On page 148 R.H.S. of Gazette of India dated 1-8-90 under the heading 'Zonal (Divisional) Plan' in para '3' the words 'within a period of 3 years' are substituted as : "Upto 31-7-1998."

[No. K-13011/19/96-DDIB]

K. K. GUPTA, Under Secy.

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 1998

का०आ० 276.—केन्द्रीय सरकार, दिल्ली नगरी कला आयोग अधिनियम, 1973 (1974 का 1) की धारा 4 और 5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार, शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय (शहरी विकास विभाग) (दिल्ली प्रभाग) की 3 दिसम्बर, 1996 की अधिसूचना सं० का०आ० 864(ई) में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उपर्युक्त अधिसूचना के अन्तर्गत :—

(क) प्रस्तावना में, "उनके द्वारा पदभार सम्भालने की तारीख से" शब्दों के स्थान पर "इस अधिसूचना

के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से" शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे ।

(ख) मद (i) में, "पूर्व सचिव (शहरी विकास)" शब्दों, कोष्ठकों, व अक्षरों के स्थान पर, "डी-4/4242, बसन्त कुंज, नई दिल्ली-110070" अक्षर, संख्या व शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे ।

(ग) मद (ii) में "पूर्व नगर तथा ग्राम नियोजक" शब्दों व अक्षरों के स्थान पर "11/20, ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली-110008" संख्या व शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे ।

(घ) मद (iii) में, अन्त में, निम्नलिखित अक्षर, संख्या व शब्द जोड़े जाएंगे, अर्थात् :—

"ए-3, डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली-110024", तथा

(ङ) मद (iv) में, अन्त में, निम्नलिखित अक्षर, संख्या व शब्द जोड़े जाएंगे, अर्थात् :—

"ई-7/7, वसन्त विहार, नई दिल्ली-110057"

[मिसिल संख्य ए-11013/4/84-डी०डी० I ए]
वी० के० मिश्रा, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 27th January, 1998

S.O. 276.—In exercise of the powers conferred by section 4 and 5 of the Delhi Urban Act Commission makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Urban Affairs and Employment (Department of Urban Development) (Delhi Division) No. S.O. 864(E), dated the 3rd December, 1996. :—

In the said notification :—

(a) in the preamble, for the words "from the date they take over charge of the post", the words "from the date of publication of this notification in the Official Gazette" shall be substituted;

(b) in item (i), for the words, brackets and letters "Former Secretary (UD)", the letter, figures and words "D-4/4242, Vasant Kunj, New Delhi-110 070" shall be substituted;

(c) in item (ii), for the words and letter "Former Town & Country Planner", the figures and words "11/20, East Patel Nagar, New Delhi-110 008" shall be substituted;

(d) in item (ii), at the end, the following letter, figures and words shall be added, namely :—

"A-3, Defence Colony, New Delhi-110 024", and

(e) in item (iv), at the end, the following letter, figures and words shall be added, namely :—

"E-7/7, Vasant Vihar, New Delhi-110057".

[No. A-11013/4/84-DDIA]
V. K. MISRA, Desk Officer

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 1998

का०आ० 277.—केन्द्रीय सरकार, दिल्ली नगरी कला आयोग अधिनियम, 1973 (1974 का 1) की धारा 4 और 5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार के शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय (दिल्ली प्रभाग) के दिनांक 15 फरवरी, 1997 के का० आदेश सं० 435 का अधिक्रमण करते हुए, श्री हेमेन्द्र कुमार, अपर सचिव (शहरी विकास) को इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से दिसम्बर, 1999 की दो तारीख तक, जो भी पहले हो, के लिए दिल्ली नगरी कला आयोग का सदस्य (अंशकालिक) नियुक्त करती है ।

[सं० ए-11013/4/87-डी० डी० आई. ए०]
वी० के० मिश्रा, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 27th January, 1998

S.O. 277.—In exercise of the powers conferred by Sections 4 and 5 of the Delhi Urban Art Commission Act, 1973 (1 of 1974) and in supersession of the Government of India in the Ministry of Urban Affairs and Employment (Delhi Division) No. S.O. 435, dated the 15th February, 1997, the Central Government hereby appoints Shri Hemendra Kumar, Additional Secretary (Urban Development) as Member (part-time) of the Delhi Urban Art Commission from the date of publication of this notification in the Official Gazette till the 2nd day of December, 1999 or the date upto which he shall be looking after the affairs of the Commission, whichever is earlier.

[No. A-11013/3/87-DDIA]
V. K. MISRA, Desk Officer

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1998